

# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सेक्टर-18, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : [eeb@ccg.gov.in](mailto:eeb@ccg.gov.in)

**विषय-** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/05/2023 को संयुक्त 483वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 483वीं बैठक दिनांक 10/05/2023 को डॉ. बी.पी. मोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. डॉ. सैलेख कुमार जगदल, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  2. श्री एन.के. कव्हाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  3. श्री किरान सिंह पुर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  4. डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  5. श्री डी. राहुल वैकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया-

**एजेन्डा आइटम क्रमांक-1:** 482वीं बैठक दिनांक 08/05/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 482वीं बैठक दिनांक 08/05/2023 को सम्पन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष रीफ प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेन्डा आइटम क्रमांक-2:** गैर/मुख्य समितियों एवं औद्योगिक परिवर्तन-संबंधी संकेती प्रकल्पों के प्रस्तुतीकरण समितियों पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेरुती अलगायेटा लाईम स्टोन मर्चनिंग प्रोजेक्ट (प्रायोजको विस्तार कारपोरेशन लिमिटेड), ग्राम-आरकनेटा, तहसील-अकसतरा, जिला-जाजगीर-बांग (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1472)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 58409/2021, दिनांक 21/11/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 288202/2023, दिनांक 03/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया। परंतु

परिचलित पोर्टल में तकनीकी समस्या होने के कारण आवेदन दिनांक 26/03/2023 को आवेदन ऑनलाइन पोर्टल में उपस्थित हुआ।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित कुल पथार (एरिा खनिज) खदान है। खदान ग्राम-आरुमेठ, तहसील-अकलतार, जिला-जांजगीर-बांचा किल्ला खसरा क्रमांक 289/2 एवं अन्य 84 खसरा निजी भूमि तथा खसरा क्रमांक 312/2 सांख्यिक भूमि, कुल क्षेत्रफल-48.292 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,00,380 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एच.ई.आई.ए.ए. भल्लीसगढ़ के अनुमोदन उपरंत एच.ई.ए.सी. भल्लीसगढ़ के द्वारा क्रमांक 1418, दिनांक 26/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रस्तुत स्टैम्पड टर्न ऑफ रिपोर्ट (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एच.पी. रिपोर्ट और प्रोसेक्यूट/एस्टीमेटेड इम्पैक्ट इन्वायलमेंट क्लीयरेंस अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2020 में वर्णित शर्तों का स्टैम्पड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) और कोल माइनिंग प्रोसेक्यूट हेतु टीओआर जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/12/2022 के माध्यम से जारी टीओआर में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन में परलोकित लघु निम्नानुसार है-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी टीओआर (लोक सुनवाई सहित) में आवेदित उत्खनन क्षमता-10,00,380 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर आवेदित उत्खनन क्षमता-10,00,388 टन प्रतिवर्ष किन्वे जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित फॉर्म-1, फॉर्म-2, डी-डिस्टिक्टिटी रिपोर्ट एवं निष्पत्ती ऑफ माइनिंग प्लान एम्ब प्रोसेसिंग माइनिंग क्लीयरेंस प्लान प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 88 खसरा क्रमांक का विवरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें 88 खसरा क्रमांक निजी भूमि एवं खसरा क्रमांक 312/2 सांख्यिक भूमि का होना बताया गया। वर्तमान में प्रस्तुत निष्पत्ती ऑफ माइनिंग प्लान एम्ब प्रोसेसिंग माइनिंग क्लीयरेंस प्लान में कुल 88 खसरा क्रमांक का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार 80 खसरा क्रमांक निजी भूमि एवं खसरा क्रमांक 307, 310, 311, 314 एवं 313-315 सांख्यिक भूमि का होना बताया गया है।

3. परियोजना के कार्यकालों एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. भल्लीसगढ़ के द्वारा दिनांक 09/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की अठारवीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्णित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेमर्स युईगांव रोडवर्क वर्क (जे- सनपंच, ग्राम पंचायत बामनवाडी (श्री एमेश कुमार नेतारं), ग्राम-युईगांव, तहसील-बारणा, जिला-उत्तर बलार कार्पोर (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 2386)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एसआईएन/ 422942/2023, दिनांक 29/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रोड (सीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-युईगांव, ग्राम पंचायत-बामनवाडी, तहसील-बारणा, जिला-उत्तर बलार कार्पोर जिला पार्ट ऑफ सरका क्रमांक 647, कुल क्षेत्रफल-25.00 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। परखनम नकलदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रोड परखनम क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, जतीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एमेश कुमार नेतार, सनपंच, ग्राम पंचायत बामनवाडी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति ज्ञापन पत्र - रोड परखनम की संख्या में ग्राम पंचायत बामनवाडी का दिनांक 12/05/2023 का अनापत्ति ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्डफिल्ट/सीनफिल्ट - खदान विन्डफिल्ट/सीनफिल्ट कर घोषित कर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बलार कार्पोर को कार्यालय, ग्राम पंचायत बामनवाडी द्वारा दिनांक 10/05/2023 को आवेदन किया गया है।
4. परखनम योजना - स्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एम-संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बलार कार्पोर को ज्ञापन क्रमांक 477/खनिज/उत्तरबी, अनु/रोड/2023-23 उत्तर बलार कार्पोर, दिनांक 07/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बलार कार्पोर को ज्ञापन क्रमांक 682/खनिज/ख.नि./रोड/2023 कार्पोर, दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित अन्य रोड खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बलार कार्पोर को ज्ञापन क्रमांक 681/खनिज/ख.नि./रोड/2023 कार्पोर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार परक खदान को 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बाँध, मंदिर, मस्जिद,

दुसरे, मत्स्य एवं एकीकृत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नौवहन 180 मीटर की दूरी पर स्थित है।

7. एल.ओ.आई. संकेती किरण - एल.ओ.आई. मत्स्य ग्राम पंचायत बालनवाही के नाम पर है, जो कार्पोरल कलेक्टर (खनि बाण्ड), जिला-उत्तर बंगाल-कांकेर के आदेश क्रमांक 285/खनिज/रेत/2023 कांकेर, दिनांक 24/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी क्लियर जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "राखनन घट्टे क्लेक के पर्यवेक्षण के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्पोरल वन मण्डलधिकारी, कांकेर वन मण्डल जिला-कांकेर के आदेश क्रमांक/मा.वि./2022/8911 कांकेर, दिनांक 07/10/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुशासक आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मुईनांव 500 मीटर, स्कूल ग्राम-बालनवाही 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल झरदुजा 2.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 कि.मी. एवं राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। सीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक कुल/एकीकृत स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अणुऊर्जा, केंद्रीय अनुसंधान निदेशन बोर्ड द्वारा घोषित किरिगली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 284 मीटर, न्यूनतम 284 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 382 मीटर, न्यूनतम 388 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 142 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 118 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर है।  
समिती द्वारा पाया गया कि जिला खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई 284 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 35 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई 284 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 35 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई-3 से 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई-2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधानित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा-1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 8 गड्ढे (Pits) खोदकर वहां की वास्तविक मोटाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्धता

गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग – रेत संश्लेषण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुप्ता 25 मीटर के डिग सिन्डुजी पर दिनांक 27/03/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलिंग (Levels) लेवल, उन्हें खनिज विभाग से प्रत्यक्षीकरण उपरान्त फोटोडायग्नोस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉन्सीट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सचिव विभाग से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.5	2%	0.97	Following activities at Nearby Village- Bhulgaon	
			Plantation at government land near by lease area	5.43
			Total	5.43

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत लीज क्षेत्र के समीप सालकीय भूमि में (बड़, पीपल, नीम, कर्ज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 गन बीघों के लिए रशि 30,000 रुपये, कॅरिंग के लिए रशि 80,000 रुपये, खाद के लिए रशि 4,000 रुपये, रक-रखाव आदि के लिए रशि 87,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 2,13,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में रक-रखाव हेतु कुल रशि 2,30,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति उपरान्त यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. वृक्षारोपण कार्य – नदी तट पर (बड़, पीपल, नीम, कर्ज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 गन बीघों के लिए रशि 30,000 रुपये, कॅरिंग के लिए रशि 80,000 रुपये, खाद के लिए रशि 4,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए रशि 88,000 रुपये, इस प्रकार कुल रशि 1,82,000 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल रशि 2,00,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार किये गए उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. खदान किन्हाडित/सीन्हाडित कर घोषित कर कार्यालय कलेक्टर, खनिज सचवा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत लीज क्षेत्र के समीप सालकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत की सहमति उपरान्त यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज होल्ड को बाहर उखलाने कार्य नहीं किये जाने हेतु सच्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्तीर्णन अवधि पुनर्वास नीति के तहत स्वामीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सच्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आरम का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आरम का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उखलाने का प्रकरण ललित नहीं है।

उपरोक्त बखित जानकारी/वसतावेज प्राप्त होने परगत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स इरॉटेमा डेव्लपर्स प्राईवट लिमिटेड (प्रो.- श्री बबलू कुमार जोशी), राग-इरॉटेमा, तहसील व जिला-बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2368)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 424108/2023, दिनांक 30/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पुर से संबंधित रेत (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान राग-इरॉटेमा, तहसील व जिला-बालोद स्थित प्लॉट ऑफ करलत क्रमांक 97/3, कुल क्षेत्रफल-2.88 हेक्टर में है। उखलाने सूचा नहीं से किया जाता है। खदान की आवेदित रेत उखलाने क्षमता-11,875 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, उत्तीर्णन के ज्ञापन दिनांक 03/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 10/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बखित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स अलंकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड (सुनिट-2), जी.ई. रोड, टाटीको, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2368)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनसी/ 424243/ 2023, दिनांक 31/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतित कार्ययोजना के तहत जीई, रोड, टाटीबंद, सहस्रील-धरतीय, जिला-राजपुर स्थित चार्टेड ऑफ असाता क्रमांक 88/3, कुल क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर में स्थापित मि-रील स्टील प्रोडक्ट्स (सीम, एंगल, पैनल, जॉइंट, स्ट्रिप्स, बार, स्क्वैयर, राउण्ड्स आदि)/ पाईप एण्ड ट्यूब्स क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनिर्देश क्रमांक 3 जारी है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस्.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार अग्रवाल, सीनियर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. जल एवं वायु सम्बन्धि -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, राजपुर द्वारा मि-रील स्टील प्रोडक्ट्स (सीम, एंगल, पैनल, जॉइंट, स्ट्रिप्स, बार, स्क्वैयर, राउण्ड्स)/ पाईप एण्ड ट्यूब्स क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धि परीक्षण दिनांक 30/11/2019 को जारी की गई, जो दिनांक 31/01/2025 तक वैध है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धि शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धि शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. नगर पालिका विनय का अनुपलब्ध प्रमाण पत्र - उद्योग की स्थापना के संबंध में नगर पालिका विनय, जॉन क्रमांक-8, राजपुर का दिनांक 30/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापी संबंधी जानकारी -

- राष्ट्रीय आवासीय टाटीबंद 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन राजपुर 7 कि.मी. एवं राष्ट्रीय विमानतट विनायगतान, गाना, राजपुर 20.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 300 मीटर एवं राज्यमार्ग 100 मीटर दूर है। साकन नदी 1.7 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।

4. भू-स्वामित्व - भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स अलंकार स्टील इंडिया लिमिटेड के नाम पर है।

5. क्षेत्र एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (SQM)
1.	Rolling Mill Area	1,441.50
2.	Finished Goods Area	651
3.	Raw Material Yard	558
4.	Parking	372
5.	Road Area	2,441.25
6.	Open Area	767.25
7.	Green Belt Area	3,069
Total		9,306

6. रॉ-मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets/ Ingots	31,500	Open Market	By Road

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यालय हेतु उच्च क्षमता का वीट स्कानर स्थापना किया है एवं 30 मीटर ऊंचाई की धिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित धमनी से पार्टिकुलेट मैटर का पर्यावरण 50 मिलीग्राम/घनमीटर घनमीटर रखा जाता है। पर्यावरणीय अस्त-व्यस्त नियंत्रण हेतु जल सिंक्रेशन की व्यवस्था है।

9. ठोस अपशिष्ट उपचारण व्यवस्था – रोलिंग मिल से मिल स्कोल- 800 टन प्रतिवर्ष एवं एच कटिंग – 700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट को रूप में उपयोग होता है। मिल स्कोल एवं एच कटिंग को रानीपल स्टील उपयोग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही कृष्ण अक्षय 0.1 किलोमीटर प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसका उपयोग मशीनों में लुब्रीकेंट के लिए किया जाना बताया गया है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

• जल संचय एवं स्वच्छ – परियोजना हेतु ग्राम में कुल 13 घनमीटर (एन टाईप) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना हेतु मेंस वॉटर कुल 7 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं वीन बेड एवं अस्ट स्टोरेज हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति न्यू-जल से की जाती है। न्यू-जल की उपयोक्त हेतु सेंट्रल प्रायमरी वाटर अथॉरिटी से 8.9 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 17/12/2021 द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

• जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत बाध दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल को उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। कृष्ण निस्स्रावण की स्थिति रही जाती है।



- **घु-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल वायुमंडल बोर्ड की अनुसार डिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार-
  - (अ) वृद्ध एवं स्वल्प उपयोगी को कम से कम 50 प्रतिशत दूधित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  - (ब) वायुमंडल बोर्ड विचारों हेतु अपनाई गई तकनीक पर्याय वेनवाटर हावीरिंग /ऑटोक्लिडिंग जल विचारों के आधार पर घु-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल वायुमंडल बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उपयोग द्वारा परिसर में वेनवाटर हावीरिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।
- **वेन वीटर हावीरिंग व्यवस्था** – वेन वीटर हावीरिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति एनटीएसडी राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि डी.जी. सेट की स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **कुसरोचना संबंधी जानकारी** – इरिट पेट्रोल का के विचार हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.31 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में कुल 775 नम कुसरोचना किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग परिसर की सीमा 100 नम पीछे स्थित किये गए हैं।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतियोजना के दौरान बताया गया है कि वेकलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 08/04/2023 को सूचना दी गई थी। समिति का मत है कि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सूचना देना चाहिए था।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श समरंठ सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार सौंपर्ड र्म्स ऑफ़ रिक्लेस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिलेगटेड इन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस अप्पर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 3(ए) का सौंपर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटाडॉरिकल इन्वैस्टीज (कंसल्ट एण्ड नीन-कंसल्ट) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- viii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.
- xi. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), चलीसमठ को तदनुसार सुधित किया जाए।

8. बेसर्त अग्रहण खनिज खदान (बहनाकाड़ी लाईन स्टोन क्वारी, डी- बी विनेश पोयल), ग्राम-बहनाकाड़ी, तहसील-आरप, जिला-रायपुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 2017)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420012/ 2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा टी.ओ.आन हेतु आवेदन किया गया। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमीर्ती होने से जायन दिनांक

01/03/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित बकित जानकारी दिनांक 03/04/2023 को प्राप्त हुई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संघटित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खनाकवाड़ी, तहसील-आल, जिला-कन्नपुर स्थित प्लॉट अंक कनाक क्रमांक 18, कुल क्षेत्रफल-1.878 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/05/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः खानगी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुप्रेष किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई बकित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. **मैसर्स टनीजरीय लार्जिन स्टोन क्वारी (प्री- वी टिनसुदन वर्मी, ग्राम-टनीजरीय, तहसील-सुईला, जिला-बलौदाबाजार-मटापारा (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 18007)**

**ऑनलाइन आवेदन -** प्रयोजन क्रमांक - एच.ई.ए./ सीजी/ एच.ई.ए./ 70491/ 2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमी होने पर अन्ततः ज्ञापन दिनांक 08/01/2022 एवं दिनांक 07/02/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित बकित जानकारी क्रमांक दिनांक 01/02/2023 एवं 03/04/2023 को प्राप्त हुई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संघटित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-टनीजरीय, तहसील-सुईला, जिला-बलौदाबाजार-मटापारा स्थित प्लॉट अंक कनाक क्रमांक 471/2, 471/3, 471/4, 471/5, 471/6 एवं 471/7, कुल क्षेत्रफल-1.659 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 43,638 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टिनसुदन वर्मी, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- a. पूर्व में चूना पत्थर (वीन खनिज) खदान खसरा क्रमांक 471/2, 471/3, 471/4, 471/5, 471/6 एवं 471/7, कुल क्षेत्रफल-1.888 हेक्टेयर, क्षमता-43,838 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रधिकरण, जिला-बलीदाबाजार-भटावात द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

परिचालना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना से अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/03/2023 तक वैध थी।

- b. परिचालना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कर्मचारी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परिचालना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राष्‍ट्र अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधन द्वारा वन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- c. निर्दिष्ट शर्तानुसार वृद्धारोपण नहीं किया गया है।
- d. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजार-भटावात के ज्ञान क्रमांक 1231/तीन-6/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 30/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये जांचना की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	3,000
2019-20	12,000
2020-21	11,400
2021-22	8,420
2022-23 (30 सितंबर 2022)	8,260

समिति का मत है कि दिनांक 30/09/2022 के उपरोक्त किए गए जांचना की कार्यालय पत्र की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनुपस्थित प्रमाण पत्र - वृद्धारोपण के संबंध में ग्राम पंचायत स्वीकृति का दिनांक 11/11/2012 का अनुपस्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया

गया है। समिति का मत है कि उत्खनन की संकेत में खान संघर्ष का अनापत्तित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उत्खनन योजना - जगदी प्रान एम्ब जगदी कलौजर पुरान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघर्षक (खनि प्रशासन), जिला-बलीदाबाजार-भाटापरा के नु. प्रान अनांक 2382/ख.नि/सीन-1/2016 बलीदाबाजार, दिनांक 25/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-बलीदाबाजार-भाटापरा के प्रान अनांक 1251/सीन-8/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 30/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 83.434 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-बलीदाबाजार-भाटापरा के प्रान अनांक 1251/सीन-8/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 30/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल संपूर्ण आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की विस्तृतण वर्षों के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अवधि दिनांक 18/01/2007 से 15/01/2017 तक की है। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अवधि दिनांक 18/01/2017 से 15/01/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, बलीदाबाजार वनसंरक्षण, बलीदाबाजार के प्रान अनांक/उपनांक/खनिज/1164 बलीदाबाजार, दिनांक 28/04/2023 से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 9.38 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सनीजरीद 500 मीटर, स्कूल ग्राम-सनीजरीद 500 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-गुहेला 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.83 कि.मी. दूर है। सिमान्त नदी 18.53 कि.मी. एवं नाला 500 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 8,53,128 टन, साइनेबल रिजर्व 8,84,888 टन एवं निकलनेबल रिजर्व 8,58,453 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,875 वर्गमीटर है। जोवन कार्ट रोपी मेकेनाईज्ड सिस्टी से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी सिट्टी की मोटाई 1 मीटर तथा कुल मात्रा 12,750 घनमीटर है। क्षेत्र की

ऊँचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संपादित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अक्षर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ट्रिपिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,682	षष्ठम	8,835
द्वितीय	8,375	सप्तम	8,437
तृतीय	9,187	अष्टम	8,290
चतुर्थ	8,000	नवम	8,062
पंचम	8,812	दशम	7,875

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्वैच्छ एवं सक्षम पर्यावहारी से अनुमति प्राप्त कर पम्पाउट/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 808 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - अनुसूचीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,875 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तरधन है। अतः लीज उपरंत निवृत्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उत्तरधनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोसेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 4(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. अनुसूचीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लेस्टर में खनन वाली अन्य खदानों के लिए वेल्डलाईन जारा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/09/2022 से दिनांक 31/08/2022 के मध्य किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 21/02/2023 को सूचना दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., ट्रिपिंगल बेच, नई दिल्ली द्वारा सार्विक पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरिचालन एनिसीकरण नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) ने दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कर्वालय कलेक्टर (अग्निज सेवा), जिला-बलीदासगंज-नादापवा के ज्ञान ज्ञानक 1201/सीन-6/2022 बलीदासगंज, दिनांक 30/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की गोल अवधिगत 32 खदानें, क्षेत्रफल 83.434 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-बलीदासगंज) का क्षेत्र 1.889 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-बलीदासगंज) की मिलाकर कुल पक्का 85.323 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र के कुछ भाग में किने गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारित उपार्थ (Immediate Measures) के संबंध में ल्या लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपार्थ तथा क्लस्टरिंग आदि के लिये समुचित उपार्थ बाधू संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्ण, इत्यादी मन्त्र, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अर्थ उत्खनन चले जाने पर जीव उपर्युक्त निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किने जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्ण एवं पर्यावरण को प्रति पट्टीचने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किने जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में स्वीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिचरेश (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरमेंट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(i) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किने जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- vii. Project proponent shall submit the latest NOC from gram panchayat for mining.
- viii. Project proponent shall submit production detail from 30/09/2022 to till date from the mining department.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance



to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), प्रदूषणकारी को तदनुसार सूचित किया जाए।

पूर्वोक्त आवेदन क्रमांक-3

परिशीलना प्रस्तावकी द्वारा दिये गये विवरित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकल्पों में अद्यतनीकरण पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेरवा प्रकल्प ऑर्डिनेरी स्टोन क्वारी (प्ले- श्री खेतवा राम), ग्राम-खेतवा, तहसील-मानपुर, जिला-मोड़ला-मानपुर-अंभाला चौकी (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2188)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 802291/2022, दिनांक 18/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (पीप खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खेतवा, तहसील-मानपुर, जिला-मोड़ला-मानपुर-अंभाला स्थित खसत क्रमांक 138(पार्ट), 140/2, 140/4, 140/5, 141/1 एवं 141/2, कुल क्षेत्रफल- 3.779 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमानित उत्खनन क्षमता-2,00,000 टन (1,00,000 टनपीटल) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशीलना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., प्रदूषणकारी को ज्ञान दिनांक 22/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(ख) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 28/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सीएम कोठारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतनीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्ति आई गई:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमोदित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ईरनाथ का दिनांक 22/04/2022 का अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - स्वामी प्लान (एलाय विथ इनकारपोरेट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी कलेक्टर प्लान) प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञान क्रमांक 803/बीप/गार्डिंग प्लान अनुमोदन/2022 बालोद, दिनांक 18/11/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्पोरेट कलेक्टर (खनि राज्य), जिला-मोड़ला-मानपुर-अंभाला चौकी के ज्ञान क्रमांक 28/खनि.02/2022

राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खाने साखा), जिला-मोहल-मानपुर-अंशगाड़ चौकी के डायन क्रमांक 29/ख.सि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एरीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र से सांख्यिक दूरी 100 मीटर दूर है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. की खोज का नाम पत्र है, जो कार्यालय कलेक्टर (खाने साखा), जिला-मोहल-मानपुर-अंशगाड़ चौकी के डायन क्रमांक 21/ख.सि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 20/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रतिलिपि जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खारा क्रमांक 132 की राजक राम व श्रीमती राजक बाई एवं हेम भूमि आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय उपमंडल अधिकारी, राजनांदगांव उपमंडल, जिला-राजनांदगांव के डायन क्र./भा.सि./प.क्र. 10-1/2022/2479 राजनांदगांव, दिनांक 01/08/2022 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-जबकना 200 मीटर, स्कूल मानपुर 3.2 कि.मी. एवं अस्पताल मानपुर 3.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मीटर एवं राजमार्ग 4.2 कि.मी. दूर है। पीसनी नाला 50 मीटर एवं ललाब 410 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पीरियुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खान खोला एवं खान का विवरण - जिनेलीजिकल रिजर्व 22,87,400 टन, माईनेबल रिजर्व 12,74,880 टन एवं रिक्वैरिबल रिजर्व 12,10,822 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,888 वर्गमीटर है। खान कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की अनुमति अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में कुमरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 30,000 घनमीटर है, जिसमें से 8,000 घनमीटर कुमरी मिट्टी की 7.5 मीटर (माईन सारफ्टी) क्षेत्र में पीलावन कुमरीयन के लिए उपयोग एवं शेष 28,000 घनमीटर कुमरी मिट्टी को लीज भूमि के समीपस्थ सहमति प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 138, एका 3.14 हेक्टेयर) में संशोधित किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की अनुमति आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्थापित किया जाना अनुमति

नहीं है। जैक डीमर से डिजिटल एवं कंट्रोल प्रसारित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ़्यूज़र किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित परखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित परखनन (टन)
प्रथम	2,00,000
द्वितीय	2,00,000
तृतीय	2,00,000
चतुर्थ	2,00,000
पंचम	2,00,000

- जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोयलर के माध्यम से की जायेगी। इस वास्तु संप्टल वायुमंडल बोर्डर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
- कृषासेवा कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1500 मग कृषासेवा कृषासेवा किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए राशि 75,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 1,00,000 रुपये, खाद एवं जल डिफ़्यूज़र के लिए राशि 40,000 रुपये, राख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,39,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,78,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में परखनन कार्य नहीं किया गया है।
- कोरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माध्यम विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
35	2%	0.7	Following activities at Village- Eragoon	
			Pavitra Van Niman	0.7
			<b>Total</b>	<b>0.7</b>

- सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (कठार, कटन, कपड़ा, जालुन, नीम, आम) कृषासेवा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 मग पीछी के लिए राशि 30,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 30,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये, राख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,12,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,52,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत ईनामाय के सहमति उपरोक्त प्राप्त पंचायत ईनामाय के

अभिहित साम प्रकृति में कथ्योक्त स्थान (खसत प्रमांक 55, क्षेत्रफल 0.34 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के द्वारा दिनांक 01/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर होने का उल्लेख है। कार्यालय कलेक्टर (खनि साखा), जिला-मोहला-समनु-अंचलद्वीपी द्वारा 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण के संबंध में जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थित होगा बताया गया है। इस संबंध में स्थिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनि साखा) से प्रमाणित कराकर वन विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र में आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी का उल्लेख होने बाबत सन्धीकरण लगाया जाना आवश्यक है।
19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित लीज क्षेत्र में कुल 5 नग एवं लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में प्लात 4 नग, सेन्टा 2 नग एवं सीताफल 3 नग, इस प्रकार आवेदित लीज क्षेत्र के मीटर कुल 14 नग पूरा है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कृषि की कटाई स्थान अधिकारी से अनुमति प्राप्त ही किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. जमीन मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सन्धीकरण प्राप्त भूमि में परिवर्तित कर संरक्षित रखे जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःस्थाप कार्य में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्यावरणिक असर उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल विद्युत का ही व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सभन कृषारीकरण किये जाने एवं उक्त कृषि का 60 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. कंट्रोल स्टाफिंग का कार्य निस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल सन्धीकरण नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायस्कोपी विस्तर द्वारा सन्धीकरण का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, नहर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकासी के संरक्षण एवं संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विषय इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लकित नहीं है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विषय नाला सरकार, कार्यालय, वन और जलवायु परिवर्तन

संकाय की अधिसूचना क्र. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लेख का प्रकरण लक्षित नहीं है।

28. परिषद् द्वारा प्रस्तावक द्वारा राम पंचायत इलाका के अधिकृत द्वारा प्रकल्प में सी. ई.आर. के अंतर्गत चिह्न बन निर्माण के लिए 500 मग वृक्षारोपण किये जाने एवं कम से कम 5 वर्षों तक देख रेख किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. कार्यालय वनसम्पद अधिकारी, राजनांदगांव वनसम्पद, राजनांदगांव के द्वारा दिनांक 01/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर होने का उल्लेख है। कार्यालय कलेक्टर (अग्नि साखा), जिला—मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी द्वारा 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं के संबंध में जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थित होना बताया गया है। इस संबंध में आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (अग्नि साखा) से प्रमाणित करवाकर वन विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र में आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी का उल्लेख होने बाबत सश्रीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. जलसंधारण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को संजचार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित जानकारी/प्रस्तावक द्वारा होने उपरोक्त जानकारी कार्यालय की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., जलसंधारण के द्वारा दिनांक 21/02/2023 के परिषद में परिषद् द्वारा प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/03/2023 की जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 30/05/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई थी—

1. कार्यालय वनसम्पद अधिकारी, राजनांदगांव वनसम्पद, राजनांदगांव के द्वारा दिनांक 01/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर होने का उल्लेख है। कार्यालय कलेक्टर (अग्नि साखा), जिला—मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी द्वारा 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं के संबंध में जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थित होना बताया गया है। इस संबंध में सश्रीकरण प्रस्तुत कर्ता हुए कार्यालय कलेक्टर (अग्नि साखा), जिला—मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी के द्वारा क्रमांक 28/अग्नि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 14/03/2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र क्रमांक 218 की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
2. जलसंधारण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को संजचार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा घट्टी में वृक्षारोपण कार्य के सश्रीकरण एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपर्टी/अग्नि/अग्नि, राम पंचायत के

पर्यावरणीय/प्रतिनिधि एवं जिला इलाक़ा या ज़िलास्तरीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यावरणीय/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं ए.ई.आर. की सीमा चट्टी में सुधारोन्मुख का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., सिविल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एपिलेसन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/06/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार किया गया:-

1. सर्वोच्च न्यायालय (सबि सि.आर.), जिला-मोड़ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के खाना इलाका नं. 28/स.सि.02/2022 राजगंजगांव, दिनांक 04/11/2022 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवंटित खदान (खान-जबकला) का रकबा 3.779 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की नहीं गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवंटित - मेसर्स जबकला अडिगनी स्टोन क्वारी (प्रो- श्री संतोष राम), खान-जबकला, तहसील-मानपुर, जिला-मोड़ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के खदान इलाका नं. 139(ए.टी), 140/2, 140/4, 140/5, 141/1 एवं 141/2 में किया संचालन पथ (पीथ खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 3.779 हेक्टेयर, क्षमता - 2,00,000 टन (1,00,000 क्वी.मीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिसिद्ध-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण द्वारा आकलन अतिकल्प (एच.ई.आई.ए.ए.) ज़िलास्तरीय को उपरोक्तानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स महावीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मिनेकोइला अडिगनी स्टोन क्वारी, जौपुरेसर- श्री सुनील जैन), खान-मिनेकोइला, तहसील-अंबागढ़ चौकी, जिला-मोड़ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (लिकालय का पत्ता नं. 2181)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एचआईए/ सीजी/ एचआईएन/ 402-432/ 2022, दिनांक 07/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित संचालन पथ (पीथ खनिज) खदान है। खदान खान-मिनेकोइला, तहसील-अंबागढ़ चौकी, जिला-मोड़ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी निम्न खाना इलाका नं. 453/3, 450/1, 450/2, 450/3, 451/1, 451/2, 452,

493 एवं 495, कुल क्षेत्रफल-2.75 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित छत्तनन क्षमता-40,000 टन (20,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

खदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.डी.ए.सी. फ्लोरीनागढ़ के डायन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील जैन, कार्यकारी अधिकारी हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. डायन पंचायत का अप्रार्थित प्रमाण पत्र - छत्तनन एवं उत्तर की स्थापना के संबंध में डायन पंचायत नीचेहोखड़ा का दिनांक 30/04/2022 का अप्रार्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. छत्तनन योजना - जारी प्लान (प्लानिंग विंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एम्बेडेड क्वार्टी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (खनि प्रसा.) संचालकालय, पीपिणी तथा खनिकर्ष, नया रायपुर अटल नगर के डायन क्र. 4081/खनि 02/सा.प्ल.अनुमोदन/न.उ.05/2019 (3) तथा रायपुर, दिनांक 15/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-मोहला-रायपुर-अंबोली के डायन क्रमांक 3/ख.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 12/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में दिनांक 09/09/2013 के बाद कोई भी राजनिपेट्टा स्वीकृत नहीं है, का लेख है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में दिनांक 09/09/2013 के पूर्व एवं उसके पश्चात् के खदानों को शामिल करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित कराते हुए संशोधित 500 मीटर की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-मोहला-रायपुर-अंबोली के डायन क्रमांक 3/ख.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 12/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, कालवर्ट, राजमार्ग, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल, नदी, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। मिट्टी तालाब 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
6. एन.डी.आई. संबंधी विवरण - एन.डी.आई. मेसर्स महावीर इंडिया प्राइवेट, कोयलेक्टर-श्री सुनील जैन के नाम पर है, जो कार्यलय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 1545/ख.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 10/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी किताब जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसत क्रमांक 453/3, 491/1, 491/2, 492, 493 एवं 495 श्री खेतदास, खसत क्रमांक 490/1 श्री बंसीधर, 490/2 श्री खोखाहर

एवं 490/3 की बंदरान की नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्राप्त किया गया है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्राप्त की गई है।
9. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र – कार्यलय वनस्पतल अधिकारी, राजनांदगांव वनस्पतल, जिला-राजनांदगांव को आपन क्र./पा.वि./र.क्र. 10-1/2022/4322 राजनांदगांव, दिनांक 10/08/2022 में जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय ग्राम-नीचेकोइका 150 मीटर एवं अस्पताल अम्बानइ वीकी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। तालाब 50 मीटर दूर है।
11. परिसरिथितीय/जैवबिबिधता संवेदनशील क्षेत्र – परिसरिथितीय प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमवालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुंड एरिया, परिसरिथितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवबिबिधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रविशेदित किया है।
12. खनन संघदा एवं खनन का विवरण – जिथीलैतिकल रिजर्व 18,50,000 टन, माईनेफल रिजर्व 8,32,848 टन एवं रिजर्वलेवल रिजर्व 8,28,148 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रविशेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,842 वर्गमीटर है। आपन कास्ट रोपी मेरीनाईज्ड मिनि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की अनामति अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में कपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गांवा 18,000 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संघदित आयु 18 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्तर स्थपित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 2,388 वर्गमीटर है। जैक हेमल से डिडिनि एवं अस्तिति किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव किया जाएगा। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,000
द्वितीय	40,000
तृतीय	40,000
चतुर्थ	40,000
पंचम	40,000

13. जल आपूर्ति – परिसरिथितीय हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल से संभव से की जावेगी। इस बाबद् पीपुल बाउण्डरी वीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया गया है।
14. कुशांशेपन कार्ड – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,400 नम कुशांशेपन किया जाएगा। परिसरिथितीय प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से 10 मीटर पर्यावरणीय प्रदूषण रोकना के लक्ष्य निम्नानुसार कार्ड प्रस्तावित है:-



विवरण		अवधि (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान की बाधकता में (1,400 वर्ग) कुआरोपन हेतु	कुआरोपन (50 इतिहास जीवन पर) हेतु राशि	70,000	32,000	32,000	7,000	7,000
	सेटिंग हेतु राशि	20,000	—	4,000	—	8,000
	सिंचाई एवं खाद हेतु राशि	25,000	10,000	24,000	10,000	9,000
	पक्क-सड़ान हेतु राशि	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
<b>कुल राशि = 3,84,000</b>		<b>1,39,000</b>	<b>68,000</b>	<b>70,000</b>	<b>41,000</b>	<b>48,000</b>

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उलखनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उलखनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at nearby, Village- Neechekohda	
			Pavna Van Niman	3.05
			<b>Total</b>	<b>3.05</b>

सी.ई.आर. के अंतर्गत "चरित्र एवं निर्माण" के तहत (जोड़ना, कटान, बस दीवार, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कुआरोपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 वर्ग मीटरों के लिए राशि 45,000 रुपये, सेटिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 25,000 रुपये, पक्क-सड़ान आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,08,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,08,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान पंचायत नीचेकोहड़ा के सहयोगी उपरोक्त पर्यावरणीय स्थान (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 452, क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खान पंचायत द्वारा उपरोक्त वास्तविक भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले कुआरोपन के पश्चात् कम से कम 5 वर्षों तक देख-रेख किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से कम से कम 200 मीटर से अधिक की दूरी पर खान की स्थापना किये जाने वाला सत्य पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का अन्वेषण उपखोप न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपखोप नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि में प्रदूषित नहीं किये जाने एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
20. कर्नाट भसनिटिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना के दिन-दिन खातों से स्युजिस्टिबल डस्ट वासर्जन होगा, उन खातों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र को अंदर एवं बाहर सख्त वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित वृक्षों का सालाना रिपोर्ट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाधमूठी विनियमों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्तावना का प्रकरण ललित नहीं है।

समिति द्वारा तलाश सरसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. उपरोक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में दिनांक 09/09/2013 के पूर्व एवं उसके पश्चात् के खदानों को शामिल करती हुए खनिज विभाग से प्रमाणित करती हुए संतोषित 500 मीटर की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. उपरी मिट्टी के रक-संरक्षण हेतु उपरी मिट्टी प्रबंधन योजना की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., धर्तीसमूह के द्वारा दिनांक 28/01/2023 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(ब) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शान्ख), जिला-सोहला-मानपुर-अंशगढ़ चौकी के हासन क्रमांक 32/स.लि.02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 17/08/2023 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित सद्सय खदानों की संख्या निरंक है।
2. अरार में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अरार को दिन रोड से अरार किवा जाएगा। साथ ही अरार सडेशन हेतु जल विकरार किवा जाएगा एवं खदान के नारी और कुशारेण किवा जाएगा।
3. लीज क्षेत्र में कपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,000 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार कपरी मिट्टी की लीज की 7.5 मीटर मोठी लीमा पट्टी (अरारण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में कालकर कुशारेण हेतु लखीग किवा जाएगा तथा कपरी मिट्टी को काम पंचायत नीवेकोहडा से सडसति प्राप्त भुनि (खसरा क्रमांक 452, क्षेत्रफल 0.885 हेक्टेयर) में सडसति बन सडसित रखा जाएगा।
4. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की लीमा पट्टी में कुशारेण कार्य के सीमितरिन एवं परीक्षण हेतु त्रि-खीय समिति (अंशगढ़/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अलीसगढ़ पदावरण संरक्षण सडसल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) सडसित किवा जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की लीमा पट्टी में कुशारेण का कार्य पूरुं किवे जाने के उपरंत सडसित त्रि-खीय समिति से सडसित कनाया जाना आवश्यक है।
5. नाननीय एन.जी.टी., डिस्पोसल क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सार्वेड पार्षेय विस्डूड भारत सरकार, पदावरण, वन और जलवायु परिकारन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंशगढ़नाल सुविखेक्षण नं. 188 जीका 2018 एवं अन्य) से दिनांक 13/08/2018 को सडसित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दीसित किवा गया है—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सडसितासति से निम्ननुसार निर्नीय लिवा गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शान्ख), जिला-सोहला-मानपुर-अंशगढ़ चौकी के हासन क्रमांक 32/स.लि.02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 17/08/2023 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित सद्सय खदानों की संख्या निरंक है। आवंटित खदान (ग्राम-नीवेकोहडा) का रकबा 2.75 हेक्टेयर है। खदान की लीमा से 500 मीटर की परिधि में सद्सय लीकृत/संसडसित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 क्षेत्री की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सडसितासति से आदेशक — मेसर्स महावीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नीवेकोहडा आडिनीगी सडीन कारी, अंशगढ़ना- श्री

कुशील (वन) की घास-पीछेजोडका, लहरील-अंभानड़ चौकी, जिला-सोहल-बानपुर-अंभानड़ चौकी के खसत क्रमांक 453/3, 490/1, 490/2, 490/3, 491/1, 491/2, 492, 493 एवं 495 में स्थित बाघारण उपखण (नौम खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल - 2.75 हेक्टर, क्षमता - 40,000 टन (20,000 मॉनोटोर) प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-02 में वर्णित शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

उक्त राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसापत्र को तदनुसार सुधित किया जाए।

1. मेसर्स नंदन स्लेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, घास-बनसदा, लहरील-सोहल, जिला-बानपुर (सचिवालय का पता क्रमांक 1584)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्ण में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 81888/ 2021, दिनांक 11/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 407080/2022, दिनांक 28/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा घास-बनसदा, लहरील-सोहल, जिला-बानपुर स्थित खसत क्रमांक 508/1, 508/2, 508, 507, 508/1, 508/2, 510/1 एवं 510/3, कुल क्षेत्रफल - 4.123 हेक्टर में प्रस्तावित खंड आवरण प्लांट (सीआरआई किल्ला 180 टीपीसी & 1 नए) क्षमता - 82,700 टन प्रतिवर्ष, इम्प्लान्ट कर्नेस किंग सीसीएम (एनएस इनाइट/डिलीटर्स) (10 टन x 3 नए) क्षमता - 99,000 टन प्रतिवर्ष, सेंट्रियल वॉटर प्लांट (विस्ट हीट निकटवर्ती सीपलर) - 4.6 मेगावाट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना हेतु विनिर्देश का कुल लागत 70 करोड़ होना।

एन.ई.ए.सी. प्रतीसापत्र के ज्ञापन क्रमांक 800, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' संशोधन का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्म ऑफ रिकॉर्ड (टीओआर) खंड ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट खंड प्रोजेक्ट्स/एस्टीमेटेड रिस्कअसेस इनापलैट क्लीयरेंस अन्वय ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित शर्तों (अं) का स्टैम्पड टीओआर (लोक सुनवाई संहिता) सैटालाजिकल इम्प्लान्ट्स (केएस एम्ड नोन-केएस) हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी. प्रतीसापत्र के ज्ञापन दिनांक 29/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 28/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमल अग्रवाल, सी.ई.ओ. एवं पर्यावरण सलाहकार को स्वयं से मेसर्स एनालीन सेक्टरल प्राइवेट लिमिटेड, बानपुर की ओर से श्री श्रीकांत श्री अग्रहारे उपस्थित हुए। समिति द्वारा पता, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. निकटतम स्थित किसानों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आवासीय घाट-परसदा 1.1 कि.मी. एवं राहुर रासपुर 38 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तिलवा 3.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्थानीय विमानतट विमानचालन, माना, रासपुर 40.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.97 कि.मी. दूर है। जिलाई सुपवा आवसित वन 3.9 कि.मी. एवं जिलाई आरक्षित वन 1.2 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिक्वरी पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

2. भू-स्वामित्व – पूर्व में भूमि मेसर्स नंदन वाली पाइपर्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम पर था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि संबंधी दस्तावेजों में नाम परिवर्तन करवाकर मेसर्स नंदन स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से भूमि संबंधी दस्तावेज जारी किया गया है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लेन्ड इरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Proposed Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Bullup Area	0.851	20.64
2.	Road and paved Area	0.23	5.58
3.	Green Belt	1.66	40.02
4.	Open Area	1.31	31.77
5.	Reservoir	0.054	1.31
6.	Parking	0.028	0.68
Total		4.123	100

4. ची-पेटेणियल –

Raw Material requirement for Induction Furnace Division				
S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transportation
<b>A</b> For Sponge Iron Plant				
i.	Iron Ore	1,90,320	Odisha Iron Ore Mine & NMDC	By rail and road (through covered trucks)
ii.	Coal	94,050	SECL Coal Mines	
iii.	Lime Stone / Dolomite	3,135	Open market	By road through covered trucks
iv.	Refractory Material	600	Open market	By road through covered trucks
<b>B</b> For Steel Melting Shop				
i.	Sponge Iron	99,000	Captive production / Local Market	Internally available / By road through covered vehicles
ii.	Pig Iron / CI scrap	12,247	Local Market	By road through covered vehicles
iii.	Melting Scrap	2,000	Captive	Internally available /

			Generation / Local Market	By road through covered trucks
iv.	Ferro Alloys	198	Local Market	By road through covered vehicles
v.	Aluminium	49.5	Open Market / Balco	
vi.	Ramming Mass	495	Open Market	
vii.	Steel Sheet Former	495	Open Market	
viii.	LDO for Ladle Preheating	99	Open Market	
<b>Raw Material requirement for Hot Charging Rolling Mill</b>				
	Hot Billet	99,000	-	Internal transfer from own induction furnace and CCM

5. प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Product	Facility	Capacity
1.	Sponge Iron	DRF kiln (190 TPD X 1 no)	62,700 TPA
2.	MS Billets	Induction Furnace with CCM (10 MT X 3 no's)	99,000 TPA
3.	Captive Power	WHRRB with TG set	4.5 MW

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – डीआरएफ़ किलन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ईएचपी के साथ 87 मीटर ऊंची चिमनी एवं 4 नम बेस कलेक्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। स्टील मेल्टिंग शॉप में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कूलिंग सखान हूड एवं बेस कलेक्टर के साथ 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इन्डक्शन मेल्टिंग फर्नेस ड्रुमिबल में स्मॉक हूड और आईडी/एचपी शॉप के साथ बेस कलेक्टर के माध्यम से डस्ट कलेक्टर स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लहत् पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सालान्ध घनमीटर से कम होना प्रस्तावित है। स्तुतिविल डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाएगा।

7. ठोस अपशिष्ट उपपहन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Quantity (in TPA)	Method of Disposal
1.	Char Dolochar	18,810	Sold to Cement Plant / Power Plant
2.	Bottom Dust Ash	31,350	To be given for Brick making
3.	Kiln Accretion & Refractory Waste	564	Given to refractory recycling units / Used in Brick making and low lying areas
4.	Defective Billets	2,080	Used as molting in own plant/Sold outside Rolling mills
5.	Mill Scale	990	Used in Ferro Alloys as raw material sold to Ferro Alloys / Pellet Plants

6.	Slag from Induction furnace	12,127	Used in metal recovery units own/outside. Grinded slag will be used in Brick manufacturing unit
7.	Refractory & Ramming Mass Waste	248	Given to refractory recycling units / used in Fly ash brick making unit / landfill
8.	STP Sludge	08	Used for Composting and then applied for Green Belt

8. इलाइन (Hazardous) अपशिष्ट उपचार व्यवस्था—

Type of Hazardous Waste	H. W. Category (as per HWM Schedule 1)	Quantity	Disposal
Waste Oil/Used Oil	5.1	2 KL/annum	Will be given to authorized recycler having authorization from competent authority.
ETP Sludge	35.3	25 TPA	Given to Cement Plants or used in Brick making. The sludge will not have any Toxic Chemicals. Mostly will be Calcium, Magnesium, Silica Hardness Sulfate and Iron Oxide.

9. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- जल खपत एवं स्रोत — परियोजना हेतु कुल 310 घनमीटर प्रतिदिन (संयंत्र आगार हेतु 80 घनमीटर प्रतिदिन, एमएस क्लिंटर हेतु 88 घनमीटर प्रतिदिन, कोरिडोर पीपर प्लांट हेतु 123 घनमीटर प्रतिदिन, परिसर जनरेशन हेतु 9 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग एवं सिंक्रलिंग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति मू-जल से की जाएगी। मू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — कोरिडोर पीपर प्लांट से 18 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसके उपचार हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी./ म्यूटिलेसिडेशन टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को बस्ट सस्टेन एवं ऐच/स्लेज ऑसिंग में उपयोग किया जाएगा। संयंत्र आगार, इन्फ्रस्ट्रक्चर फर्निश आदि इकाईयों से कुलिंग जलगत उत्पन्न दूषित जल को टैंक कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न फ्लू दूषित जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीडिंग ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शुष्क निस्कारण की स्थिति रखी जाएगी।
- मू-जल उपयोग प्रबंधन — परियोजना स्वतः सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड की अनुमति लेक जॉन में अंतरा है। जिसके अनुसार—

(ख) कुचद एवं मध्यम चट्टानों को कम से कम 40 प्रतिशत पुनित जल का पुनःसंचयन एवं पुनःसंचयन किया जाना है।

(घ) बाधस्थ खतर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हावीनिंग / ऑटिडिफिशियल जल रिचार्ज को अक्षर पर पुनः-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल बाधस्थ खतर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हावीनिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

10. प्रस्तावित इकाई हेतु प्रदूषण भार की गणना संबंधी विवरण -

Stack Emissions details of all stacks (CONTROLLED)				
Stack attached to	Height	PM (TPA)	SO <sub>2</sub> (TPA)	NO <sub>x</sub> (TPA)
Induction (99,000 TPA) 1 stack	33	2.57	-	-
Sponge iron plant 62700 TPA (150 TPD x 1) 1 stack	57	17.11	171.07	57.02
DG sets 2x550 KVA	10	0.57	0.03	11.40
(UNCONTROLLED)				
Induction (99,000 TPA) 1 stack	33	262.3	-	-
Sponge iron plant 62700 TPA (150 TPD x 1) 1 stack	57	1,876.51	-	-
DG sets 2x550 KVA	10	68.45	-	-

11. रेन वॉटर हावीनिंग व्यवस्था - उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल स्तरीय 17,484 घनमीटर प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित रेन वॉटर हावीनिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नम रिचार्ज पिट (जहाँ 3 मीटर चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हावीनिंग व्यवस्था परभाव परिवर्तन के पूर्व स्तरीय को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें संचयन मात्र में वर्षा जल का बहाव ही सहे।

12. विद्युत आपूर्ति स्रोत - परियोजना हेतु 11 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसमें से 4.8 मेगावाट सेंट्रल वॉटर प्लांट से एवं शेष 6.2 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति प्राचीनतम राज्य विद्युत विितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नम 550 से.की.ए. क्षमता का डी.जी. पेट स्थापित किया जाएगा।

13. कुचरोपन संबंधी जानकारी - इतिहासिक डेटा के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.65 हेक्टेयर (40.02 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,125 नम पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर कुचरोपन हेतु पौधों, पेंडिंग, खाद एवं मिटाई तथा सब-खाद को लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार अध्ययन का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विस्तार:-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2020 से फरवरी 2021 के मध्य किया गया है। साथ ही 15 अक्टूबर 2021 से 14 नवम्बर 2021 के मध्य अतिरिक्त 1 माह का मॉनिटरिंग कार्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर पुनः-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन,



7 स्थलों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 8 स्थलों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. ई.आई.ए. पट्टी के परिचाली के अनुसार पीएन, एक्साई, एनडी, का मान्यता लेवल—

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>10</sub>	17.5	35.0	80
PM <sub>2.5</sub>	4.9	9.8	100
SO <sub>2</sub>	5.0	12.2	80
NO <sub>2</sub>	7.0	26.0	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दस्तावे में टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, कल्चर, कार्बोनेट्स, आर्गेनिक, लेड एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मान्यता लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L <sub>eq</sub>	45.1	60.8	75
Night L <sub>eq</sub>	37.2	52.5	70

जो जस्त स्तर के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की मान्यता— नयी बाहरी / मल्टीएकल डीपी बाहरी की समर्पित कनो हूवे ट्रेडिंक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 764.8 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 813.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। उपरांत कुल 8,337.5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/मी अनुपात (ATC ratio) 0.50 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 01/04/2022 दोपहर 02:00 बजे स्थान — ग्राम पंचायत परसादा, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, जलसंचयन पर्यावरण संरक्षण मंडल, महा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की तब दिनांक 28/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
16. जासूसीकरण के दौरान समिति द्वारा नोट किया गया कि जन सुनवाई में ज्वारीय निवासियों द्वारा इस उद्योग की स्थापना का विरोध किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपचार के संबंध में सारणीबद्ध अन्य अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के बुझानुसार सारणीबद्ध अन्य हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सचिव विस्तार से कार्य प्रपत्रात किन्तानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7000	2%	140	Following activities at nearby, Village-Bhursuda, Parsada, Belari & Jota	
			Eco Park Cum Geysons	140
			<b>Total</b>	<b>140</b>

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क कम जॉइन्टिजोन" (आवारा, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु चार ग्रामों तथा पलासा, जोता, भुरसुदा एवं बेलारी के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 वर्ग मीटरों के लिए प्रति 5,50,000 रुपये, पेंसिंग के लिए प्रति 1,64,200 रुपये, खाद के लिए प्रति 50,000 रुपये, सिंचाई के लिए प्रति 1,00,000 रुपये, सिंचाई तथा लक-रखाव आदि के लिए प्रति 9,40,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 18,04,200 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 18,88,000 रुपये हेतु (प्रति 38,00,200 रुपये प्रति ग्राम) घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अतः चार ग्रामों हेतु कुल प्रति 1,40,00,800 रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जोता, भुरसुदा एवं बेलारी के सहमति उपरंत पंचायतीय स्थान (क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर प्रति ग्राम) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। उक्त के संबंध में उचितता का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भुरसुदा के सहमति उपरंत पंचायतीय स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) एवं प्रत्येक ग्रामवार खसरा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. समिति का मत है कि निकटतम आबादी ग्राम-पलासा 1.1 कि.मी. तक कंटीट रोड बनाये जाने बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसाध्वी के निम्नानुसार निर्देश दिया गया था-

1. संबंधित ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए।
3. निकटतम आबादी ग्राम-पलासा 1.1 कि.मी. तक कंटीट रोड बनाये जाने बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. विनियोग की कुल लागत का डेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
5. उपयोग परिसर के भीतर कुआरूपन हेतु पीपी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा लक-रखाव के लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन चर के अंतर पर) का घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव (सी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किमनी की कंटाई नामक सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. प्रस्तावित परिवोजना के सी-स्टैटिडल / डोक्यूमेंट के परिचयन से पी.सी.यू. में वृद्धि होने से परिवेसीय वायु गुणवत्ता (पी.एम. एच.डी., एवं एन.डी.) की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रस्तुतीकरण को दौरान समिति द्वारा नोट किया गया कि जन सुनवाई में स्थानीय निवासियों द्वारा इस परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान जहाँ पर विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में भारतीय प्रजातंत्र अधिनियम (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार भारतीय प्रजातंत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत आम पंचायत परसदा की सहमति उपरंतत अवलोकन स्वाम (जोता एवं बेलाही सहित) एवं प्रत्येक ग्रामवार (जोता, भुसुदा एवं बेलाही) स्वामा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ग्रामवार (परसदा, जोता, भुसुदा एवं बेलाही) सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रत्येकस्वाम रिपोर्ट (सी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरंतत वरिधत जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंतत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. प्रतीसमद के स्वाम दिनांक 22/02/2023 के परिचय में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(रु) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 19/06/2023:**

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. आम पंचायत का अनुपस्थित प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जो अकिराधीन है। इस संबंध में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा तय पत्र (Notarized acknowledgment) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार "परिवोजना में स्वामा का कार्य आम पंचायत से एन.डी.सी प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जाएगा। बिना आम पंचायत की एन.डी.सी के परिवोजना में स्वामा एवं निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा।" का उल्लेख है।

साथ ही परिवोजना प्रस्तावक का स्वाम है कि पर्यावरण स्वीकृति पत्र से परिवोजना की स्वामा संभव नहीं है अकिरु स्वामा हेतु आम, पर्यावरण संरक्षण संकल से जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्वामा सम्मति भी आवश्यक है एवं इस स्वामा सम्मति हेतु आम पंचायत की एन.डी.सी एक अनिवार्य अर्हता है, तदैव किना आम पंचायत की एन.डी.सी के स्वामा सम्मति भी प्राप्त नहीं हो सकती तदैव परिवोजना की स्वामा का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है।

अतः मार्ग पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि वर्तमान में संबंधित आम पंचायत का अनुपस्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. भूमि मेसर्स नंदन स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। इस हेतु भूमि संबंधी की-1 प्रस्तुत किया गया है। भूमि की मेसर्स नंदन प्राची सख्तवा प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स नंदन स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर परिवर्तन किया

गया है, इस नामांतरण आवेदन हेतु "संजय अनुसूचित पत्र" प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भूमि कायमशीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस अवसर का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि "परियोजना की स्थापना के साथ ही परियोजना के पट्टे के मार्ग अर्थात् राष्ट्रीय रोड के परसदा गांव तक लगभग 1 कि.मी. की (जिसके साथ परियोजना स्थल भी प्रस्तावित है) की 8 मीटर की जारसीसी रोड कम्पनी द्वारा बनाया जावेगा तथा उसका रख-रखाव भी किया जावेगा। वह कार्य पर्यावरण स्वीकृति एवं जल एवं वायु अधिनियम के तहत स्थापना सम्मति स्वीकृति के परसदा प्राप्त किया जावेगा तथा संचालन सम्मति के पूर्व रोड का निर्माण को पूर्ण कर लिया जावेगा।"

- निर्माण की कुल लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार:-

Particulars	Amount (In lakh Rs.)
Land and Site development	300
Building and Civil	1,100
Plant and Machinery	4,800
Mac. Fixed Assets	150
Electrical Installation	350
Pre and Pre-Operative	150
Contingencies	150
<b>Total</b>	<b>7,900</b>

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्रीन कट की वारंटी दूने ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। परंतु उद्योग परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पीपी, पॉपिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षी (50 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का सटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार चिमनी की ऊंचाई की गणना स्पेज आवरण किलन में लगने वाले कोयले (24,000 टन प्रतिवर्ष के आधार पर) तथा उससे सम्बंधित साक्षर (0.5 प्रतिशत) की मात्रा के आधार पर किये जाने के कारण प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 57 मीटर रखी गई है। इसके अतिरिक्त इण्डियन कर्नेल में किसी प्रकार के ईंधन का उपयोग न होने के कारण नियमानुसार 23 मीटर ऊंचाई की चिमनी पर्याप्त है।

- संपन्न आवरण में पार्टिकुलेट मेटर का एकराशन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 17.11 टन प्रतिवर्ष तथा इण्डियन कर्नेल में पार्टिकुलेट मेटर का एकराशन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 2.83 टन प्रतिवर्ष होगी। समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना के पी-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन से पी.पी.यू में वृद्धि होने से परिवेशीय वायु गुणवत्ता (पी.एन.एसओ, एवं एन.ओ<sub>2</sub>) की मात्रा में होने वाले परिवर्तन हेतु जी.एल.सी. सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- जल सूनवाई में स्थानीय निवासियों द्वारा इस उद्योग की स्थापना का विरोध विभिन्न प्रकार के सम्बंधित प्रदूषकों के कारण था। अतः जलसूनवाई के दौरान कुछ रकम में निम्न मुद्दाय/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. एसीन की स्थापना से वायु प्रदूषण होगा।
- ii. जल का स्त्रीत एवं जल प्रदूषण होगा।
- iii. सड़कों पर अवागमन से दुर्घटनाएँ होंगी।
- iv. कृषि पर प्रभाव पड़ेगा।
- v. स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा।
- vi. धान सभा का अनपेक्षित प्रभाव पर जांच किया जाना आवश्यक है।
- vii. सीईआर के तहत निवास कार्य किया जाना चाहिए।
- viii. स्वास्थ्यिता के आधार पर संबंधित धानों के लोगों को ही रोजगार दिए जाना चाहिए।

सीक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है—

- i. परियोजना में पर्यावरण प्रबंधन योजना अर्थात ईएसपी के तहत लगभग 8.9 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईएसपी, बैग फिल्टर, सिंक्लर्स, वागिंग मशीन, स्वीपिंग मशीन आदि तथा आंतरिक परसे मशीन का भी प्रस्ताव है।

परियोजना में सज्ज आचलन प्लांट से निकलने वाले धुएँ की मशीन का उपयोग कर कन्स्यूएबलआरबी के द्वारा विद्युत बनाना प्रस्तावित है। वहीं सज्ज आचलन प्लांट से उत्पन्न होने वाले धुएँ का निबंधन होगा। तत्पश्चात् ईएसपी के माध्यम से निर्धारित मानकों तक कुलकुल निबंधन करना प्रस्तावित है।

परियोजना में पार्टीकुलेट मैटर इमीशन (सूक्ष्म कणिकाएँ) को सीमित रखने के लिए 50 मिमीघाम/सामान्य धनमीटर के स्थान पर प्लटाकर 30 मिमीघाम/सामान्य धनमीटर रखने का प्रस्ताव है। जिस हेतु 4 सील्स के ईएसपी तथा उच्च दक्षता के बैग फिल्टर का प्रस्ताव है। इस हेतु ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रस्तावित है जो कि सीईसीबी/सीडीसीबी सर्वर से जुड़ा रहेगा। वहीं परियोजना से आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रदूषण निर्धारित स्तरों के अनुरूप ही रहेगा। इस हेतु ईआईई में वास्तविक मानना की गई है तथा संबंधित प्रभाती के स्तर हेतु पर्याप्त समनकारी उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं परियोजना से आसपास के क्षेत्र में जलब नग्न होगा।

- ii. परियोजना हेतु जल का स्रोत भूमिगत जल होगा। परियोजना स्थल केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के अनुसार लेक ज़ोन में आता है। केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण से विभिन्न अनपेक्षित प्रभाव की गई है तथा उसके समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार लेक वाटर हावीस्टिंग किया जायेगा। परियोजना द्वारा परियोजना स्थल तथा आसपास के क्षेत्र में वर्षाजल का रिचार्ज किया जायेगा, जिससे सकारात्मक परिणाम होंगे। जल का उपयोग मुख्यतः सींचलन हेतु आवश्यक होगा, जिस हेतु क्लोउड सर्विड कृषिग मिस्टन का उपयोग किया जायेगा।

ii. परियोजना में उपयोग होने वाले बालकों से दुर्घटनाओं से बचाव हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे - बालकों का वेध जायसीत होना अनिवार्य होगा। बालकों को समय-समय पर सुदृष्टित बालन बालन हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा। नष्ट की आस्था में बालन बालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उचित रखरखाव वाले बालनों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जायेगी। सभी सामान इंद्रकर परिकल्पन किया जायेगा। यदि सीमा को निर्धारित रखने हेतु बालन बालकों का समय-समय पर प्रोत्साहित किया जायेगा। गतिशील में बैकडॉर्न एवं डैक मिल अनिवार्य होगा।

iii. परियोजना में ईएमपी के तहत पर्याप्त उपायों को अपनाये का प्रस्तावित है, जिससे परियोजना के आसपास के क्षेत्र में नगम्य प्रभाव संभावित है। यद्यु प्रदूषण के कठोर मानकों के साथ पर्याप्त उपाय तथा सूय निवारण के कारण आसपास के कृषि व दुग्धमय संभावित नहीं है। परन्तु यदि अमान्यकारीन परिस्थित कोई दुग्धमय होता है, तो प्रबंधन उसके बतलाई हेतु कृषकों को सहयता करेगा। प्रस्तावित परियोजना के आसपास के कृषि को सुधारने तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा उत्पादों के उचित मूय मिलने हेतु प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम चलाने उन्मत्त कृषि, जैविक कृषि आदि हेतु क्षमताओं को सहायता प्रदान करेगा।

परियोजना की स्थापना के साथ परियोजना में अपनाये जाने वाले पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं सीईआर तथा सीएमआर से आसपास के पर्यावरण पर न केवल प्रभाव नगम्य होगा। बल्क परियोजना से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण रोकनाही एवं अकार्यक रोकनाही से निश्चिती में सुधार होगा।

v. उद्योग का संचालन निम्न समत एवं से आवश्यक अनुमतिपत्र प्राप्त कर किया जायेगा। उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रबंधन हेतु कठोर मानकों का अनुपालन किया जायेगा ताकि जनजीवन पर कोई दुग्धमय नहीं पड़े। पूर्ण समता के स्थापना परचाल कुल 8.8 करोड रुपये ईएमपी पर व्यय प्रस्तावित है, जिससे आसपास के वातावरण पर परियोजना के प्रभाव नगम्य होने।

vi. वर्तमान जन सुनवाई प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य स्तरीय विशेष अंकन समिति के द्वारा ई आई ए नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत जारी टी.सी.आर. के अनुसार निर्मित ई.आई.ए हेतु ही ली है। उद्योग जन सुनवाई हेतु आम वंचागत की एन्वॉन्सी की आवश्यकता नहीं है। परियोजना स्थापना के पूर्व परियोजना स्थापना हेतु आम वंचागत की एन्वॉन्सी आवश्यक है।

vii. सीईआर का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य स्तरीय विशेष अंकन समिति के विमानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा। इन हेतु परियोजना में सीईआर के तहत पर्यावरण के सम्पदन हेतु ग्राम-नसदा, ग्राम-सुसुदा, ग्राम-बिलाड़ी एवं ग्राम-जोता में इसके चर्क ऑनसोजीन निर्माण किया जाय प्रस्तावित है। जिसके तहत कुल 340 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

viii. विविध बेटेजनाही को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

ix. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत आम वंचागत जोता, सुसुदा एवं बिलाड़ी में कुवनीय किये जाने बालत सहयती एवं समुदा

किया गया है, यद्यपि प्रस्तुत सहमति पत्र में वृक्षारोपण विधे जाने वाले स्थान का खारा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख नहीं है, तथा ही ग्राम पंचायत परदावा का भी सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि सभी ग्राम पंचायतों से वृक्षारोपण विधे जाने वाले स्थान का खारा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए सहमति पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है एवं प्रस्तावित ग्रामों में (दुधक-दुधक से दामदार) वृक्षारोपण विधे जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (50 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं सम्पवार खरा का विवरण विस्तृत प्रारम्भिक रिपोर्ट (सी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. संबंधित ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्रामीण परिवार के भीतर वृक्षारोपण हेतु पीछी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन दर के अन्तर्गत पर) का घटकवार खरा का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (सी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित परिवोजना के सी-स्टेरियल / टोबस्टा के परिवहन से पी.सी.यू. में वृद्धि होने से परिवेशीय वायु प्रदूषण (पी.एम. एस.डी. एवं एन.डी.) की मात्रा में होने वाले परिवर्तन हेतु जी.एन.सी. सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामों में (दुधक-दुधक से दामदार) वृक्षारोपण विधे जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (50 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं सम्पवार खरा का विवरण विस्तृत प्रारम्भिक रिपोर्ट (सी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों से वृक्षारोपण विधे जाने वाले स्थान का खारा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए सहमति पत्र प्राप्त किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिवोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेमार्स महाराज उद्योग (प्रो.- डी नरेश शर्मा), ग्राम-पारीद, तहसील-भाटापार, जिला-बलीदाबाजान-भाटापार (सचिवालय का नक्की क्रमांक 2190)

ऑनलाईन आवेदन - प्रवीण नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 400306/2022, दिनांक 13/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से ह्रास्य दिनांक 22/11/2022 एवं 28/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 17/12/2022 एवं 08/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल पत्तार (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पारीद, तहसील-भाटापार, जिला-बलीदाबाजान-भाटापार स्थित खारा क्रमांक 1378 एवं 1879, कुल क्षेत्रफल-2.487 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-87,142.5 टन प्रतिवर्ष है।

समानुसार परिवर्धन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. क्लीयरेंस के ज्ञान दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 45-वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:

अनुमोदन हेतु की गये शर्त, प्रोत्साहक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. घास पंचायत का अनधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घास पंचायत पानीपत का दिनांक 20/12/2022 का अनधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान एंडिंग विथ प्रोटेक्टिव माईनिंग क्लीयरेंस प्लान निक इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि, प्रसा.) जिला-बलीदाबाजार-भाटापार के पृ. क्र. ज्ञान क्रमांक 817/अमृतसर/02/2020 बलीदाबाजार, दिनांक 04/11/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्बोलेय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापार के ज्ञान क्रमांक 888/खनि-8/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 15/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्बोलेय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापार के ज्ञान क्रमांक 888/खनि-8/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 15/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुन, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बंध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.जी.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.जी.आई. मैसर्स महामाया सर्वेयर, प्रो.- श्री महेश शर्मा के नाम पर है, जो कार्बोलेय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापार के ज्ञान क्र. 795/खनि/खनि/2018 बलीदाबाजार-भाटापार, दिनांक 31/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी किंमत जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनधिकृत प्रमाण पत्र - कार्बोलेय वनसम्पदाधिकारी, बलीदाबाजार, वनसम्पदा बलीदाबाजार के ज्ञान क्रमांक/व.स.अ./खनिज/2020 बलीदाबाजार, दिनांक 21/10/2020 से जारी अनधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटवर्ती वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटवर्ती आबादी घास-पानीपत 2 कि.मी. एवं स्कूल घास-पानीपत 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कि.मी. एवं राजमार्ग 18.5 कि.मी. दूर है। सिवन्दा नदी 3.2 कि.मी. दूर है।



10. परिसिध्दिकीय/जैवसिध्दिकता सर्वेक्षणकील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिसिध्दिकीय सर्वेक्षणकील क्षेत्र या घोषित जैवसिध्दिकता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – डिपॉजिटिविजल रिजर्व 11,88,075 टन, माईनेबल रिजर्व 7,03,822 टन एवं निकलाव्यक्त रिजर्व 8,88,348 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,348 वर्गमीटर है। खोपन खासत सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 20,825 घनमीटर है, जिसमें से 2,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनर्स्थापन किया जाएगा तथा शेष 18,825 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र में लगी हुई खनन की भूमि (खासत खासत क्षमता 1877, लम्बा 8450 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बीच की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12.8 वर्ष है। जैक हेमन से डिजाइन एवं कंट्रोल ब्यारिटेज किया जाएगा। लीज क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिक्काव किया जाएगा। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	53,250
द्वितीय	60,150
तृतीय	52,350
चतुर्थ	58,050
पंचम	50,925

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेंट्रल हाउसिंग बोर्ड अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. पुनर्स्थापन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,100 मग पुनर्स्थापन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार चौकी के लिए राशि 1,28,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 2,03,000 रुपये, खाद के लिए राशि 21,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,99,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 2,50,800 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार जल का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षों आधारित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
48.30	2%	0.966	Following activities at Village - Pased	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	1.205
			Total	1.205

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब को घाटी और कुल 100 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। कुशासन हेतु (कचरा, पीपल, नीम, आम, जामुन, आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 8,500 रुपये, खैरिया के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार प्राम तर्ज में कुल राशि 77,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 43,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा घाम पंचायत वालीड का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। सविधि का मत है कि तालाब को घाटी और 100 नग पौधों का कुशासन किया जाना संभव है अथवा नहीं? के संकाय में गवर्नर से दस्तावेज तुरंत सम्पत्तीकरण तथा तालाब का घासत जमात एवं डीजल संशोधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. कपड़े मिट्टी को संरक्षित रखे जाने हेतु, विद्युत न बनने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःकरण हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे कुशासन घाम पंचायत के सहमति जमात किये जाने तथा उन पौधों का रख-रखाव प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में 2,100 नग कुशासन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. साईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सत्य कुशासन किये जाने एवं संमित पौधों का सनवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत डिस्कोटक साईनिंग धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना से दिन-दिन सवलों से पर्युजिटिव इस्ट रसाजन होगा, उन सवलों पर नियमित जल सिंचन का की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बालूझड़ी मिलन की शर्तों का कार्य सुनिश्चित किया जाने वाला समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. उत्तीर्णकारी द्वारा पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने हेतु समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिचोचना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलौपन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उत्तमम सर्वसम्पत्ति के निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत खदान के चारों ओर 100 मीटर की सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाना समय है अथवा नहीं? के संबंध में खदान में दखिरे हुए सर्वेक्षण तथा खदान का खसरा जमांक एवं क्षेत्रफल संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खोज क्षेत्र में स्थित कुओं की कटाई रखन अधिकारी के अनुमति उपरांत ही किये जाने वाले समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उत्तमानुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णकारी की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023 के परिणत में परिचोचना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/06/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अंशोक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई:-

1. प्रस्तुत खान पंचायत पंचायत के तहत समय अनुसार खदान के चारों ओर दीवार (खसरा जमांक 883, रकबा 1.487 हेक्टेयर) में 100 मीटर फलदार कुओं का रोपण किया जाना समय है। साथ ही भूमि संबंधी दस्तावेज (सी-1, पी-3) एवं खसरा फलदा प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित खोज क्षेत्र में स्थित कुओं की कटाई रखन अधिकारी के अनुमति उपरांत ही किये जाने वाले समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुरक्षा कार्य के सुनिश्चित एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोत्साईटर/प्रतिनिधि, खान पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं खान प्रशासन वा उत्तीर्णकारी पर्यावरण मंत्रालय के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुरक्षा कार्य का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. भारतीय एन.जी.टी., प्रिण्टिपल देस, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ऑनलाइन एप्लिकेशन नं. 188 डीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को चालित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कर्नालवा क्लस्टर (खनिज सारंग), जिला-बलीदासाजल-बाटापारा के ज्ञान क्रमांक 888/लीन-8/2022 बलीदासाजल, दिनांक 13/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (घान-पसीद) का एका 2467 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उससे कम होने से कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मान्य नहीं।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदक - मेसर्स महामाया खदान (प्री- बी ग्रेड सभ) को घान-पसीद, तहसील-बाटापारा, जिला-बलीदासाजल-बाटापारा के खसरा क्रमांक 1876 एवं 1879 में स्थित कुल चत्वार (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2479 हेक्टेयर, क्षमता - 87,142 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसीष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तयानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स टिकनपाल लाईन स्टोन ज्वारी (प्री- बी ग्रेड सभ), घान-टिकनपाल, तहसील व जिला-बलान (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2281)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एचआईएन/ 202013/2021, दिनांक 13/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एचआईएन/412813/2022, दिनांक 08/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई. ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल चत्वार (पीन खनिज) खदान है। खदान घान-टिकनपाल, तहसील व जिला-बलान स्थित खसरा क्रमांक 175/1, 175/3 एवं 180, कुल क्षेत्रफल-2.78 हेक्टेयर में से 2.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-83,500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी-1' श्रेणी का होने से कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टोन्स ई टर्न ऑफ रिजर्वेशन (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज क्लियरिंग इन्साप्लेट क्लीपरेड अम्बडर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टोन्स ई टीओआर (सीक सुन्वाई सहित) हेतु टी.ओ.आर जारी किया गया है।

उत्पादवार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलेशपुर के ज्ञान दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण —**

**(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन भानुशाली, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार को रूप में वेतार्ले परामर्श सर्विसेज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट, लखनऊ की ओर से श्री सुरेश मिश्रम याचनी जनस्थित हुए। समिति द्वारा याचनी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टिकनवाला का दिनांक 01/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — याचनी प्लान एम्ब याचनी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दीवाड़ा के ज्ञान क्रमांक 880/खनिज/उ.प./2021-22 दीवाड़ा, दिनांक 02/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञान क्रमांक 880/खनिज/खनि. 4/04/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 06/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 3.1 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञान क्रमांक 881/खनिज/खनि. 4/04/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 06/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. श्री मनेश राम के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञान क्रमांक 2220/खनिज/खनि.4/04/2020/खनिज/उ.प./2020 जगदलपुर, दिनांक 27/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संसाधनशास्त्र, भौतिकी तथा खनिकर्ष, गढ़ा रायपुर अटल नगर के ज्ञान क्र. 144/खनि 02/उ.प.-अनु. निष्प./न.क्र.50/2017(3) गढ़ा रायपुर, दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अवधि दिनांक 25/11/2022) की अवधि हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियामुक्त है।
7. भू-स्वामित्व — भूमि खता क्रमांक 175/3 श्री अंतुलम, खसरा क्रमांक 175/1 श्री विजयलाल एवं खसरा क्रमांक 183 श्रीश्री बाली के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रती प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन सम्प्रदायिकारी, वनस्पतल बस्तर, जनपलपुर के डायन ड./क.त.ड./4888 जनपलपुर, दिनांक 30/12/2021 से जारी अनामति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण नहरों की दूरी – निकटतम आबदी घास-टिकनवाल 1 कि.मी., स्थूल घास-टिकनवाल 500 मीटर एवं अल्पतम बलेवा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.88 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। नारंगी नदी 5.80 कि.मी. एवं इन्दावती नदी 8.5 कि.मी., बोरिया नदी 2 कि.मी. एवं मालकम्बी नदी 200 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण – जिपसॉलिकल रिजर्व 7,89,240 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,01,372 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,238 वर्गमीटर है। ओपन काल्ट लेवी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं माच 18,438 घनमीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। सीज क्षेत्र में अस्तर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्लॉटिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	43,835
द्वितीय	53,509
तृतीय	49,948
चतुर्थ	43,837.5
पंचम	43,837.5

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरिंग के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में जल प्राधिकार क्षेत्र अर्थात् बोर्डिंग की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 गज वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में सविधि कर यह है कि सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, पौंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा पत्र-पत्राव के लिए 5 वर्ष (50 प्रतिशत जीवन दर के अन्तर्गत) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीड क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मौनितरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सराही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मौनितरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ<sub>2</sub>, एनओ<sub>2</sub> का सामान्य लेवल-

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>2.5</sub>	25.11	54.83	60
PM <sub>10</sub>	51.28	88.83	100
SO <sub>2</sub>	7.00	15.38	60
NO <sub>2</sub>	12.18	25.87	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लीड, अमोनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day Leq	52.2	65.9	75
Night Leq	41.9	53.6	70

जो जल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. वी.सी.यू. की गणना- बायीं वाहनों / मल्टीएक्सस डीके वाहनों को सम्मिलित करती दृश्य ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार-

Status	PCU / Day	VC ratio
Existing	728	0.08
Proposed	1,245	0.08

विस्तार के उपरान्त भी वी-मेटेरियल / वीरडॉक्स के परिवहन हेतु साइकल मार्ग की लीड लेनिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) से नीचे है।

17. लोक सुनवाई विनांक 10/11/2022, सात 11 बजे, स्थान - ग्राम पंचायत कर्वाला परिसर, ग्राम-दिकनवाला, तहसील व जिला-बनार में संघाने हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावों प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-

i. समय को ध्यान रखते हुए व्यवस्थित किया जाए। बड़े स्तर पर व्यवस्थित नहीं किया जाए। खदानों में बड़ा व्यवस्थित किये जाने से घाटी में कंजन होता है।

- g. खदान के संघटन में भूल मिट्टी आदि हमारे क्षेत्रों में आना, जिससे हमारा मुकदमा होगा।
- h. जल, वायु, ध्वनि का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। नियमों का पालन कर्ता हुए खदान घसाया जाए।
- h. खदान में स्थानीय घामीनों को रोजगार दिया जाए।

सौक मुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है—

1. क्लारीटिंग का समय निर्धारित किया जाएगा। क्लारीटिंग से पहले सावधान बजाया जाएगा ताकि उस समय पर कोई भी व्यक्ति या जानवर वहाँ पर न हो।
  2. भूल आदि का प्रभाव संभव माफ़ियों के निकलने के द्वारा ही होता है। विरुद्ध मुद्दा रख-रखाव किया जाएगा। लड़क पर पानी का नियंत्रण किया जाएगा जिससे कि भूल मिट्टी कम उड़े।
  3. खदान से किसी भी प्रकार का जल, वायु, ध्वनि का प्रदूषण नहीं होगा। इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी।
  4. स्थानीय घामीनों को ही रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
19. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान — कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावकों की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत काल पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना वन निर्माण के लिए ग्राम संघगत टिकनवाल (खारा क्रमांक 439, रस्ता 41.88 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) का अनामति पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना वन निर्माण हेतु पौधों, पौधों, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्ष (50 प्रतिशत जीवन वर के अन्तर्गत पर) का पर्यवेक्षण समय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उल्लेख्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. एल.ओ.आई. की पैदाद वृद्धि संकेती दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. कम्पटी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. मू-जल उपयोग हेतु सेंट्रल प्रान्थल वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. सीध क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षावपन हेतु पौधों, पौधों, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्ष (50 प्रतिशत जीवन वर के अन्तर्गत पर) का पर्यवेक्षण समय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (सी.ई.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाए।



5. कॉर्पोरेट इन्व्हायस्टमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉर्पोरेट इन्व्हायस्टमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) की उक्त परिचय वन निर्माण हेतु पीछे, फॉरिंग, कास्ट एवं सिंक्राई तथा एल-रवाय के लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन दर के अन्तर्गत पर) का घटकवार आय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल अग्रीमेंट किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. कम्पैक्ट मिट्टी की लीज क्षेत्र के बाहर संबंधित वन संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विख्या न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सर्वाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना के जिन-जिन स्थलों से प्युजिटिव इस्ट एवल्मेंट होगा, उन स्थलों पर नियमित जल किड़वाय की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) की उक्त बावतमी नियमों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. छत्तीसगढ़ अक्टो पुनर्वास नीति के उक्त स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अग्रीमेंट (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण पैदा के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अग्रीमेंट (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/प्रस्तावक द्वारा होने संबंधी आपत्ती कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के इापन दिनांक 21/03/2023 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/03/2023 एवं 26/04/2023 की जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया गया।

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/06/2023

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का जांचलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एन.ओ.आई. की शैला कृति बाबत न्यायालय संचालक, सीमिकी तथा सचिवन, नया रामपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 119/2023 द्वारा जारी पत्रित आवेदन दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार कर्ता हुये, वह निर्दिष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ ग्रीन एग्रीज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तुक्त के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं पर्यावरण प्रदूषण स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करती हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला अन्तर को प्रत्यागर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
2. लीज क्षेत्र में कपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्र 18,438 घनमीटर है। उक्त कपरी मिट्टी की 5,478 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की ऊंचाई तक सहभागी प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 288, क्षेत्रफल 0.83 हेक्टेयर) क्षेत्र में सम्भारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
3. नू-जत उपयोग हेतु सेक्टर वायुमय सीटर अर्बोरेटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की चट्टी में 880 नम कुसारीयन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 89,000 रुपये, पीछे के लिए राशि 4,450 रुपये, खाद के लिए राशि 17,177 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 17,800 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 84,023 रुपये, इस प्रकार व्यय कर हेतु कुल राशि 1,73,550 रुपये एवं आयामी घात कर हेतु कुल राशि 1,81,350 रुपये का घटकार कर विवरण प्रस्तुत किया गया है।
5. कलक्टर हेतु सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये कलक्टर में कुल 6 खदानें आती हैं। जिनमें से 5 खदानों को पूर्व में ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है। अतः कलक्टर में शामिल आवेदित खदान द्वारा सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है—

विवरण		व्यय (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
कलक्टर नार्थ में 400 मीटर तथा 800 नम) कुसारीयन हेतु	कुसारीयन (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,20,000	54,000	38,000	21,000	18,000
	पीछे हेतु राशि					
	खाद हेतु राशि					
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि					
कुल राशि = 2,49,000		1,20,000	54,000	38,000	21,000	18,000

कमर्श कर्य पूर्ण किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गया है।

6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
80	2%	1.60	Following activities at Gram Panchayat Village- Tikarpal	
			Favitra Van Niman	4.15
			Total	4.15

सीईआर के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (ब्रायल, नीम, आम, करंज, जामुन, अमलतास, कवग आदि) कृषावोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 मग पीछी के लिए राशि 1,00,000 रुपये, सीसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 10,300 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये तथा गड-लकान आदि के लिए राशि 58,700 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,00,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,15,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत टिकरपाल के सहमति सघर्षत कृषावोधन स्थान (खसरा क्रमांक 438, क्षेत्रफल 41.88 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. कंट्रोल प्लानिंग किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गया है।
8. कर्मचारी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर मंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुसयोग न करने, डिग्रा न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्रलय में किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गया है।
9. गार्डनिय लीज क्षेत्र के अंदर सखन कृषावोधन किये जाने एवं संमित पीछी का सलाईबल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गया है।
10. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पपुजिटिव इस्ट इम्पैक्ट होगा, उन स्थलों पर नियमित जल डिइकाव की व्यवस्था किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गया है।
12. क्लीनगड आक्टर्स पुनर्वास नीति के तहत स्वामीय लोगों को रोजगार किये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का जगह वास्तविक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने कायत् सफल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उपलक्षण का प्रकरण लंबित नहीं है।
16. समिति का मत है कि सी.ई.आर., सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरों का कार्य के सीमित/प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (ऑनसाइट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या कृषि-संवर्धन एवं जल संरक्षण मंडल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) पठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरों का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत पठित वि-क्षेत्र समिति से सत्यापित कतवा जाना आवश्यक है।
17. भारतीय एन.जी.टी., रिजिस्ट्रार ऑफ, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय पब्लिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एपिलेशन नं. 188 ऑरि 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पठित आदेश में मुद्दा रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कालिका कलेक्टर (खनिज मामलों), जगदलपुर, जिला-बलर के पृ. क्रम सं. 850/खनिज/ख.सि.4/04/2020-21/च.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 06/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 3.1 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-टिकनवाला) का क्षेत्रफल 2.78 हेक्टेयर में से 2.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-टिकनवाला) की मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.78 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में मौजूद/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की नहीं गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (का संशोधित) के प्रावधानों एवं भारतीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कालक्टर में आने वाली खदानों की संलग्न गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संकलन हेतु कालक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, कालक्टर हेतु सीएम

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंडिंग योजना से प्राप्त किया जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज, इटावा की कानून, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अलीगढ़) के कानून से अनुसूचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदन - मेसर्स टिकनवाल लाईम स्टोन कार्बी (प्री- वी सर्विस समूह) को ग्राम-टिकनवाल, तहसील व जिला-बलरान के खसरा क्रमांक 175/1, 175/3 एवं 180 में स्थित चूना पत्थर (नीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2.78 हेक्टेयर में से 2.68 हेक्टेयर, क्षमता-53,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

उक्त सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रयोजन (एस.ई.आई.ए.ए.), अलीगढ़ की तदनुसार सुचित किया जाए।

8. मेसर्स वी साईं स्टार ट्रेडर्स (प्राईवेट - वी विजय कुमार शर्मा, श्रीरामदा जो-वेड लाईम स्टोन कार्बी), ग्राम-भीरमाठ, तहसील-भाटाघाट, जिला-बलौदाबाजार-भाटाघाट (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 2007)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 278838/2022, दिनांक 04/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कनिष्ठी होने से ज्ञापन दिनांक 20/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 09/07/2022 की ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

खदान का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-भीरमाठ, तहसील-भाटाघाट, जिला-बलौदाबाजार-भाटाघाट स्थित खसरा क्रमांक 38, 82/2, 83, 81/1 एवं 83/2, कुल क्षेत्रफल-2.312 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परखनन क्षमता-53,862.8 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, अलीगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा अनुमोदक हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

अनुमोदक हेतु वी विजय कुमार शर्मा, प्रोप्राईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई-

1. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में आवेदन के साथ प्रस्तुत माईनिंग प्लान के अनुमोदन पर, सीज सीड, कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी इनाम पत्र तथा वन विभाग द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र में खसरा क्रमांक 38, 82/2, 83, 81/1 एवं 83/2 का उल्लेख होना पता गया है। परन्तु माईनिंग प्लान, ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनामति इनाम पत्र, मू-संचालित दस्तावेज एवं पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 38, 82/2, 83, 83/1 एवं 83/2 का उल्लेख है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त खसरा संबंधी विभागों की संकेत में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

## 3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- I. पूर्व में कुल पाचर खदान खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 53/1 एवं 53/2, कुल क्षेत्रफल—2.312 हेक्टेयर, समता—18,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्रतिकरण, जिला—बलीदाबाजार—भाटाघाटा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।
  - II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का नालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  - III. निर्धारित शर्तानुसार 300 नग कुआरोंपन किया गया है।
  - IV. समिति का मत है कि विद्यत शर्तों में किये गये उल्लंघन की अवगत जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. डाम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र — उल्लंघन की संख्या में डाम पंचायत पीठनाला का दिनांक 18/08/2018 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  4. सलखनन योजना — जारी प्लान एलांग विधे जारी कलेक्टर प्लान विधे इन्फार्मेटिव मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संघालक (ख.प्र.), संघालनपालय, भौतिकी तथा खनिकर्न, नया रायपुर अटल नगर के डामन क्र. 1142/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(3) नया रायपुर, दिनांक 14/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
  5. 500 मीटर की परिधि में विद्यत खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला—बलीदाबाजार—भाटाघाटा के डामन क्रमांक/1881/ख.सि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 23/03/2022 की अनुसार जांचित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
  6. 200 मीटर की परिधि में विद्यत सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला—बलीदाबाजार—भाटाघाटा के डामन क्रमांक/1881/ख.सि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 23/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, परियेड, मराघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकण्ट, बाघ एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र विद्यत नहीं है।
  7. लीज का विवरण — पूर्व में लीज श्री सुरेश कुमार के नाम पर थी। लीज कीज 30 वर्षी अवधि दिनांक 20/01/2020 से 19/01/2050 तक की अवधि हेतु किया है। लीज का हस्तांतरण दिनांक 09/12/2020 को श्री सई सहारा टैरनरी (साईटल—श्री विजय कुमार शर्मा एवं श्री विमल अडवाला) के नाम पर किया गया है।

8. भू-स्वामित्व – भूमि रजिस्ट्रार क्रमांक 39, 62/2, 63, 63/1 एवं 63/2 की हस्तात्म के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसंरक्षणधिकारी, बलीदाबाजार वनसंरक्षण, बलीदाबाजार के द्वारा क्रमांक/तकनीकी/ खनिज/2022/1348 बलीदाबाजार, दिनांक 18/05/2022 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
11. स्थलपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय घाट-कीमागवा 1.5 कि.मी., स्कूल घाट-कीमागवा 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल घाट-कीमागवा 3.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। नहरादी 40 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अजयगढ़, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफ्टी पीप्लुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
13. खान खाना एवं खान का विवरण – जिपसोलॉजिकल रिजर्व 7,25,450 टन, साइनिंगल रिजर्व 4,30,435 टन एवं निकलकोक रिजर्व 4,08,813 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,183 वर्गमीटर है। खान कन्स्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में खान मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धांत किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	31,121.25
चतुर्थ	30,000
पंचम	33,887.5

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेंट्रल वायफेड वीटा अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त का प्रस्तुत किया गया है।
15. कुआरोपन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 600 मग कुआरोपन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुआरोपन के लिए राशि 32,500 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 1,85,150 रुपये, खान के लिए राशि 15,000 रुपये, सिंचाई एवं सब-रखाव के लिए राशि 1,50,000 रुपये, इस प्रकार कुल

राशि 4,12,850 रुपये आगामी 3 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के बाहरी और 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उल्लेख्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. खदान संबंधी विवरणियों के संश्लेष में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, माना सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाने जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित बनाकर प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु उपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संग्रहित कर संतुष्ट रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. सीईआर का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. कंट्रील ब्यारिस्टन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सामन कुलरोपण किये जाने एवं रोपित वृक्षों का सलाईवाल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनयित कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री गिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, खोला, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. भारतीय अदालत पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विस्तृत इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।





12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त सनत पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आपकी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., फलीसगढ़ के डायन दिनांक 29/12/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(8) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा संकेदी विनंतिपत्रों के संख्या में कार्यालय कलेक्टर (खनिज साख), जिला-बलीदाबाजार-भाटागांव के डायन क्रमांक 514/बी 3-3/न.क./2018 बलीदाबाजार, दिनांक 18/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार "उक्त उत्खनियट्टा अंतरण आवेदक के अनुक्रम में लिपिबद्ध कुटिलता पृष्ठ अनुसंध पत्र के अनुसूची में खसरा नम्बर 83/1 के स्थान पर 81/1 का उल्लेख होकर अंतरण अनुसंध का भी निष्पादन हो गया है। तथापि उप-बंजीपक के द्वारा किये गये निष्पादन में जारी पत्रों में खसरा नम्बर 81/1 का उल्लेख न होकर सुधार के साथ खसरा नम्बर 83/1 उल्लेखित है। अतः उक्त लिपिबद्ध कुटिल को संशोधित करते हुए उत्खनियट्टा अंतरण आवेदक में उल्लेखित खसरा नम्बर 81/1 के स्थान पर 83/1 लिखा, संख्या व पत्र जारी" का उल्लेख है।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के डायन दिनांक 22/02/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अधिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अधिकांश शर्तों (शर्त क्रमांक 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 एवं 50) का अपूर्ण पालन होता बताया गया है। समिति का मत है कि अपूर्ण पालन शर्तों के पालनार्थ एक्सन टेकन रिपोर्ट (ATM) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साख), जिला-बलीदाबाजार-भाटागांव के डायन क्रमांक 829/टीन-8/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 07/11/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्खनन (टन)
2019-20	निरा
2020-21	14,750
2021-22	16,700
01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक	6,600

समिति का था है कि दिनांक 01/10/2022 में किए गए कारखाने की सार्वजनिक मात्र की अद्यतन जागजागी खनिज विभाग से प्रमाणित करार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.12	Following activities at nearby, Govt. Middle School Village-Labai	
			Potable drinking water facility with 5 year AMC	0.50
			Plantation with fencing	0.69
			<b>Total</b>	<b>1.19</b>

सी.ई.आर. के तहत (नींव, आग, जलानु, पीपल, कदम आदि) कुआरेशन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीछी के लिए राशि 500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 17,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,400 रुपये हेतु प्रस्तावक व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहायक पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. कंपनी मिट्टी के रख-रखाव हेतु कंपनी मिट्टी की मात्र एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कंपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर पंजीकृत कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विह्वल न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. कंट्रील ब्यसनिंग किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. साईमिन लीज क्षेत्र के अंदर सधन कुआरेशन किये जाने एवं सीमित पीछी का सार्वजनिक रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायन्ट्री फिलर्स द्वारा सींचकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वसन नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प पैत के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि इससे विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकल्प लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर द्वारा प्रेषित पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चालन प्रतिवेदन में अर्द्ध चालन शर्तों (शर्त क्रमांक 8, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 48, 47, 48, 49 एवं 50) के चालनार्थ एक्सन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की वापस एवं संरक्षण योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त प्रेषित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

7. मेसर्स मैन्सो कोलोमार्डेट प्राइवेट लिमिटेड (जे.- सी लतोष सिंह राजपुर), ग्राम-मैन्सो, तहसील-धमगढ़, जिला-जंजनी-बांधा (राजिस्ट्रार का गलती क्रमांक 1344)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्बआईए/ 180834/2020, दिनांक 09/07/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था।  
वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्बआईए/ 78117/2018, दिनांक 26/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह सच्चा विस्तार का प्रकल्प है। यह पूर्व से संघारित कोलोमार्डेट (लीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मैन्सो, तहसील-धमगढ़, जिला-जंजनी-बांधा स्थित खनन क्रमांक 1852/1, कुल क्षेत्रफल-4.497 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित संरक्षण क्षमता-1,00,553 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के अधिन क्रमांक 1838, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिचालन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एन.सी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिलाटिव इनवायर्समेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.आई.ए.सी., भल्लीसाह के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(ख) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की संजय शिलार, अधिकृत प्रोनिचि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में वेतार्य एनलिसिस सॉल्युशन एन्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से की शंकर जगन्नाथ एवं सुनी ज्योति हीरान उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- a. पूर्व में डीलोसाइट खदान खसरा क्रमांक 1952/1, कुल क्षेत्रफल-4.437 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-69.204 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रक्रियामें, जिला-जोधपूर-घग्घा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/01/2017 को जारी की गई।
- b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिचालन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 09/08/2022 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनुसार कुल 09 शर्तों (किन्तु क्रमांक 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 22, 26 एवं 27) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।
- c. एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन करने पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण शर्तों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना बताया गया:-
  - उत्खनन कार्य प्रारंभ करने से तीन माह के भीतर सैंक मिट/रेन वाटर हार्बेस्टिंग का निर्माण कर लिया जाएगा, जिससे लीज क्षेत्र के बाहर जल का निस्तारीकरण नहीं होगा। उत्खनन के दौरान खदान में उत्पन्न जल को उच्च संचयन एवं पुनारोपण में उपयोग किया जाएगा।
  - पर्यावरणीय उच्च उत्तमार्जन निर्माण हेतु नियमित जल का संचयन किया जाएगा।
  - परिवेष्टीय वायु गुणवत्ता मापन एवं परिवेष्टीय ध्वनि स्तर रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। परिवेष्टीय वायु गुणवत्ता उच्च क्षेत्र से निर्धारित मानक स्तर से कम रहे, इस हेतु पर्याप्त जागरूकता की जाएगी।
  - रिटेनिंग वॉल एवं बायलेन्ड ड्रेन का निर्माण किया गया है।

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

- खदान में विद्यमान कार्य प्रारंभ करने से तीन माह के भीतर ऑसिंग/ट्री-गार्ड सहित कुशलरोपण किया जाएगा।
- धनिकी के लिए डेल्टा डेकअप वीथ्य वर्क में दो बार अपेक्षित किया जाएगा एवं डेल्टा डेकअप रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का अर्धवार्षिक चलन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. निर्दिष्ट वर्तमान कुशलरोपण नहीं किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारखा), जिला-जांजगीर-बांग के डायन क्रमांक 2488/गीन खनिज/ख.नि./न.अ./2020-21 जांजगीर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा जारी डायन पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उल्लंघन (टन)
2018-19	1,080
2019-20	800
2020-21 (08/09/2020 तक)	निरंक

vi. समिति का मत है कि विगत वर्ष (जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक से) में किए गए उल्लंघन की वार्षिक मात्रा की अपेक्षित जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- घान पंचायत का अनापत्त प्रमाण पत्र - उल्लंघन एवं कटार की खादना के संबंध में घान पंचायत पंचायत का दिनांक 15/12/2015 का अनापत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उल्लंघन रोकना - मॉडिफाईड कटारी प्लान एरॉन विथ कटारी कलेक्टर प्लान एम्ड इन्हायरीनैट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संघालक, संघालनालय, मीमिडी तथा खनिज, अटल नगर रायपुर के डायन क्रमांक 5235/मईमिन-2/एच.पी./एफ.नं.04/2018 अटल नगर रायपुर, दिनांक 03/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारखा), जिला-जांजगीर-बांग के डायन क्र. 1083/गीन खनिज/न.अ./2020-21 जांजगीर, दिनांक 04/07/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 8.877 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारखा), जिला-जांजगीर-बांग के डायन क्र. 2487/गीन खनिज/ख. नि./न.अ./2020-21 जांजगीर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, बंध, एनीकट, रेल लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट, स्टीन डैम एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- भूमि एवं जीव का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। जीव की संरक्षण सिंह राजपुत के नाम पर है। जीव जीव 50 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/03/2018 से 21/03/2068 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उपरोक्त वनस्पतलविकासी, जांजगीर-बांग वनमण्डल, बांग के डायन क्रमांक/तक.अधि./2009 बांग दिनांक 18/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवाही डाम-बैनाही 1.5 कि.मी. स्थूल डाम-बैनाही 1.5 कि.मी. एवं जलवाता वाहन 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 700 मीटर एवं राज्यमार्ग 300 मीटर दूर है। सीतलार नदी 8 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अरावलीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्टली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
11. खनन संघटा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 16,71,980 टन, नाईनकल रिजर्व 4,37,820 टन एवं रिजर्वरिजल रिजर्व 3,80,813 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (राखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,888 वर्गमीटर है। अंशकालिक सेवेनाइज्ड विधि से राखनन किया जाता है। राखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गहराई 1 मीटर है तथा कुल गांज 7,000 घनमीटर है। बेस की गहराई 3 मीटर एवं पीकई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। अंतर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीटल सिस्टम की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रीक डैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल मॉनिटरिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रास किया जाता है। वर्षाजल प्रस्तावित राखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित राखनन (टन)
प्रथम	70,850
द्वितीय	1,00,000
तृतीय	1,00,000
चतुर्थ	70,850
पंचम	68,520

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति डाम पंपाघर द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में डाम पंपाघर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. दूषारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में दूषारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण दूषारोपण किया जाने तथा आगामी 4 वर्षों में दूषारोपण (30 प्रतिशत की जीवन दर में) हेतु बीसी, सीडिंग, खाद एवं

सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. गैर माइनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र के चारों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने के कारण सड़क मार्ग को दोनों तरफ कुल 2.8398 हेक्टर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुसूचित सीडिसाईड क्वारी प्रस्ताव में किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर गैर माइनिंग क्षेत्र में 8,500 मग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम वर्ष में 1,500 मग एवं आगामी 4 वर्षों में 1,250 मग पीपल का वृक्षारोपण हेतु विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माइनिंग क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (30 प्रतिशत की जीवन दर में) हेतु पीपल, पीपल, खार एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मौनितरीय कार्य 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी को नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मौनितरीय परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ<sub>2</sub>, एनओ<sub>2</sub> का सामान्य स्तर-

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>10</sub>	18.99	38.58	60
PM <sub>2.5</sub>	28.20	62.53	100
SO <sub>2</sub>	3.12	11.24	80
NO <sub>2</sub>	5.83	16.54	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दिये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, तापमान, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सामान्य स्तर भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L <sub>eq</sub>	36.9	56.5	75
Night L <sub>eq</sub>	30.5	47.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

114

16. पी.सी.यू. की मरम्मत— वर्तमान में एवं प्रस्तावित परिवर्तन उत्पन्न भारी बाढ़नी / माल्टीएक्सल हेवी बाढ़नी को समाहित करने हेतु ट्रेकिंग अवयव रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिवेदन एवं सी/सी अनुयाय (MC 1000) सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 28/11/2021 को प्रातः 11.00 बजे स्थान — राम पंचायत पीसी के हाई स्कूल परिसर, "केसव कुंज मैदान", हान-पीसी, तहसील-गामनर, जिला-जालंधीर-बांसा में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित कार्य सहित, अतीतनरूप पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रामपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 15/03/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उत्पन्न सभी विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले कार्यों के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र संवेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. क्लस्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान — सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान एवं सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहमति का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत कार्य पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत राम पंचायत पीसी की 1 से 2 एकड़ भूमि में 1,500 वर्ग फीटिंग के अकार पर कुल 5 वर्षों में 7,500 वर्ग कुवारीयन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत प्रथम वर्ष में ही पूर्ण कुवारीयन किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में कुवारीयन (50 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीसी, सीएम, आर एवं सिविल तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण एवं समन्वय व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत कुवारीयन हेतु राम पंचायत का सहमति उत्पन्न भूमि की खसरा क्रमांक एवं रकबा का तालिका कलौ हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
21. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा इस अंतर्गत का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिवर्तन/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा इस अंतर्गत का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित नहीं है।
23. सीज क्षेत्र में अकार के चारों ओर कुवारीयन किये जाने, अस्त संरक्षण हेतु जल सिंचन किये जाने एवं अकार के चारों ओर 8 मीटर की बाल स्थानित किये जाने बाबत अंतर्गति (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. सीज क्षेत्र के भीतर गैर मॉडर्न क्षेत्र में कुवारीयन किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



**समिति द्वारा तालमत्व सर्वसाधनता से किन्धानुसार निर्णय किया गया था—**

1. परियोजना की कुल लागत का डेकलम प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष (जारी पर्यावरणीय स्वीकृति विनांक से) में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुलयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में लक्ष्य नही किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनश्चरय हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सारी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (30 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीसी, फॉसिल, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समवहार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र की भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (30 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीसी, फॉसिल, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 4 वर्षों का घटकवार एवं समवहार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लीज क्षेत्र की भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. सर्वेक्षण में एवं प्रस्तावित परियोजना उपरोक्त भागी बहानी / मस्टीरकाल हेवी बहानी को समाहित करते हुए ट्रेकिंग अध्ययन रिपोर्ट (पि.सी.यू. प्रतिबंध एवं सी/सी अनुयात (JTC:msc) सहित) प्रस्तुत किया जाए।
8. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की विषय में किये जाने वाले उपाय के संबंध में मासिक/वर्ष प्रथम अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य को सुविधानुसार मासिक/वर्ष प्रथम हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
9. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (30 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीसी, फॉसिल, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समवहार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरोक्त मुनि के अस्था अनांक एवं लम्बा का उपलब्ध करी हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
11. कंट्रोल स्टास्टिन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सख्त वृक्षारोपण किये जाने एवं संवैल पौधों का संसाईवाल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री गिस्तरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. जमीनसंग्रह आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. लोकचुनावों के दौरान उदात्त पत्र सख्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. ई.आई.ए. स्टडी में पालेस योजना की संश्लेषिका प्रस्तुत किया जाए।
18. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करती हुई जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुसंधान करवाकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
19. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्जात एवं देसांतर सहित नक्शे में दर्शित हुये प्रस्तुत किया जाए।
20. क्लस्टर में आने वाली खदानों की रखरखाव परिस्थितियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज, इंधावती मकान, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (जमीनसंग्रह) के स्तर से रायपुरता कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार ए.आई.ए.सी. जमीनसंग्रह के ज्ञान दिनांक 09/01/2023 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा कम्पनी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना की कुल लागत का श्रेष्ठतम प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना की कुल लागत रुपये 68 लाख है।
2. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बांग के ज्ञान क्रमांक 321/ख.सि./स.स./2022 जांजगीर, दिनांक 23/01/2023 द्वारा जारी ज्ञान

एक अनुसार अक्टूबर 2020 से सितंबर 2022 तक सोलरोमाईट का उत्पादन 600 मेट्रिक टन किया गया है।

3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,000 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी (जखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) एवं गैर माइनिंग (2.83388 हेक्टेयर) क्षेत्र में कृषायोग्य के लिए उपयुक्त किया जाएगा।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत बेंसों का अनपेक्षित प्रभाव एक प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 668 नग कृषायोग्य किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 33,400 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, साईंट डिनेशन तथा खाद के लिए राशि 50,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 25,000 रुपये इन प्रकार कुल राशि 1,33,400 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव आदि के लिए कुल राशि 1,80,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. लीज क्षेत्र के भीतर गैर माइनिंग क्षेत्र में 8,800 नग कृषायोग्य किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 3,30,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 75,000 रुपये, साईंट डिनेशन तथा खाद के लिए राशि 2,00,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 50,000 रुपये इन प्रकार कुल राशि 6,55,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव आदि के लिए कुल राशि 3,80,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लीज क्षेत्र के भीतर गैर माइनिंग क्षेत्र में कृषायोग्य किये जाने बाबत सत्य एक (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. प्रस्तुत ट्रेडिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में माईन साईट में 5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा तथा बिलासपुर-पलनड़ रोड़ में 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परिवर्धना उपरंत पी.सी.यू. प्रतिघंटा में होने वाली वृद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिससे की विस्तार के उपरंत पी.सी.-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में एवं प्रस्तावित परिवर्धना उपरंत भारी वाहनों / मल्टीएक्सल ईपी वाहनों को समर्पित करते हुए ट्रेडिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार-

Status	PCU / Hr	V/C ratio
Existing	5	0.0025
Proposed	51	0.003

विस्तार के उपरंत पी.सी.-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

8. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सार्वभौमिक प्रपत्र सिटी (Public Hear in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-
  1. हमारे ग्राम पंचायत बेंसों की जमीन में अक्षर नहीं खोला जाए क्योंकि हमारे ग्राम की निजी पट्टाधारक किसानों की जमीन को अक्षरित करने पर कुल अक्षर एवं अक्षरित होना इसमें गांव की किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान

होना। अतः हमारे पास पंचायत के सभी नगरिकों को ज्ञात हो जाने से अपेक्षित है।

ii. प्रथमिकता के अन्तर्गत पर संबंधित कामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान चलाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का काम निम्नानुसार है-

- i. सभी ज्ञात नियमों का पालन करती हुये और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। परियोजना स्थल के चारों ओर (7.5 मीटर के सुखा क्षेत्र) पर करीब 1,33,400 की वार्षिक लागत कर वृद्धावधि किया जाएगा। घुल निलंबन के लिए डील सड़कें और पट्टा क्षेत्र के भीतर दिन में दो बार पानी का छिड़काव एवं पुनर्वाही के लिए दो बार सिंचकाल का उपयोग किया जाएगा।
  - ii. विविध सेवाएँ करने योग्यता के अन्तर्गत पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्रथमिकता दी जायेगी।
  - iii. कन्वक्टर में शामिल (कुल 3) खदानों हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत प्रस्तुत जानकारी में केवल प्रत्येक खदानों के संबंध में ही जानकारी प्रस्तुत किया गया है। अतः कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निर्धारित बजट का उपयोग कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के कार्य में ही किये जाने वाला कार्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
65	2%	1.3	Following activities at nearby Village-Bhainsaho	
			Pavitra Van	3.01
			Hirman	
			<b>Total</b>	<b>3.01</b>

सीईआर के अंतर्गत "परित्र वन निर्माण" के तहत (अपला, बस, पीपल, नीम, आम, खजूर, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृद्धावधि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,023 वर्ग फीटों के लिए राशि 1,01,150 रुपये, परिसर के लिए राशि 75,000 रुपये, सिंचाई, खाद तथा स्व-सहाय आदि के लिए राशि 75,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,51,150 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 50,000 रुपये हेतु चतुर्वार वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा हाल पंचायत वीसी के सहयोगी उपराल उपकरण स्वयं

(खसरा क्रमांक 1784/1 क्षेत्रफल 2 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. जट्टीय क्लियरिंग किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माइनिंग लीज क्षेत्र की अंदर स्थान वृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनराल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बावन्गी विन्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल सरोवर, खाल, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. अस्तीसगढ़ आवसी पुनवास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. लोकमान्यबाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. ईआईए स्टडी में खसरा पौन्दा की संवेधिका प्रस्तुत किया गया है।
18. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में दर्शाया काले हुए जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुसंधान कलाकन जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
19. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अज्ञात एवं रोजगार सहित नक्शे में दर्शाते हुए जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
20. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संरक्षण हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्ण, इंचावली बवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अस्तीसगढ़) के स्तर से समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

समिति द्वारा सावधान्य कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. प्रस्तुत ट्रेजिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में माईन साईट में 5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा तथा बिलासपुर-बमगढ़ रोड में 21 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना कक्षांत पी.सी.यू. प्रतिघंटा में होने वाली वृद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाय।
2. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाय। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत ज्ञान प्रस्तुत किया जाय।

3. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान तैयार कर सक्ता खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध कलक्टर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्जाएं एवं दस्तावेज सहित नक्शे में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बंदिश जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परनात अन्वयी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., जलसंधारण के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिधेय में परिचोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/06/2023:

समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. प्रस्तुत ट्रेनिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार कॉमन में माईन साईट में 8 पी.सी.यू प्रतिघंटा तथा बिलासपुर-जमनाद रोड में 21 पी.सी.यू प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परिचोजना उपरोक्त माईन साईट में 21 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं बिलासपुर-जमनाद रोड में 87 पी.सी.यू प्रतिघंटा वृद्धि होगी।
2. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अर्जित खदान को शामिल करते हुए कलक्टर में कुल 3 खदानें आती हैं। अतः कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रथम निचयन हेतु परिवहन के दौरान लकड़ी/चट्टीय नार्म से जलपन कुल परसर्जन के निचयन हेतु जल सिंचनाय, पहूँच नार्म की कुल लम्बाई 800 मीटर	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
पहूँच नार्म के दोरी तार (1,200 मप) कुशायेपन हेतु					
कुशायेपन (50 प्रतिघंटा जीवन मप) हेतु सति	67,500	6,750	6,750	6,750	6,750
जीरिन हेतु सति	1,35,000	—	—	—	—
साद हेतु सति	13,000	1,000	1,000	1,000	1,000
सिंचाई एवं पत्र-पत्राव	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000

	हेतु राशि					
सड़की / पट्टीय मार्ग के रख-रखाव हेतु	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
हेल्थ चेकअप कॅम्प	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
<b>कुल राशि = 34,37,800</b>	<b>6,88,500</b>	<b>4,37,750</b>	<b>4,37,750</b>	<b>4,37,750</b>	<b>4,37,750</b>	<b>4,37,750</b>

कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रमुख निर्धारित हेतु परिवर्तन के दौरान सड़की/चतुर्थ मार्ग के उत्पन्न हुए प्रस्तावक के निर्धारित हेतु जल सिंचिकाएँ, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 302.82 मीटर		40,350	40,350	40,350	40,350	40,350
पट्टीय मार्ग के बोनी टापक (400 मम) प्रस्तावित हेतु	कुसारीयण (50 प्रतिशत पीछेन घर) हेतु राशि	22,667	2,279			
	पेसिन हेतु राशि	43,662	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	4,540	336	336	336	336
	निचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	16,812	3,362	3,362	3,362	3,362
सड़की / पट्टीय मार्ग के रख-रखाव हेतु		67,250	67,250	67,250	67,250	67,250
हेल्थ चेकअप कॅम्प और विलेजर्स		33,625	33,625	33,625	33,625	33,625
<b>कुल राशि = 8,18,808</b>		<b>2,30,838</b>	<b>1,47,193</b>	<b>1,47,193</b>	<b>1,47,193</b>	<b>1,47,193</b>

- कलक्टर हेतु कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में दर्शाित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों द्वारा कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कलक्टर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अज्ञात एवं वित्तांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।
- सी.ई.ओ., कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान, कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़की के रख-रखाव एवं

पूराकरण कार्य के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-क्षीय समिति (जेनराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का उपाधीनस्थ पर्यावरण संरक्षण समूह के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान, सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान में परिचयना प्रस्तावक की सहभागिता, कड़वां के पत्र-सूचना एवं पूराकरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-क्षीय समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।

- e. माननीय एन.जी.टी., दिल्ली एवं नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (सेनिलनल एनवायरनमेंट नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को गठित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जांजगीर-बांग के ड्राफ्ट क्र. 1083/बीए खनिज/न.क्र./2020-21 जांजगीर, दिनांक 04/07/2020 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 8.487 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मैन्सो) का क्षेत्रफल 4.487 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मैन्सो) की मिलाकर कुल पट्टा 13.374 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश को अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की सख्तन परिधिधियों से पर्यावरणीय घटक पर पड़ने वाले प्रभावों की लेखापेक्षा हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, क्लस्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालकालय, भूमिहीन तथा खनिजन, इंदावती पवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (उत्तरांचल) के तहत से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - के.एस. के.एस. डेवेलोपर्स प्राइवेट लि. (जे- बी संतोष सिंह रायपुर) को ग्राम-मैन्सो, उहरील-धमगढ़, जिला-जांजगीर-बांग के खदान क्रमांक 1682/1 में स्थित डेवेलोपर्स (बीए खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.487 हेक्टेयर, सतह - 1,00,883 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-08 में वर्णित सर्ती के अर्धीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उपाधीनस्थ को सहायता प्रदान किया जाए।



8. मेसर्स सीसी डोलोमाईट खानी प्राई- वी समूह द्वारा विस्तृत खान-बैन्को, चहरील-पानगढ़, जिला-जांजगीर-बांधा (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1300)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 181808/2020, दिनांक 14/07/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74841/2018, दिनांक 28/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काईनाल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह अनात विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संबंधित डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान खान-बैन्को, चहरील-पानगढ़, जिला-जांजगीर-बांधा स्थित खसरा क्रमांक 1052/1, कुल क्षेत्रफल-4.83 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,32,377 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. चहरीलगढ़ के खानन क्रमांक 1803, दिनांक 28/12/2020 द्वारा प्रकरण 'बी' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिजर्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कारिंग इन्वायरीमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

उदानुसार परिसीमा प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. चहरीलगढ़ के खानन दिनांक 04/11/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022

प्रस्तुतिकरण हेतु की संजय बिल्वरे, अधीकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनलिका सील्युलान एन्ड टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड, नॉएडा, उत्तराखण्ड की ओर से श्री सोनर उपस्थित एवं सुभी अति धीमान उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 1052/1, कुल क्षेत्रफल-4.83 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-18,960 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रक्रियामें, जिला-जांजगीर-बांधा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/01/2017 को जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी दी। सूचित की गई कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नए रायपुर अटल नगर के खानन दिनांक 09/08/2022 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कुल 10 शर्तों (बिन्दु क्रमांक 5, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 22, 26 एवं 27) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्ताव द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है।

iii. एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन करने पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण शर्तों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना बताया गया-





- उत्खनन कार्य प्रारंभ करने से तीन माह के भीतर सीक रिट/एन वाटर हाबीटैटिंग का निर्माण कर दिया जाएगा, जिससे सीक क्षेत्र के बाहर जल का निस्तारीकरण नहीं होगा। उत्खनन के दौरान खदान में वायुमय जल की जस्ट सप्लाय एवं क्लोरिनेशन में उपयोग किया जाएगा।
- पब्लिसिटीय इस्ट आसार्जन नियंत्रण हेतु निर्धारित जल का डिम्बकरण किया जाएगा।
- परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। परिवेशीय वायु गुणवत्ता उच्च क्षेत्र को निर्धारित मानक स्तर से कम रहे, इस हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
- सेटलिंग टैंक/सेडिमेंटेशन पोम्ड एवं गार्गलिंग ट्रेन का निर्माण किया गया है।
- खदान में विकास कार्य प्रारंभ करने से एक वर्ष के भीतर सीलिंग/ट्री-गार्ड सहित क्लोरिनेशन किया जाएगा।
- श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप समय-समय पर आयोजित किया जाएगा एवं हेल्थ चेकअप रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।
- जारी पर्यावरणीय सीकुति का अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. निर्धारित शर्तानुसार क्लोरिनेशन नहीं किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-जांजगीर-बांग्ला के द्वारा क्रमांक 2889/गीम खनिज/खनिज/न.अ./2020-21 जांजगीर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विधल शर्तों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	ताम्रदान (टन)
2018-19	1,000
2019-20	800
2020-21 (30/09/2020 तक)	निर्धर

समिति का मत है कि विधल शर्तों (जारी पर्यावरणीय सीकुति दिनांक 08/10/2020) में किये गए उत्खनन की अर्धवार्षिक शर्तों की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

1. प्रायः पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में प्रायः पंचायत केन्द्रों का दिनांक 15/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - सीकुतिगईड शर्तों पालन एसीन विध कच्ची कलौजरा प्रायः विध इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पालन प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-पंचायत, पंचायतवालय, भीमिडी तथा खनिज, अटल नगर रायपुर के द्वारा क्रमांक 6340/आईमिन-2/क्यू.टी./एक.नं.83/2015 अटल नगर रायपुर, दिनांक 03/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में विधल खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-जांजगीर-बांग्ला के द्वारा क्र. 1082/गीम खनिज/न.अ./2020-21

121

D

जांजगीर, दिनांक 04/07/2020 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 8.544 हेक्टेयर हैं।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्वायल क्वेस्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-जांजगीर-बांग के डायन क्र. 2488/पीएम खनिज/ख. नि./न.क्र./2020-21 जांजगीर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मत्भट, बांध, एनिकाट, रेल लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, एनिकाट, स्टॉप बेम एवं जल आपूर्ति न्योत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं जीव का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। जीव की समूह टपाल किया के नाम पर है। जीव क्षेत्र 50 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/03/2018 से 21/03/2068 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र - कार्वायल वनसंरक्षणाधिकारी, जांजगीर-बांग वनसंरक्षक, बांग के डायन क्रमांक/उ.क्र.अधि./2998 बांग, दिनांक 18/03/2021 से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बैन्दा 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-बैन्दा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल पामगढ़ 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 700 मीटर एवं राज्यमार्ग 300 मीटर दूर है। तीलावर नदी 8 कि.मी. दूर है।
10. पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्युटेड एरिया, पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संभव एवं खनन का विवरण - जियोटेक्निकल रिजर्व 18,80,500 टन, साइनेसल रिजर्व 11,85,880 टन एवं रिक्वायरेड रिजर्व 18,78,388 टन है। जीव की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,758 वर्गमीटर है। डायन क्रमांक केवेंनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। जीव क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गहराई 18,880 वर्गमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जीव क्षेत्र में उत्खनन स्वीकृत नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्ट्रॉकिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्राव किया जाता है। वर्षवार अनामति उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,38,770
द्वितीय	2,00,388
तृतीय	2,12,213

पहला	2,22,143
दूसरा	2,52,377

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घान संघात द्वारा टैंकर से माध्यम से की जाती है। इस मात्रा घान संघात का अनावृत्त प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 वन वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (50 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फसिल, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समकाल व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **सड़क की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **घर माइनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के समीप बाला होने के कारण 1,104 वर्गमीटर एवं लीज क्षेत्र के समीप उन क्षेत्र होने के कारण 2,282 वर्गमीटर क्षेत्र इस प्रकार कुल 3,386 वर्गमीटर क्षेत्र को घर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित नॉटिफिकैंड काही प्लान में किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर घर माइनिंग क्षेत्र में 840 वन वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए रकम 42,000 रुपये, फसिल के लिए रकम 20,000 रुपये तथा खाद, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए रकम 75,000 रुपये इस प्रकार कुल रकम 1,42,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव आदि के लिए कुल रकम 80,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

**16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**

- i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – सीमितरिग कार्य 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर के अर्धवृत्त 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर खनिज लवण मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

**ii. सीमितरिग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ<sub>2</sub>, एनओ<sub>2</sub> का सांख्यिक लेवल:-**

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>10</sub>	15.99	38.58	60
PM <sub>2.5</sub>	28.20	62.53	100
SO <sub>2</sub>	3.12	11.24	80
NO <sub>2</sub>	5.90	18.54	80

- iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता** – ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में बताये गये टैबल अनुसार

कलीकट्टरम्, मडुट्टेन्, सल्पर, कार्बोनेट्, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य  
 रसायनिक तत्वों का सम्बन्ध जेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवर्तीय ध्वनि स्तर—

Equivalent Noise level	Noise level - dB (A)		CPCB Standard dB (A)
	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	
Day $L_{eq}$	38.5	55.5	75
Night $L_{eq}$	30.5	47.5	70

जो जस्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

16. पी.सी.यू. की योजना— वर्तमान में एवं प्रस्तावित परिवर्तना उपराल गरी  
 कलनी / मडुट्टेकाल हेरी कलनी को सम्बन्धित करते हुये टैमिक अध्ययन  
 रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिवेदा एवं जी/की अनुषात (MTC 1980) सहित) प्रस्तुत  
 किया जाना आवश्यक है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 29/11/2021 को ज्ञात 1100 बजे स्थान — छान  
 पंचायत पीसी के हाई स्कूल परिसर, "कंसर कुज मैदान" (छान खरीटी बंध),  
 छान-मैसो, तहसील-धामगढ़, जिला-जालंधीर-बांध में सम्पन्न हुई। लोक  
 सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, जलसिमागढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर  
 अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 15/02/2022 द्वारा प्रेषित किया  
 गया है।
18. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके  
 निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र  
 अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का  
 मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in  
 hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. क्वार्टर हेतु जीवन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान — जीवन इन्फ्रास्ट्रक्चर  
 मैनेजमेंट प्लान एवं जीवन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक  
 की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही  
 उक्त कार्य पूर्ण किये जाने संबंध सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर.  
 (Corporate Environment Responsibility) के तहत छान पंचायत मैसो की 1 से  
 2 एकड़ भूमि में 1,500 नम प्रतिवर्ष के अधान पर कुल 5 वर्षों में 7,500 नम  
 पुष्करोपन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का  
 मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत प्रथम  
 वर्ष में ही पूर्ण पुष्करोपन किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में पुष्करोपन (50  
 प्रतिशत की जीवन दर में) हेतु पीछो, कर्मिन्, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव  
 के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव  
 सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate  
 Environment Responsibility) के तहत पुष्करोपन हेतु छान पंचायत का सहभूति  
 उपराल भूमि के खसरा क्रमांक एवं नकशे का तालीख अनौ हुद जानकारी प्रस्तुत  
 किया जाना आवश्यक है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का दाय्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देह के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का दाय्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकल्प लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. परियोजना की कुल लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया जाए।
2. दियत वर्षों (जारी वर्षावर्षीय स्वीकृति दिनांक से) में किए गए उद्योगों की वार्षिक मात्रा की अद्यतन जानकारी सभिज विभाग से प्रमाणित करवाने प्रस्तुत किया जाए।
3. काली मिट्टी के रख-रखाव हेतु काली मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही काली मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर मंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का पुनर्प्राप्ति न करने, विखर न करने एवं अन्य कार्यों से उपरोक्त नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग मुख्यतः हेतु किये जाने बाबत दाय्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (30 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछी, पॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान में एवं प्रस्तावित परियोजना उपरोक्त चारों बाहरी / मल्टीएक्सल हेवी वलनों को समाहित करते हुए ट्रेडिंग अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.ए. प्रतिबंध एवं की/सी अनुयाता (MTC 1880) सहित) प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त प्रबंधन द्वारा लीज मुक्तवाई के दौरान उठावे गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपायों के संक्षेप में सालीयद्वार प्रथम अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन साधारण के सुविधानुसार सालीयद्वार प्रथम हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
8. सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्लान एवं सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत दाय्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (30 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछी, पॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरोक्त भूमि के खलाह इलाक एवं खलाह का अन्वयित करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. माइनिंग लीज क्षेत्र को और सख्त वृद्धावधि किये जाने एवं संविदा पत्रों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बायम्प्टी पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का सुविधित जल का बचाव वास्तविक जल स्रोत, तालाब, नदी, खाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. छत्तीसगढ़ अखंड पुर्नवास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सख्त पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. लोडयुनलाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत सख्त पत्र प्रस्तुत किया जाए।
15. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक सख्त में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कवचन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
16. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अलग एवं अलग से सख्त सख्त में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।
17. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा डिपॉजिट करने हेतु संघालय, संघालयलय, सीमिटी तथा खनिजन, इटावली मजरा, नया हवपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के तार से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपरोक्त बर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परांत खानामी कार्यवाही की जाएगी।

उदाहरण एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना की कुल लागत का अंदाजा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना की कुल लागत रुपये 82 लाख है।
2. कार्यलय क्लस्टर (खनिज सख्त), जिला-जांजगीर-बाँसा के ज्ञापन दिनांक 302/ख.नि./स.स./2022 जांजगीर, दिनांक 23/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार अक्टूबर 2020 से सितम्बर 2022 तक सीलेमाईट का उत्पादन 840 मेट्रिक टन किया गया है।

3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,882 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी (एक्स्क्लूज के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र, 8,789 वर्गमीटर) एवं गैर साईनिंग (2,388 वर्गमीटर) क्षेत्र में फैलाकर पुनारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। यह भी कि 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी एवं गैर साईनिंग क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 11,177 वर्गमीटर है तथा ऊपरी मिट्टी कुल मात्रा 18,882 घनमीटर है। अतः अधिकतम 1 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी को फैलाकर पुनारोपण किया जाए। तदीपक्षत से ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. जल की आपूर्ति हेतु घाम संभवतः पानी का अनुपलब्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नम पुनारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए प्रति 88,000 रुपये, पेंसिल के लिए प्रति 40,000 रुपये, साईंट डिपेंडेंशन तथा छाव के लिए प्रति 88,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए प्रति 40,000 रुपये इस प्रकार कुल प्रति 2,30,000 रुपये लगभग वर्ष हेतु एवं रख-रखाव आदि के लिए कुल प्रति 2,32,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु भटकरार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रस्तुत ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में साईन साईंट में 5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा तथा बिल्डिंग-वॉलनड रोड में 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परिवर्धन उपरोक्त पी.सी.यू. प्रतिघंटा में होने वाली वृद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जिससे की विस्तार के उपरोक्त पी.सी.-मटेरियल / प्रोजेक्ट्स के परिवर्धन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में एवं प्रस्तावित परिवर्धन उपरोक्त चारों वॉलनड / मल्टीपल्स हेवी वॉलनड की सम्बंधित करों एवं ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार-

Status	PCU / Hr	VIC ratio
Existing	5	0.0025
Proposed	51	0.003

विस्तार के उपरोक्त पी.सी.-मटेरियल / प्रोजेक्ट्स के परिवर्धन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सार्वभौमिक रूप से हिन्दी (SARVABHOUMIK RUPAM IN HINDI) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनसुनवाई के दौरान कुछ रूप से निम्न मुद्दा/विषय प्रस्तुत किये गये हैं-
  1. अंतर खुलने से यहां के गाय के चरने के लिए जमीन ही को पर्याप्त नहीं हो पायेगा एवं इससे अन्त उत्सर्जन होगा और इसका प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों पर पड़ेगा।
  2. अंतर उद्योग के अल-वाउ किताबों का खेत लगा हुआ है, अन्त उत्सर्जन से फसल नुकसान होगा तथा ब्याक्टीरिया से मकान क्षतिग्रस्त होगा, बच्चों एवं बुजुर्गों को खतरा एवं दिमाग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
  3. प्रथमिकता के आधार पर संबंधित घरों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।



लोक चुनवाई के दौरान उदात्त एवं विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से सार्वजनिक प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का खर्च निम्नानुसार है:-

- प्रस्तावक को सामाजिक खासी पक्की भूमि खानन हेतु आवंटित की गई है, ग्रामीणों की भाव को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव ने बाह्यगत भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 2,52,000 रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। ग्राम पंचायत के सहयोग से बाह्यगत भूमि विकास काम को किया जायेगा।
- ऊपर परियोजना को रोकने के लिए लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासेमण किया जाएगा तथाई सिंक्रलर लगाई जाएगी एवं दिन में दो बार सिंक्रलर का उपयोग किया जाएगा। खनिज का परियोजना तिरपाल से इस्तेमाल की जाएगी। स्लाबिंग से एक घंटे पूर्व एनाउन्समेंट की जाएगी एवं स्लाबिंग जोन में नो-स्टैंड की अनुमति होगी। सौर को कम करने के लिए सॉलर ड्रिल बिट्स का उपयोग किया जाएगा।
- विद्युत बेसोडगार्ड को पोम्पटा के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
- बजट में शामिल (कुल 3) खदानों हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत प्रस्तुत जानकारी में केवल प्रत्येक खदानों के संख्या में ही जानकारी प्रस्तुत किया गया है। ऊपर कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत किन्हे जाने वाले कार्य में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निर्धारित बजट का उपयोग कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के कार्य में ही किन्हे जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
52	2%	1.04	Following activities at nearby, Village-Dhainsho	
			Pavitra Van	3.01
			Nirman	
			<b>Total</b>	<b>3.01</b>

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंबला, बड़, पीपल, पीन, आम, ऊर्दुंग, जामुन, अमरतास, कदम आदि) कुशासेमण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,523 वर्ग मीटरों के लिए राशि 1,01,150 रुपये, बेसिन के लिए राशि 75,000 रुपये, सिंचाई, खाद तथा रक-रकाल आदि के लिए राशि 75,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,51,150 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 50,000 रुपये हेतु पर्यवेक्षण कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मैले को सहमति उपरंत कुशासेमण स्थान

(विषय क्रमांक 1754/1 बीकानेर 2 एअर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित क्षेत्रों का सार्वजनिक वेद (Survival rules) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सघन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाधकारी मिथार्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सघन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल नदी, नाला, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सघन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. अतीनामक अवधि पूर्णवाक्य नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सघन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. लोकानुयाय के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत सघन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुसंधान करना जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
16. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों की अक्षांत एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
17. क्लस्टर में आने वाली खदानों की निराकरण परिस्थितियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संरक्षण हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संवालय, संवालयालय, भीमिरी तथा खनिज, इंद्रावती भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (अतीनामक) के स्तर से सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तुत ट्रेडिक अभ्यास रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में माईनिंग साईट में 5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा तथा बिलासपुर-समगढ़ रोड में 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उद्योग पी.सी.यू. प्रतिघंटा में होने वाली वृद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुसंधान करना जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों की अवगत एवं देहातर सहित नक्शों में दृष्टि दूरे प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., जलोसगढ़ के ज्ञान दिनांक 18/03/2023 के परिषद में धनियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 10/03/2023

समिति द्वारा नक्शों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति आई गई-

1. प्रस्तुत टैकनिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार जलोसगढ़ में माईन साईट में 5 पी.सी.यू प्रतिघंटा तथा बिलासपुर-पाननद रोड में 51 पी.सी.यू प्रतिघंटा है। प्रस्तावित धनियोजना उपरान्त माईन साईट में 21 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं बिलासपुर-जमगढ़ रोड में 27 पी.सी.यू प्रतिघंटा वृद्धि होगी।
2. धनियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त खदान को शामिल करने दूरे क्लस्टर में कुल 3 खदानें आती हैं। अब क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
अनुसंधान निर्यात हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न हुए जलस्रोतों के निर्यात हेतु जल सिंचक, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 800 मीटर	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
पट्टीय मार्ग के दोनों (30 प्रतिघंटा जीवन दर) हेतु रसि	67,500	6,750	6,750	6,750	6,750
उपरोक्त (1,300 मग) पट्टीय मार्ग हेतु रसि	1,35,500	-	-	-	-
पट्टीय मार्ग हेतु रसि	13,500	1,000	1,000	1,000	1,000
पट्टीय मार्ग हेतु रसि एवं रस-रस हेतु रसि	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000
सड़कों / पट्टीय मार्ग के रस-रस हेतु	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
दोनों दोहरा दोहरा	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल रसि = 34,37,500	6,99,500	4,37,750	4,37,750	4,37,750	4,37,750

कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
अनुपम निवेशन हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से वापस भूल उत्सर्जन के निरोधन हेतु जल सिंचनार्थ, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 325.03 मीटर	43,338	43,338	43,338	43,338	43,338
पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (450 मी) कुआरोपन हेतु	कुआरोपन (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,270	2,270	2,270	2,270
	सिंचन हेतु राशि	—	—	—	—
	घाट हेतु राशि	337	337	337	337
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	3,363	3,363	3,363	3,363
सड़कों / पट्टीय मार्ग से रख-रखाव हेतु	67,250	67,250	67,250	67,250	67,250
हेल्थ चेकअप डेम्ण्ड फॉर विलेजर्स	33,625	33,625	33,625	33,625	33,625
<b>कुल राशि = 8,34,666</b>	<b>2,33,623</b>	<b>1,50,183</b>	<b>1,50,183</b>	<b>1,50,183</b>	<b>1,50,183</b>

1. कलक्टर हेतु कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करके दृष्टे जाणकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध बनाकर जाणकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्जाएं एवं दस्तावेज सहित नक्शे में दर्शाते दृष्टे प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.ओ, कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोपन कार्य के ऑनोडरिंग एवं परिसर हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जेम्पलईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अतीतनवर्ष पदास्थ संस्थान मन्त्राल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.ओ, कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के

सब-सख्त एवं सुझावों का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत सख्त वि-परीय समिति में सख्तित करना जाना अवश्यक है।

8. माननीय एन.जी.टी., डिनिपल बीच, नई दिल्ली द्वारा सख्त पान्देय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पणित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिशत किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्त उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्पोरल कलेक्टर (अनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बांग के ज्ञापन क्र. 1082/गीन अनिज/न.अ./2020-21 जांजगीर, दिनांक 04/07/2020 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर के मीटर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 8.544 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (बाम-बैन्ड) का क्षेत्रफल 4.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (बाम-बैन्ड) को मिलाकर कुल रकबा 13.374 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की शर्तें नहीं।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पिना संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आवेदन के अनुसार कलेक्टर में आने वाली खदानों की जाखनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलेक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, कलेक्टर हेतु खनिज इन्फार्मेट मनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनलय, भूमिही तथा खनिकर्न, इटावली मकन, नवा रायपुर जटल नगर, जिला - रायपुर (अलीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिशत किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्त उपरंत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बैन्डो कोलोमाईट खाने (प्री- श्री कम्पू दयाल मिश्र) को बाम-बैन्ड, एखरील-पाननड, जिला-जांजगीर-बांग के समस्त क्रमांक 1082/1 में सिखत कोलोमाईट (गीन अनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.83 हेक्टेयर, क्षमता - 2,52,377 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

सख्त राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) अलीसगढ़ को खदानुसार सूचित किया जाए।

9. बैठकी सविज्ञा लाइन स्टोन आईन (पी-डी) विषय कुम्हार (जायकावाज), ग्राम-सविज्ञा, तहसील-बिलाईनगढ़, जिला-बलीदाबाजार-भाटापार (सविज्ञाकाय का नक्की क्रमांक 1949)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एमआईए/ सीडी/ एमआईएन/ 20448/2022, दिनांक 28/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समिती होने से ज्ञापन दिनांक 14/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सविज्ञा जानकारी दिनांक 02/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

खदान का विवरण - यह पूर्व में संयोजित कृष्ण पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सविज्ञा, तहसील-बिलाईनगढ़, जिला-बलीदाबाजार-भाटापार स्थित खदान क्रमांक 189/2, कुल क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,072.7 टन प्रतिवर्ष है।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एमआईएसी, झरनागढ़ से ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिती की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु सी डीक कुम्हार बैठकन, अधिसूत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिती द्वारा नक्की, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में कृष्ण पत्थर खदान खदान क्रमांक 189/2, कुल क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर, क्षमता-1,072.70 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण रक्षाघाट निर्धारण प्रधिकरण, जिला-बलीदाबाजार-भाटापार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिती का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नगदा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्दिष्ट शर्तानुसार पुनरोपन नहीं किया गया है।
- समिती का मत है कि कियत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी सविज्ञा विभाग से प्रेषित कतकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. क्षान पंचायत का अनधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं खनन की स्थापना के संबंध में क्षान पंचायत सविज्ञाघाट का दिनांक 25/08/2008 का अनधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** - जारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एंड जारी ब्लॉक प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उच्च संवर्धक (खनिज प्रस्ताव), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के डायन क्रमांक 1828/खनि./सीन-1/2018 बलीदाबाजार, दिनांक 20/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के डायन क्रमांक/1044/खनि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 10/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.463 हेक्टेयर हैं।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के डायन क्रमांक/1044/खनि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी डायन पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मण्डप, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनोकाट, बांध एवं जल आपूर्ति अदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** - भूमि एवं लीज की निम्नानुसार जानकारी के गम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अवधि दिनांक 17/02/2009 से 18/02/2014 तक की अवधि हेतु है। संरचनाएं लीज डीड 25 वर्ष अवधि दिनांक 17/02/2014 से 18/02/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र** - कार्पोरेट वनसम्पदाधिकारी, बलीदाबाजार वनसम्पदा, बलीदाबाजार के डायन क्रमांक/सकनीकी/खनिज/2022/1735 बलीदाबाजार, दिनांक 17/08/2022 से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **साम्यपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम-सलिहा 515 मीटर, स्कूल ग्राम-सलिहा 515 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-सलिहा 515 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 830 मीटर एवं राज्यमार्ग 68 कि.मी. दूर है। महानदी 875 मीटर, नाला 1.33 कि.मी. एवं तालाब 1.47 कि.मी. दूर है।
10. **परिस्थितीकीय/जैववैविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमरकान्तक, केन्द्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इतिहासी फील्डस्टेड सुरिया, परिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
11. **खनन संघदा एवं खनन का विवरण** - डिस्ट्रिक्टिकल रिजर्व 30,300 टन, स्टेटिकल रिजर्व 11,918 टन एवं रिटायरिंग रिजर्व 10,728 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बढ़ती (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,513.08 वर्गमीटर है। अपेक्षाकृत सभी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में कनरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर थी, जिसका उत्खनन पूर्व में ही किया जा चुका है। बीच की कंधाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अस्तर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक डीमर से डिजिटिंग एवं कंट्रोल

संशोधन किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रुषण किया जाता है। सर्वोपरि प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,072.70	षष्ठम	1,072.70
द्वितीय	1,072.70	सप्तम	1,072.70
तृतीय	1,072.70	अष्टम	1,072.70
चतुर्थ	1,072.70	नवम	1,072.70
पंचम	1,072.70	दशम	1,072.70

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिंक्रुषण, कुशारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निश्चित खदानों में एकत्रित जल एवं पेषजल की आपूर्ति द्रुम वेग से साध्य हो की जाती है। इस बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेषजल की आपूर्ति द्रुम वेग से साध्य हो की जाएगी। इस संबंध में उनको द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित द्रुम वेग सार्वजनिक है अथवा निजी?
  1. यदि निश्चित द्रुम वेग लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल गवर्नर वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
  2. यदि द्रुम वेग सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु दान संशयता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. कुशारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 100 नम कुशारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशारोपण हेतु पीछे का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्याप्त व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,013.08 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2 मीटर की सड़लाई तक अपनी मिट्टी उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना सर्वांगीण स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत विवरणानुसार आवश्यक दस्तावेजक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नील कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु नानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्त क्रमांक 4(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt



shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मानक बर्त के अनुसार माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में कुआरोपन किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उल्लेख्य सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से बनाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में कुआरोपन हेतु निहित बर्तों के पालनार्थ खदान क्षेत्र में कुआरोपन जन जिसेटिंग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत बर्तों में किये गये उल्लेखन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रभावित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. पंपहाउस की क्षमता द्रव्य बेल के माध्यम से किये जाने के संबंध में उनसे द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित द्रव्य बेल सार्वजनिक है अथवा निजी?
  1. यदि स्थित द्रव्य बेल सीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर अस्तित्व में हो तो भू-जल की उपस्थिति हेतु सेन्ट्रल इन्स्ट्रुमेंटल कौन्सिल की अनुमति प्राप्त किया जाए।
  2. यदि द्रव्य बेल सार्वजनिक हो तो जल क्षमता हेतु ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सीज क्षेत्र के बर्तों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरोपन हेतु बीबी का सीमा, फीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन सीज क्षेत्र के बर्तों और 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुल भाग में किये गये उल्लेखन के कारण इस क्षेत्र के उपस्थित उपायी (Bathedral Minerals) के संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न द्रव्य के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी यथा कुआरोपन आदि के लिये समुचित उपायी बाधक संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्न, इंद्रावली नगर, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (असीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
8. अधिस्थित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उल्लेखन पाये जाने पर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्न एवं पर्यावरण को अति पहुचाने हेतु असीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।



9. सर्टिफाइड एंटरप्राइज किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. सर्टिफिकेशन लीज क्षेत्र के अंदर स्थान वृक्षारोपण किये जाने एवं संविदा पौधों का सततविकास रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बायस्कोपी चिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, खास में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. उत्तीर्णक आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दंड के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुसार ए.स.ई.ए.सी., उत्तीर्णक के द्वारा दिनांक 26/12/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(र) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 19/09/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट शर्तों के पालनार्थ खदान क्षेत्र में वृक्षारोपण वन डिपार्टमेंट फोटोग्राफ (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (अग्नि वन), जिला-सारेगढ़-बिलाईगढ़ के द्वारा क्रमांक 38/स.ति.1/2023 सारेगढ़-बिलाईगढ़, दिनांक 19/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विप्लव वर्मा में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016-17	निरंक
2017-18	25
2018-19	145
2019-20	155
2020-21	85
2021-22	50
2022-23 (दिसम्बर तक)	निरंक

4. जल की अपूर्णि धाम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किये जाने बाबत धाम पंचायत सतिहायक का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित होने के कारण 100 नग कुआरोपन को स्कूल के आस-पास के क्षेत्र सहजति उपरंत प्राप्त शासकीय भूमि, स्वयं की निजी भूमि, खदान को पहुंचाना, समीपस्थ राज्यमार्ग एवं पब्लिक रोड आदि में किये जाने बाबत प्रतिवर्ष 25 नग कुआरोपन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि प्रस्तावित 100 नग कुआरोपन को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने हेतु उत्खनित सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी को पुनःस्थापन कर चौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परिचोपना प्रस्तावक द्वारा धाम पंचायत सतिहायक के सहजति पत्र के माध्यम से सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के तहत किये गये कार्यों की जानकारी तथा बांध पीने योग्य पानी हेतु टैंकर उपलब्ध कराया, सामुदायिक नयन की सन्मत्त व पेंसिंग कार्य, बांध के रोड के दोनों किनारे में कुआरोपन, बरसी के लिये ज्ञानकर्तक किताबी का विवरण एवं स्कूल में पानी हेतु हेतुपयोग्य उपलब्ध कराया जाना बताया गया है।

समिति का मत है कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत शासकीय स्कूल अथवा संबंधित धाम पंचायत के सहजति उपरंत प्राप्त शासकीय भूमि में सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के तहत किये गये कार्यों के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि कुआरोपन कार्य प्रस्तावित किया जाता है, तो कुआरोपन हेतु चौधों का रोपण (30 प्रतिशत जीवन दर सहित), बुच्छा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. कंट्रोल अगारिंटन किये जाने बाबत सपय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. फार्मिंग सीज क्षेत्र की अंदर सपय कुआरोपन किये जाने एवं रोपित चौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत वाटरग्टी विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने कावातु सपना पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह वास्तविक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने कावातु सपना पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. अतीमगड आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सपना पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।

समिति द्वारा विचार किये गए सपनात सर्वसम्मति से निम्ननुसार निर्णय लिया गया—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया सपनुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अधिदेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित 100 नम कुआरुपन को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने हेतु उल्लखित लीक क्षेत्र की सीमा में खोई और 7.5 मीटर की पट्टी को पुनरुसूत्र कर पौधों का रोपण, पौंसिन, खाद एवं सिंचाई तथा रक्ष-रक्षण के लिए 5 वर्षों का पटकरवार समय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत सामंसीय लकूल अथवा संबंधित वाम संकायत के लकूमति सपनात प्राप्त सामंसीय सुनि में सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के तहत किये गये कार्य के अधिविस्त अन्व प्रस्ताव विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि कुआरुपन कार्य प्रस्तावित किया जाता है, तो कुआरुपन हेतु पौधों का रोपण (50 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुखा हेतु पौंसिन, खाद एवं सिंचाई तथा रक्ष-रक्षण के लिए 5 वर्षों का पटकरवार समय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

सपनात सहित जानकारी/उल्लखित प्राप्त होने सपनात आगामी कारुवाही की जादगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया सपनुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स बजाजपन्ड रोमड स्वामी (के-1) (पि- बीमती कुसुमलता साहु, ग्राम-बजाजपन्ड, लहरील-बजाजपन्ड, जिला-बस्तर (अधिकालय का नक्सा क्रमांक 18888)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्प्लॉय/ 257882/2022, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (ग्रेन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बजाजपन्ड, लहरील-बजाजपन्ड, जिला-बस्तर, स्थित प्लॉट अंक खसरा क्रमांक - 184, कुल क्षेत्रफल-1.12 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 22,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, जलसामग्री के ज्ञान दिनांक 23/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमोदित प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बजाजपन्ड का दिनांक 28/11/2018 का अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्हाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से ज्ञात प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर परीक्षा के ज्ञान क्रमांक 248/खनिज/प.पी./2021-22 परीक्षा, दिनांक 08/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जमदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञान क्रमांक 308-बी/खनिज/ख.नि.3/रेत खदान/2022 जमदलपुर, दिनांक 25/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर आवेदित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.88 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के ज्ञान क्रमांक 308-बी/खनिज/ख.नि.3/रेत खदान/2022 जमदलपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, नुस्खेदार, मत्घट एवं एनीकट आदि घोषित क्षेत्र विहित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. बीमती कुसुमलता साहु के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के ज्ञान क्रमांक 3008/खनिज/ख.नि.3/विर्स अखनन(रेत)/2021 जमदलपुर, दिनांक 14/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 8 गज हेतु वैध थी।

- एन.ओ.आई. की वेबसाइट वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. वन विभाग का अनुरोधित प्रमाण पत्र – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
  10. महत्वपूर्ण संलग्नकों की दूरी – निकटतम आबादी घाट-बजावण्ड 1.28 कि.मी., एवं स्कूल घाट-बजावण्ड 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10, 83 कि.मी. एवं राजमार्ग 38 कि.मी. दूर है।
  11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्टली पीलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
  12. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 105 मीटर, न्यूनतम 140 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 252 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 55 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है।
  13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 22,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक मोटाई का मापन कर, स्थिति विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वार्षिक मोटाई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
  14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत पंचनामा में रेत की मोटाई 2 मीटर बताया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में डैड रॉक (Dead Rock) के कारण अवस्थित रेत की मोटाई कितनी है? उक्त रेत की वार्षिक मोटाई का मापन कर, स्थिति विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  15. खदान क्षेत्र में रेत सतह के संवेक्षण – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 10/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान संवेक्षण (Levels) लेकर, उन्हें स्थिति विभाग से प्रमाणिकरण उपरती ऑटोचालस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
  16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बजावण्ड सेफ्टी क्वार्टी (से-1) एवं मेसर्स बजावण्ड सेफ्टी क्वार्टी (से-2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत पर्यावरण वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है

कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत सी.ई.आर. प्रति का व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detail Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. कुआरीयन कार्य - कुआरीयन (नदी तट पर कुल 50 मग चौड़े) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार चौकी के लिए प्रति 1,000 रुपये, बंशिन के लिए प्रति 15,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 275 रुपये, मिचलाई तथा सब-खाद के लिए प्रति 2,04,800 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 2,22,175 रुपये एवं आगामी 2 वर्ष हेतु कुल प्रति 3,68,438 रुपये परोजनाय व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नदी के पार में कुआरीयन किये जाने की वशा में बाढ़ की अधिकतम सीमा (Maximum Flood level) को ध्यान में रखते हुए नदी के किनारे (River Bank) कुआरीयन किया जाए।
18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भरवाई का कार्य सीकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी आवयन कार्य एवं लक्ष्यकी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः रेत के संकट में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तात्काल्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संकट में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. सीकर सीमा से निकलने वन क्षेत्र की वार्षिक रेत संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनपडित प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के अन्त अस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी आवयन कार्य एवं लक्ष्यकी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की गहराई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
6. मेसर्स बजायमठ सोम्य क्वारी (के-1) एवं मेसर्स बजायमठ सोम्य क्वारी (के-2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत पवित्र वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत सी.ई.आर. प्रति का व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detail Project Report) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.की. धर्तीसमूह के द्वारा दिनांक 18/08/2022 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/03/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 883वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. एल.ओ.आई की काला तृटि बास्तू ग्यालाख्य संघालक, भीमिडी तथा खनिज, नया बजपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 08/2023 द्वारा जारी पारित आवेदन दिनांक 22/08/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार "वनरीक विवेचना के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, प्रादेशिक ग्रीन खनिज सञ्चालन रीत (अखनन एवं व्यवस्थापन) नियम, 2019 के नियम 7 (4) परन्तु क की तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं अखनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण असेक्टर, जिला बस्तन को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" का उल्लेख है। समिति द्वारा पता चला कि खनिज विभाग द्वारा रीत अखनन परखनिषपट्टा अवधि 02 वर्ष की स्वीकृति हेतु एल.ओ.आई जारी किया गया है।
2. कार्यालय वनभाण्डलधिकारी, वनभाण्डल बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक/अ. 11.अ./89 जगदलपुर, दिनांक 09/01/2023 से जारी अनाधिकृत खनन एवं अन्वृत्तार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
3. परिसीजन प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रीत की मोटाई संबंधी जानकारी (रिक्वायर्ड सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. अखनन योजना में अखनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रीत पुनर्रक्षण संबंधी अखनन कार्य एवं तालकड़ी आकड़ों का समवेत खनिज विभाग से प्राप्त वन जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की औसत लंबाई 252 मीटर है।
6. परिसीजन प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बजावन्ध रोण्ड क्वारी (के-1) एवं मेसर्स बजावन्ध रोण्ड क्वारी (के-2) का सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत वरिष्ठ वन निर्माण हेतु संयुक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby, Village- Bajawand	
			Pavtra Van	5.72
			himan	5.72
			<b>Total</b>	<b>5.72</b>

7. सीईआर के अंतर्गत "परिषद वन निर्माण" के तहत (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) कृशालेखन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नम पीपल के लिए राशि 27,000 रुपये, पीपिंग के लिए राशि 88,000 रुपये, चांद के लिए राशि 8,000 रुपये, सिंघाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रखा-रखाव आदि के लिए राशि 1,34,000 रुपये, इस प्रकार कुल 3,51,000 रुपये

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



तथा द्वितीय वर्ष में कुल राशि 2,19,300 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 2 वर्षों में कुल राशि 5,72,300 रुपये व्यय होगा, जिसमें से आवंटित खदान द्वारा व्ययित राशि 3,88,150 रुपये व्यय किया जाएगा। सी.ई.आर. के तहत "ध्विज वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत बजासगढ़ को सहमति उपरोक्त कक्षाधीन स्थान (खसरा क्रमांक 882, क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "ध्विज वन निर्माण" के तहत किये जाने वाले कक्षाधीन का एक-खदान आवंटित खदान द्वारा आगामी 2 वर्षों तक सुनिश्चित किया जाए।

8. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कक्षाधीन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-क्षीय समिति (प्रोवसाइटर/अतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यावरणी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलोत्सव पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यावरणी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कक्षाधीन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-क्षीय समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं मसाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी बहन की श्रेणी के है। अतः मसाई का कार्य मैन्युअल विधि से कराई जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्रक्षण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समवेक नहीं किया गया है। मसकरी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सन्तान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्रक्षण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विधान विनयी उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवंटित खदान (ग्राम-बजासगढ़) का रकबा 1.12 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की शान्ति नदी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत वाद अध्ययन (Investigation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्रक्षण (Replenishment) वास्तु सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सहाय का बेसावधानी खटा -
  1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सहाय के सतों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तत्काल एस.ई.आई.ए.र., जलोत्सव को प्रस्तुत किये जाये।
  2. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विड बिन्दुओं में गार्निंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहाय के सतों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

3. इसी प्रकार रेत खनन जमात मानसून के पूर्व (माई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विषय किन्तुओं पर रेत सतह के लेवलस Levels का मापन किया जाएगा।
4. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विषय किन्तुओं पर रेत सतह के लेवलस Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
4. समिति द्वारा किया विनाई उपरोक्त कार्यवाही में मेसर्स बजाजपन्थ रोल्ड मशी (के-1) (प्रो- सीनरी कुतुमजवा साहू), चार्ट ऑफ ससास क्रमांक - 184, डाम-बजाजपन्थ, लखसैल-बजाजपन्थ, जिला-बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित राखते हुए, कुल 11,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु प्रतिशेड-07 में उचित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किया रेत खुदाई पट्टे (Excavation pits) के अंदरिन खुदाई तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रायी द्वारा किया जाएगा।
5. उदाहृत स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) की ऊपर अवस्थित रेत की खुदाई संबंधी जानकारी (विषयना सहित) एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है।
6. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तात्काली आंकड़ों का सम्बन्ध खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज को एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है।
7. सस्टेनेबल सैण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार मातृ सुनिश्चित किया जाए।
8. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

सब्सिडी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकतम (एम.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

1. मेसर्स नंदन स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड, किलतरा औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-सोमड़ा, तहसील-धरसीवा जिला-राजपुर

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एस.आई.ए. / सीजी / आईएनजी / 200005/2023, दिनांक 24/03/2023। मेसर्स लक्ष्मीकुवा स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स नंदन स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अनामतित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

इस्पात का विवरण -

1. एचएम ग्राम-सोमड़ा, तहसील-धरसीवा जिला-राजपुर स्थित चारस क्रमांक 30, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39/1, 39/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53 एवं 54 के कुल क्षेत्रफल 8.44 एकड़ (3.42 हेक्टेयर), गडौल स्टील बिसेट क्षमता-2,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं पी-रोल स्टील प्रोसेसिंग (थ्रू ऑनलाइन हीट चार्जिंग)-1,00,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए. इलीसगढ़ से ज्ञात दिनांक 23/03/2019 द्वारा ज्ञात क्षमता हेतु मेसर्स लक्ष्मीकुवा स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मेसर्स लक्ष्मीकुवा स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स नंदन स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर इस्पातरूप किये जाने बाबद् मेसर्स लक्ष्मीकुवा स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स नंदन स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स लक्ष्मीकुवा स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरिक्त शर्तों का पालन किये जाने बाबद् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स लक्ष्मीकुवा स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये बिजनेस ट्रान्सफर एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. मेसर्स लक्ष्मीकुवा स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य किये गये विजय विसेस की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स लक्ष्मीकुवा स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एन्ड पीयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ़ रिजॉल्यूशन की प्रति प्रेषित की गई है।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 17/04/2023 की संख्या 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा जारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार किये गये लक्ष्मीकुवा स्वीकृति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही के परिणाम में परीक्षण कर उपयुक्त अनुभव किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. इलीसगढ़ से सपथ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

समिति द्वारा गरीब, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, सर्वोच्च न्याय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिफिकेशन 2006 (जिस संशोधित) के पैरा '11. Transferability of Environmental Clearance (EC): A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.' के अनुसार गण परिशिष्ट हेतु Certified Compliance Report (सी.सी.आर.) की आवश्यकता होने का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही परियोजना असावक द्वारा दिनांक 09/05/2023 के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी में एक नू-इयर्स में उद्योग स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय उद्योग में जलन प्रतिबंधन की आवश्यकता नहीं है। परियोजना असावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अभिलेखित सर्ती का पालन किये जाने वाला गारंटी पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार अनुमति जारी हुई अगले और प्रेषित है।

राज्य स्तरीय सर्वोच्च उद्योग अवलोकन प्रतिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), अस्वीकरण की तदनुसार सूचित किया जाए।

**2. गैरसं सगरी रोमड मईन (पी- की जितेन्ड कुमार मण्डल), ग्राम-सगरी, तहसील-नगरलोड, जिला-धमतरी (सर्वोच्च का नवी क्रमांक 1000)**

एस.ई.आई.ए.ए., अस्वीकरण के नू. इयर्स क्रमांक 1000, दिनांक 23/03/2020 द्वारा श्री जितेन्ड कुमार मण्डल, सगरी रोमड मईन, पार्ट ऑफ खरना क्रमांक 01, ग्राम-सगरी, तहसील-नगरलोड, जिला-धमतरी, कुल सीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.6 मीटर की गहराई तक सीमित रखी हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

श्री जितेन्ड कुमार मण्डल, सगरी रोमड मईन, ग्राम-सगरी, तहसील-नगरलोड, जिला-धमतरी की एस.ई.आई.ए.ए., अस्वीकरण के नू. इयर्स क्रमांक 1000, दिनांक 23/03/2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के संघ के दिनांक 02/03/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित लघु निम्नानुसार है-

श्री जितेन्ड कुमार मण्डल के पत्र में ग्राम सगरी, तहसील नगरलोड, जिला धमतरी के खरना क्रमांक 01 भाग, लंबा 4.98 हेक्टेयर क्षेत्र का खनिज सञ्चयन रेत का उत्खनन पट्टा 18/05/2020 से 17/05/2022 तक स्वीकृत है, जिसने छ.ग. सीज खनिज रेत (खारसाय तथा उत्खनन) नियम 2019 के नियम 04 के तहत मूल स्वीकृति अवधि में एक वर्ष विस्तारित करते हुए पत्र क्षेत्र में दिनांक 18/05/2020 से 17/05/2023 तक उत्खनन पट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनन पट्टा में रेत उत्खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सलाहकार निर्धारण अधिकरण, ध.ग. के माध्यम अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 23/03/2020 से 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है

एवं नोटिफिकेशन दिनांक 18/01/2021 द्वारा एक वर्ष का वैधता विस्तार दिया गया। अतः 22/03/2023 तक पर्यावरण सहमति वैध है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 की पैरा 9 (i) में लेख किए गए प्रावधान "परन्तु खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खत्म नष्ट के निष्पादन के तंत्र से दिए जायेंगे" के प्रावधान के परिच्छेद में मार्गदर्शन प्राप्त गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति किस दिनांक से लागू होगी अतः क्या पर्यावरण सहमति 22/03/2020 से 3 वर्षों के लिए वैध है? या सीमा अनुबंध दिनांक 18/06/2020 से 3 वर्षों के लिए वैध है?

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्प की दिनांक 17/04/2023 की संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा मस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

प्रतिकल्प द्वारा विचार किर्वां उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी दिश-निर्देशों तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं ऑफिस नोटिफिकेशनों के परिच्छेद में परीक्षण उपरोक्त अनुबंधों किन्हीं जाने हेतु प्रकल्प को एस.ई.ए.सी., प्रतीक्षण के समक्ष प्रस्तुत किन्हीं जाने का निर्णय लिया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 10/05/2023

समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर परीक्षण करने पर निम्न विधिति पाई गई-

1. आवेदित खदान को खनिज विभाग द्वारा वेत रखनिपट्टा दिनांक 18/06/2020 से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया तथा एक वर्ष विस्तारित करती हुए एक क्षेत्र में दिनांक 18/06/2020 से 17/06/2023 तक रखनि पट्टा स्वीकृत किया गया। राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प, छ.प. के प्रावधान दिनांक 22/03/2020 द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार "Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease." का उल्लेख है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid." का उल्लेख है।
4. समिति द्वारा पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों

के अनुसार खान परिवोजना के मतलों में पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना खान पट्टे के निष्पादन तारीख से मान्य होगी।

साथ ही समिति द्वारा यह भी वादा गया कि खाना कारखाना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोटीना कारखाना के प्रयोग की देखते हुये और लम्बेचाल इसके निष्पादन के लिए घोषित लीकजायन के दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबन्धों के अन्तर्गत मंजूर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथापि पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में उक्त अवधि को दोहराने उपचार गये सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे।

2. उपरोक्त अधिसूचनाओं से समिति का सर्वसम्मति से मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की केषता की गणना लीक खान पट्टे के निष्पादन तारीख (दिनांक 18/05/2020) से मान्य होगी, जिससे कि पर्यावरणीय स्वीकृति की केषता दिनांक 17/05/2022 तक थी। चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार दिनांक 18/05/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक की अवधि को पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना में शामिल नहीं किये जाने के कारण आर्सेनिक खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति की केषता दिनांक 31/03/2023 तक थी।

समिति द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों से परिचित प्रस्तावक को अवगत कराये जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए), उत्तीर्णन की तदनुसार सुचित किया जाए।

वैतक कार्यालय द्वारा की साथ संलग्न हुई।

  
(श्री. की. सद्दुल वैरुट)

सदस्य सचिव  
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
उत्तीर्णन

  
(श्री. सी.वी. नन्दानी)

अध्यक्ष  
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
उत्तीर्णन

## केसरल जलकक्षा ऑर्डिनेटरी स्टोन काटी (जे- बी खेतड़ा चम)

को खसरा क्रमांक 138/पाटी, 140/2, 140/4, 140/8, 141/1 एवं 141/2, कुल लीज क्षेत्र 3.778 हेक्टेयर, ग्राम-जबलना, तहसील-मानपुर, जिला-भोपाल-मानपुर-बनारस सीमा में सञ्चालन पत्र (सीन खनिज) कायमन - 2,00,000 टन (1,00,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम कायमन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.778 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सञ्चालन पत्र का अधिकतम कायमन 2,00,000 टन (1,00,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कायमन पत्रों मुद्दे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की किरा भात सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए, नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार स्ट्रैटेजिक द्वारा साइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नानित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा पुनर्वापन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सीक्रेट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नानित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आवस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भात सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि स्ट्रैट कायमन संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी से-ग्रोविंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वन्यजीवों, जीवों आदि के उपयोग हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित साईन क्लीयरेंस प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. न्यू-जल के उपयोग (जदि किया जाता हो तब) हेतु सेंट्रीय न्यू-जल बोर्ड से पराजान करार करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी किसी / वेड / चाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घन्टीगत से कम सुनिश्चित किया जाए। कार, स्क्रीन, ट्रांस्फर पाइपदस (जदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का वेन फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्सर्जन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न कणवित्तिय डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। प्यूड चार्ज, रैप्, संवहन बोर्, मराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम संवेहन सिस्टम एवं जल सिंक्राटा की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ध ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाहरी, खान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्सर्जन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता माता सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चाटी तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / मण्डालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृशरोपण किया जाए।
12. उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई कपटी मिट्टी (टीप सीईल) का उपयोग उत्सर्जन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ज़ोनसर्जन को फिर (स्टेबिलाईज्ड) करने में किया जाए। कपटी मिट्टी (टीप सीईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से मण्डलित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ज़ोनसर्जन एवं अनुसंधानी/बिड़ी ज़ोमण खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर मण्डलित किया जावेगा। इस प्रकार के मण्डलन स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मण्डलित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विखरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की लंबाई 3 मीटर तथा सतह 20 डिग्री से अधिक न हो। ज़ोनसर्जन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृशरोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ज़ोनसर्जन एवं अन्य अनुसंधानी/बिड़ी ज़ोमण खनिज (वेस्ट रीक) को खान के पर्यात बने पदार्थों में पुनःमलन (रिक किलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
15. परिलोचना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खान प्रक्रिया से उत्पन्न मिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु चाईन वीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कक्कई बहन से किया जाए, ताकि खनिज बाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे बाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—





Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.7	Following activities at Village- Eragoon	
			Paints Van	0.7
			Nirman	
			<b>Total</b>	<b>0.7</b>

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त अंतर्गत कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हूये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवक उल्लेखित होगा। कुशाचार्य अलक्षित होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र जल निर्माण" के तहत (क्यूटल, कदम, करंज, जामुन, नीम, आम) कुशाचार्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 गम पीछी के लिए राशि 30,000 रुपये, पीपल के लिए राशि 30,000 रुपये, खार एवं सिचाई के लिए राशि 25,000 रुपये, रस-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,12,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,52,300 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरण प्रदाताक द्वारा ग्राम पंचायत ईशानाव के सहमति उपरोक्त ग्राम पंचायत ईशानाव के अधिकृत ग्राम जयकला में कुशाचार्य स्थान (खारा इकाई 55, क्षेत्रफल 0.34 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं कुशाचार्य कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ऑफिसर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रखरीसमूह पर्यावरण संरक्षण मन्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशाचार्य का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा कतने गम कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवक की जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु विविध क्षेत्र (घाटी तथा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील क्षेत्र, जोखबईन कर्म आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,500 कुर्ी का सामान कुशाचार्य किया जाए। इतिल पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्रकृतिकला के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में जीव क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, पीपु, आम, इलाही, ऊर्जुन, पीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 780 गम पीछी का रोपण (कुल 2,380 गम पीछी) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृशित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कस्टोडियर तार के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किरीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशाचार्य



किया जाए। 5 पीट से 8 पीट ऊंचाई वाले पीठों का ही प्रयोग किया जाए। उपरोक्त कृतारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कृतारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किन्हे जाने वाले पीठों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीठों के नाम का उल्लेख कर्ता हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन को साथ जमा करें।
25. नईनिग क्षेत्र क्षेत्र के अंदर एवं बाहर बाघन कृतारोपण किन्हे जाने एवं रोपित पीठों का सलाईविल रेट (Survival rate) का प्रतिवर्त सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृतारोपण का एक-वर्षाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित कर्ता हुये नूत पीठों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किन्हे नये कृतारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अवैधानिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर्ता हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.एच., छत्तीसगढ़ को भेजित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्धित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को उक्त प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से दिन-दिन शरतों से क्युवैटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, इन शरतों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिटरलस कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) को उक्त कालाठी विलनी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पीछर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल सिकावों को संरक्षण एवं संर्भाल किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उन्का उपचार भी कर्ता जाए।
32. बाघन प्रतिकार / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से अट्रोल बरनिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (सलाई पीस) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। गैट ट्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अवैधित ट्रिलिंग किया जाए, विस्फोट डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को उपर असंतुलित स्थान में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभी स्थित जनसंघों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में चाहे जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, जनसंघों का समुचित संरक्षण अपनाय व्यवस्था होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पीन ध्वजित का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन ध्वजित नियम, 2012 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। नईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।



36. कार्य स्थल पर यदि कंमिन्ग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे कमिन्गों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवर्जना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. कमिन्गों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितवासीय सुविधा, ग्रीनहाल टायलेंट आदि की व्यवस्था परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. कमिन्गों का समय-समय पर आसुवर्जनागत हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
39. उखानन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुवीरित उखानन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उखानन, सुविधा की मात्रा एवं अपेक्षित समितित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आलय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकतर दर्जाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों को उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण की सुधि में, परिवर्जना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन का से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्तों में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्तान के मामलों को और सखा करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
42. परिवर्जना प्रस्तावक नूनातम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवर्जना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आलय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवर्जना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिमें सविद्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ की वेबसाइट [parivash.nct.in](http://parivash.nct.in) पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्थ वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, गिलाई-पुरी, एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रवृत्तन निबंधन बोर्ड / छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।



## नेशनल महावीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(नीचेकोइला आर्किनेटी स्टोन कारी, डीपरेक्टर- बी सुनील जीन)

की खनन ब्लॉक 453/3, 450/1, 450/2, 450/3, 451/1, 451/2, 452, 453 एवं 455, कुल लीज क्षेत्र 2.75 हेक्टर, ग्राम-नीचेकोइला, तहसील-अंबागढ़ चौकी, जिला-बीहल-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में सहायक पत्थर (पीन खनिज) उत्खनन - 40,000 टन (20,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान में रखा जाई तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.75 हेक्टर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सहायक पत्थर का अधिकतम उत्खनन 40,000 टन (20,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के नुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धौंसू दूषित जल (यदि कोई हो) को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की केंद्रत भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (नया संशोधित) के प्रावधानों को लागू रहेगी।
5. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार फर्टीलाइजर द्वारा फर्टिलिजेशन प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी भी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षांतोषण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धौंसू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी भी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल को पुनःउत्पाद भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि फट्टा धारक खान संयोजन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-grassng) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह खान, वनस्पतियों, जीवों आदि को उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा सख्त प्रतिकारी से अनुमोदित बाईन क्लोजर प्लान एक सट के नीचे प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विनयी / वीट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / घण्टा घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अगर, खनिज ट्रांसपोर्ट प्वाइंट्स (यदि कोई हों) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का डेप फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज परखनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फ्लूइडिज डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। प्लैंथ नार्थ, वेस्ट, सेंट्रल क्षेत्र, पहाई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कॉन्टेनमेंट कम सॉलेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सख्त संभालन / संभाल सुनिश्चित किया जाए। सिंग ड्रेनिंग वील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। परखनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संशोधन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के बाहरी तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंग / सम्भालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. परखनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई सखी मिट्टी (टीप सीईल) का उपयोग परखनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी औपखनन को स्थल (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। सखी मिट्टी (टीप सीईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से सम्भालित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. औपखनन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (विस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विन्योक्त स्थल पर सम्भालित किया जायेगा। इस प्रकार के सम्भालन स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि सम्भालित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढग की ऊंचाई 3 मीटर तथा सतह 28 डिग्री से अधिक न हो। औपखनन ढग का ढगल रोकने हेतु वैकल्पिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो औपखनन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (विस्ट रीक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा खनिज वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न विस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सखी जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु बाईन वीट तथा अन्य क्षेत्र में ड्रेनिंग वील / सारलेन्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन सेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं गठ जाना सुनिश्चित किया जाए।



17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at nearby Village- Neeshkohda	
			Pavitra Van	3.05
			Total	3.05

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यकारी 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उत्पन्न संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आन्वयिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपना उत्तरदायित्व होगा। कुशलरूप से अंशकाल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (अपला, कदम, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कुशलरूप हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 वर्ग मीटरों के लिए राशि 45,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 20,000 रुपये, पत्र-पत्राह आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,09,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,88,000 रुपये हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पवित्ररूप प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत नीशकोडा के सहमति उत्पन्न पर्यावरण स्थान (पार्ट ऑफ वासरा जनांक 452, क्षेत्रफल 0.303 हेक्टेयर) के संकेत में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं कुशलरूप कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जिलास्तर पर्यावरण संरक्षण समिति के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरूप का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/घरों के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपनी जिम्मेदारी होगी।
22. फलबन्धन हेतु विभिन्न क्षेत्र (घाटी तल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरबर्डिन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,400 वृक्षों का सघन कुशलरूप किया जाए। हरित पट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्रत्यक्षता के अन्तर्गत खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में सीधे क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, मोरू, आम, इसरी, अर्जुन, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 525 वर्ग मीटरों का रोपण (कुल 1,875 वर्ग मीटरों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्याा काटियार टाक के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं

- होने की दृष्टि से संबंधित प्रान्त संघागत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कृषारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कृषारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कृषारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तात्काल निरस्त की जा सकती है।
24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफस सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
  25. माईनिंग क्षेत्र क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सतहईवाल नेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषारोपण का रकम-संख्या आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए नूत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
  26. किये गये कृषारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अथवा गैस रिपोर्ट में सत्यापित करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कम्पल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को रोपित किया जाए।
  27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
  28. परियोजना से दिन-दिन खाली से पयुजिटिव बलट उत्तार्जन होगा, उन खाली पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किया जाए।
  29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री मिन्लरल द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
  30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तासाब, पोखर, महुर, मटी, गला एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
  31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
  32. सख्त प्रतिबन्ध / डी.जी.एस.एस. से अनुमति उपरोक्त विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि के कंट्रोल थ्रॉटिंग किया जाए। फायर के छोटे-छोटे टुकड़ों (क्लाई रीक) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त सावधान किया जाए। गैट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अध्यापित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे बलट का उत्तार्जन नियंत्रण में रहे।
  33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुल प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
  34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सजीव स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आनका राखित होगा।
  35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज विनम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईनिंग एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।







36. कार्य स्थल पर यदि इंग्लिश अंग्रेज कार्य पर अपनाये जाते हैं तो ऐसे अंग्रेजों को अस्वास्थ्य एवं सुख के हेतु उचित व्यवस्था परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्वास्थ्य व्यवस्था अस्वास्थ्य संरक्षणार्थी के रूप में ही सकती है, जिसे परिवर्तन पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. अंग्रेजों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसंकीर्ण सुविधा, मीठाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. अंग्रेजों का समय-समय पर आउटडोरस-हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
39. पर्यटन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित पर्यटन योजना के अनुक्रम वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की खोज एवं अपरिष्कृत समिष्टित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अस्वास्थ्य किसी व्यक्तिगत अस्वास्थ्य अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अस्वास्थ्य व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अस्वास्थ्य सन्द, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के पालन हेतु अधिकृत करता है।
41. एल.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवर्तन की स्वीकृति में परिवर्तन अस्वास्थ्य विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषपूर्वक रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोषजनक/निरस्त करने अस्वास्थ्य शर्त जोड़ने अस्वास्थ्य उत्सर्जन / निस्सारण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
42. परिवर्तन प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवर्तन क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस अस्वास्थ्य की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवर्तन को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एल. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.esea.in](http://www.esea.in) पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मिलाई-दुर्ग, एल.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उद्घाटन शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एल.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परिवर्तन प्रस्तावक जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण समूह एवं राज्य सरकार द्वारा की गई जाती का अनिवार्य रूप से पालन करना। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिवर्तनकारी और अन्य अधिनियम (प्रबंध एवं सीमांकन संवर्धन) नियम, 2018 तथा लोक सचिवालय अधिनियम, 1987 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की रक्षा में एन.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नहीं तर्क निर्दिष्ट करने संबंध निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विचलन अथवा उल्लंघन एन.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह / पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण समूह पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करना।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

सचिव, एन.ई.ए.सी.

वेस्टर्न महामाया खदान (जो - श्री महेश शर्मा)

को खदान क्रमांक 1878 एवं 1879, कुल लीज क्षेत्र 2.478 हेक्टर, ग्राम-बानीय, एखरील-भाटापारा, जिला-बलीदानाजन-भाटापारा में चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 57,142 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कच्चाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.478 हेक्टर अथवा फ्लोसाइट शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दीर्घ) में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 57,142 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करतकन पहले मुहने लगाना जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं परेशु दूषित जल (यदि कोई हो), को उत्खनन की जगह एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में सखार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंडलन्य द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (ज्या लागू) के प्रावधानों को लागू रहेंगी।
5. मानवीय एन.पी.टी. के अंतर्गत दिनांक 28/02/2001 के अनुसार परदेखन द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निपुण करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा घाटी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा क्लस्टर में पुन-उपयोग किया जाए। परेशु दूषित जल के उत्खनन के लिए सेप्टिक टैंक एवं सीक्रेट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा घाटी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल अथवा न न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल को पुनः प्राप्त सखार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंडलन्य, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा फ्लोसाइट पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि परेटा खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियाँ, जीवों आदि से उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान अधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. मू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी सिमेंटी / बेट / चाईट सोर्स से चाईक्यूलेट मीटर उत्खनन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कचरा, खोल, ट्रांसकर चाईदक (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्साट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का डेन फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फ्लुइडिब डस्ट उत्खनन का नियंत्रण ज्वाही एवं नियंत्रित रूप से किया जाए। पट्टीय बर्न, हेम, संघटन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्खनन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम संघटन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संभारण सुनिश्चित किया जाए। सिंक ड्रेनिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी याई 2.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / सफाया नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान इटाई नई खरीत मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। खरीत मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पुनः से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिड़ी अपयोग खनिज (विस्त सीक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विरहित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का हारन रोकने हेतु वैकल्पिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिड़ी अपयोग खनिज (विस्त सीक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न विस्त लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्तरों में प्रभावित न हो। इसे रोकने हेतु नाईन वीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटनिंग वॉल / बारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकाली कन्टर्न वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को सभ्यता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
48.30	2%	0.966	Following activities at Village - Pased	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	1.205
			Total	1.205

18. सी.ई.आर. के लक्ष्य निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आंतरांगिक रिपोर्ट में समाहित करने हूये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तमदायित्व होगा। कुशासन असाध्य होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुल 100 नए पीछी को रोपण किया जाएगा। कुशासन हेतु (कटम, पीपल, नीम, आम, जामुन, आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए प्रति 8,500 रुपये, पीपिंग के लिए प्रति 80,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए प्रति 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 77,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 43,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पालीक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि तालाब के चारों ओर 100 नए पीछी का कुशासन किया जाना संभव है अथवा नहीं? के संबंध में नए में दर्शाते हुए स्पष्टीकरण तथा तालाब का खसत कर्नाक एवं क्षेत्रफल संबंधी जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं कुशासन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/अधिकाारी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीकनद पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त पठित त्रि-पक्षीय समिति से सल्लभित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/बगीचा/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के लक्ष्य आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जाना आवश्यक होगा।
22. सल्लभन हेतु निम्नलिखित क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरलैंडन रूप आदि में स्थानीय प्रजाति के 2,100 कुत्तों का समन कुशासन किया जाए। स्थित पट्टी का विकास केंद्रीय ग्रूपन निरंतरन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्रथमिकता के अभाव पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में सीप क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, सीसू, आम, इमली, जर्जुन, सीला आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 450 नए पीछी का रोपण (कुल 2,500 नए पीछी) खदान के कुत्ते क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यय (यथा

कॉटेदार तार को बाड़ अथवा ड्री गार्ड का उपयोग किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित जल पंचायत द्वारा विनियमित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशासन किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछी का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशासन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशासन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछी के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन को साथ जमा करें।
25. साईनिंग क्षेत्र क्षेत्र एवं बाहर स्थल कुशासन किये जाने एवं रोपित पीछी का लाइवईवेल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशासन का एक-साथ अनामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करती हुई मृत पीछी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये कुशासन की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अवैतनिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण समूह एवं एस.ई.आई.ए.ए. समीक्षण को प्रेषित किया जाए।
27. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परिषोजना से दिन-दिन स्थलों से पधुजिठिव डस्ट जासर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा निरस्त कनरीशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत कचण्टी मिलनई द्वारा सीन्चजन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा तासाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निधियों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों को इयरप्लग/मस्क आदि उपकरण दिए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. स्थल प्राधिकारी / डी.जी.पी.एस. के अनुमति उपयुक्त विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कॉट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (मल्टी टॉन्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्थल उपलब्ध किया जाए। रेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का जासर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को उपर असंतुलन ज्वाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्थलों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्थलों का समुचित संरक्षण अपनाया शामिल होगा।
35. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन प्रतीकण्ड नीम खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। साईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि लेमिंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्तियों को आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. शक्तियों के लिए खानन स्थल पर स्वयं वेकजल विधिलेखकीय सुविधा, नौबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. शक्तियों का समय-समय पर आकरोपेक्षणत हेतु सविज्ञित करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित उत्खनन योजना के अनुसंग वार्षिक योजना, वित्तन उत्खनन, शक्ति की मात्रा एवं अपेक्षित समितित है, ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अन्तय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकतर बर्तने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तमान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिरिक्त अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के अन्तर्धान हेतु अधिकृत करता है।
41. एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की सन्तोखा से परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषदा रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोषन/निलत करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और उच्च करने का अधिकतर सुरक्षित रहता है।
42. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ता होने के 7 दिनों के भीतर इस आराध की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ता हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एम. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [pannashah.nic.in](http://pannashah.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में हो गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल, रायपुर, एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उदात्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल के विज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संतोष में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।

*(Handwritten signatures and marks)*

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विभिन्न परिसंरक्षण और अन्य अधिष्ठित (ग्रन्थ एवं सीमाधार संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक प्रशिक्षण बीमा अधिनियम, 1991 (ज्या संगठित) के अतिरिक्त निर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एल.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एल.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एल.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्पूरकता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उत्खनन एल.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील महानगर डीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, महानगर डीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एल.ई.ए.सी.

सचिव, एल.ई.ए.सी.



वेगर्स टिकनवाल लाईम स्टोन क्वारी (प्री- बी क्वैरि) समूह

की सक्षमता क्रमांक 178/1, 178/2 एवं 180, कुल लीज क्षेत्र 2.78 हेक्टेयर में से 2.68 हेक्टेयर, ग्राम-टिकनवाल, तहसील व जिला-बहाल में नूना पत्थर (लीम स्लैब्स) उत्खनन - 53,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.78 हेक्टेयर में से 2.68 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार उत्खनन से नूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 53,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कचराघर पक्के नुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (पिछा संशोधित) की प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत सीमान इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार कुआरोंपन एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संवर्धन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, अतः स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को आर्बायिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. मानवीय एन.पी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार परदेयन द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. जीवोमिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा साठही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अर्थात् इसी प्रक्रिया में अथवा कुआरोंपन हेतु पुनःसंयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा साठही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. खनि पट्टा खनक खान संचालन बंद करने के उपरंत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खनक खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रैसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह बात, जनसुविधियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा खान प्रधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
9. भू-जल के उपयोग हेतु सैन्डीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य राज्यों से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी विमनी / वेट / फाईट बोर्ड से पर्टिकुलेट मटर उत्सर्जन की मात्रा 80 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इसार, स्लीम, ट्रांसफर चॉइस (जदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेस फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न राज्यों से उत्पन्न गैरिडिबल इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निर्धारित रूप से किया जाए। पहूँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन विन्दुओं इस्ट कंटेन्मेंट कम सर्वेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इतका मात्रा संचालन /संचालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड डेक्लिग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. सहजी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुकूल रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवितीय वायु की गुणवत्ता मात राखकर के पर्यावरण, बन और जल वायु परिवर्तन संरक्षण, गई दिल्ली द्वारा अधिचुचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
12. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बॉर्डर का कार्य किये जाने के उपरंत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुआरेंपन किया जाए। ऐसा करना नहीं चाये जाने पर पर्यावरणीय सीक्युरी किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई कपरी मिट्टी (टीप सीईस) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा क्लारी डोमन्सर्जन को स्थिर (स्टैबिलाईज) करने में किया जाए।
15. कपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रभाव अनुमान निर्धारित स्थान पर संवर्धित कर संवर्धित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विखन एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
16. ओवरलॉर्डन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अधोन्व खनिज (किंग रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्धीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को सुचित प्रकृत से सुवर्धित नके जाये ताकि भण्डारित पदार्थ अस-पना की भूमि पर विचरित प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊँचाई 5 मीटर तथा स्तरेष 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलॉर्डन डम्प का ढरम रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कुआरेंपन किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो आवश्यकताएं एवं अन्य अनुभवों/विश्वी जलगत खनिज (विस्तार) को खनन के प्रस्ताव को मद्देनी में पुनर्भरण (वैक विकल्प) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा खनिज वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न विस्तार जल क्षेत्र के जल-वायु के सही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग बॉल / बायोमैट्रिक्स ट्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन सड़कें वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षति से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव या कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
80	2%	1.60	Following activities at Gram Panchayat Village- Tikangal	
			Pastra Van Nirman	4.15
			<b>Total</b>	<b>4.15</b>

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अधिकांश रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्थिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्बन्धता सुनिश्चित करना आवश्यक उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण अस्फल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पत्रिका वन निर्माण" के तहत (आवला, चीन्, आम, करंज, जामुन, अनन्नास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नम पौधों के लिए राशि 1,00,000 रुपये, पत्रिका के लिए राशि 5,000 रुपये, आम के लिए राशि 18,300 रुपये, सिन्धुई के लिए राशि 20,000 रुपये तथा राब-रखार आदि के लिए राशि 88,700 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,00,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,15,000 रुपये हेतु परतकवार व्यवसाय विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत टिकनगाल के सहमति उपरोक्त वृक्षारोपण स्थान (जसादा जवांक 439, क्षेत्रफल 41.88 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संस्था में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-जीव समिति (ग्रैमपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर.,

- कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रखा-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त विहित वि-स्थीय समिति से सत्यापित कठना जाय।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आगके द्वारा कटाये गये काली का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
  25. फलकन हेतु निश्चित क्षेत्र (घरों तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, जीवसर्वेन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 नम नुमा के समय वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाय। इति पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाय।
  26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नम इति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार कड़, पीपल, नीम्, करंज, सीसू, आम, इमली, काहुन्, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 475 पौधों का रोपण (कुल 1,475 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाय। रोपण को सुदृष्टित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या सट्टिदान दार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाय। स्थल फलकन नहीं होने की दसा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाय। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाय। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाय। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाय। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति वाकाल निरस्त की जा सकती है।
  27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का चस्मेक करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी पासन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
  28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर समय वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सत्याईकाल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वृक्षारोपण का रखा-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाय। आगके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
  29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थात्क रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. अर्थात्क को प्रेषित किया जाय।
  30. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर अतिरिचित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में किये गये आकलन के अनुसार कार्य करना, कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायगी।
  31. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाय। ध्वनि का स्तर फलकन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाय एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जांच एवं आकलनका अनुसार उनका उपचार भी कठना जाय।
  32. कंट्रोल बलस्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाय फलकन के छोटे-छोटे दुकानों (प्लॉट)

वीसा) को ठहरने से ठहरने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। वेद द्विलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अन्तर्गत द्विलिंग किया जाए, जिससे इन्स्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया में-जल सार के तबल असंतुष्टा प्रमाण में की जायगी एवं उत्खनन प्रक्रिया में-जल सार के नीचे किली की परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आवश्यक दाखिल होना।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज मिशन, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि अतिरिक्त अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे स्थलों को आवरण एवं मुक्ता हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जायगी। जावनीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. अधिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल निकालकरीय सुविधा, सोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. अधिकों का समय-समय पर आकस्मिकतागत ईन्डो सर्विलेंस करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्भलिता है, में किली की प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अन्तय किली अधिकतम अथवा अन्य सम्भलिता पर अधिकतर दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किली निजी सम्भलिता को मुक्तान पडूचने अथवा अधिकतम अधिकारों के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उत्सर्जन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संपरेक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषजनक रूप से पालन न करने की दशा में किली की शर्त में संतोषजनक/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्कार के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आम-आम व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिशत सविवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [parivash.cch.gov.in](http://parivash.cch.gov.in) पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दणपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदलाव शर्तों के बालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परिवर्तन प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से बालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशिष्टकृत एवं अन्य अधिष्ट (प्रकेय एवं सीमाकार संरक्षण) नियम, 2016 तथा लोक वास्तविक क्षेत्र अधिनियम, 1981 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परिवर्तन की बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की वहा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए यदि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाधा निर्मित ले सके। अतः में कोई भी विस्तार अथवा उन्मूलन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कन्वेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील पेशनात तीन ट्रीब्यूनल के सम्मुख पेशनात तीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

बेसबॉ बॉन्डो डोलोमाईट खानी (पी - बी संतोष सिंह राजपुरा)

की खाना क्रमांक 1852/1, कुल लीज क्षेत्र 4.487 हेक्टेयर, ग्राम-मैन्डो, तहसील-पानगढ़, जिला-जांजगीर-बांध में डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 1,00,553 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाना तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.487 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान में डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 1,00,553 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का तीव्ररूप से सर्वेक्षण पहले मुहाने लगाना जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में माहल सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहनी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार क्लस्टरिंग एवं परिशिष्टन सड़कों एवं खदान से परिशिष्टन सड़क तक पहुँच मार्गों के संभाल का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्राल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्राल, रायपुर एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भासा सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर की अर्द्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने वाले हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक विद्युत करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा साही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतः इस प्रक्रिया में अथवा क्लस्टरिंग हेतु मुदतप्रयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा साही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भासा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्राल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरंत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रैसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त प्रतिक्रिया से अनुभूतित गाईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
9. भू-जल के उपयोग हेतु संघीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य राज्यों से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी विनरी / वेट / धाईट कोई से परिकुलेट मेटर उत्खनन की मात्रा 50 मिलीघाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इनकर, क्लीन, ट्रांस्फर पाइपट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इन्स्ट एक्साहूशन सिस्टम के साथ साथ धरात का बेस फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्युजिटिव इन्स्ट उत्खनन का नियंत्रण कराती एवं निर्धारित रूप से किया जाए। पर्युष मार्ग, रैप, संघटन क्षेत्र, मटई एवं अन्य इन्स्ट उत्खनन विन्दुओं इन्स्ट इन्टेन्सिटी कम संरक्षण सिस्टम एवं जल सिद्धकार की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. बाहरी, खान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता चारा सतह के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवेशीय संरक्षण, गई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बॉलिंग का कार्य किये जाने के उपरंत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाए।
13. लीज क्षेत्र की चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई बोट का डैम / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुआरोंपन किया जाए। ऐसा करना नहीं चाये जाने का पर्यावरणीय स्वीकृती किसी भी समय उत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान इटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को स्थिर (स्टैबिलाईज) करने में किया जाए।
15. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुमान निर्धारित स्थान पर संग्रहित कर संग्रहित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विखर एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए; इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
16. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिजली उपयोग खनिज (बोट टैंक) को पुनःक से पूर्व से विनरीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकल से सुरक्षित रखे जाये ताकि भण्डारित पदार्थ असा-पसा की भूमि पर विनरीत प्रभाव न डाल सकें। डैम की चौड़ाई 3 मीटर तथा लंबाई 20 मिमी से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग डैम का क्षरण टोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से कुआरोंपन किया जाए।



17. जहाँ तक संभव हो आवश्यकताएं एवं अन्य अनुसंधानी/विज्ञानी अयोग्य खनिज (विस्तारित) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (डिंक फिलिंग) हेतु उपयोजित किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा खनिज वैश्वीकरण उपयोजित सुनिश्चित किया जा सके।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्टम लीज क्षेत्र को क्षम-क्षम के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन कवरई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बहान नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना से अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
65	2%	1.3	Following activities at nearby Village-Bhainshe	
			Paints Van Nirman	3.01
			<b>Total</b>	<b>3.01</b>

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की गारलैण्ड सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशासन अस्फल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिचर वन निर्माण" के तहत (खोपरा, बड़, पीपल, पीन, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) कुशासन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,000 नम पीपल के लिए राशि 1,01,150 रुपये, बंसिंग के लिए राशि 75,000 रुपये, सिंभाई, खाद तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रुपये, इस प्रकार कुल 2,51,150 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 50,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पीले के सहमति उपरोक्त अयोग्य स्थान (क्षमता क्षमता 1764/1 क्षेत्रफल 2 एकड़) के संकेत में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशासन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रैपहॉल्डर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छल्लागढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान में

- परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोंपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त महित वि-ज्योय समिति से सत्यापित कराया जाए।
24. जब भी निर्दिष्ट बाल/अधिकारी निर्दिष्टन हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/पट्टा के निर्दिष्टन के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निर्दिष्टन भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
  25. पलायन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरलैंडिंग डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 600 नम नुकी का सघन कुआरोंपन प्रथम वर्ष में किया जाए। गैर नार्डनिंग क्षेत्र में 8,000 नम कुआरोंपन किया जाए। उचित पट्टी का विकास केंद्रीय उद्योग निबंधन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
  26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, करंज, बीजू, आम, इमली, अर्जुन, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 600 पौधों का रोपण (कुल 8,100 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या करंटवार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह में संबंधित प्रान्त सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुआरोंपन किया जाए। उपरोक्त कुआरोंपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कुआरोंपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। कुआरोंपन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सवीकृति उत्कृष्ट निरस्त की जा सकती है।
  27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुए गिजोटेग (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रदान प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
  28. नार्डनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कुआरोंपन किये जाने एवं रोपित पौधों का सनवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुआरोंपन का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए नूत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपसे द्वारा रोपित पौधों के कुआरोंपन को सफल बनाया आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
  29. किये गये कुआरोंपन की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अंतराधिक निवेदों में समाहित करते हुए उत्तीरणाद पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीरणाद को प्रेषित किया जाए।
  30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये अवसरान के अनुसार कार्य करना, क्विन्स इन्स्ट्रामेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं गये जाने पर पर्यावरणीय सवीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
  31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि उद्योग के निबंधन हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का माप प्रबंधन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उपका उपचार भी कराया जाए।
  32. कंट्रोल बरकिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए फायर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लैट्स रीसा) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। गैट क्लिपिंग

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

अथवा कार्य प्रदर्शन नियोजन व्यवस्था अपाठित डिजिटिंग किया जाए, जिसकी अद्यतन का परामर्शन नियोजन में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया यू-जल स्तर के ऊपर अवलोक्य प्रमाण में नहीं जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया यू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंघीयों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसंघीयों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अथवा वापिस होना।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन भारतीयसंगठ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मई 2012 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कोयिंग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अधिकों के अभाव एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अथवा संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाना जा सके।
37. अधिकों के लिए खनन स्थल पर स्वयं वेजजल डिजिटलाइज्ड सुविधा, मोबाइल टाइमलॉग आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. अधिकों का समय-समय पर आकस्मिकतात्मक होना सुनिश्चित करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सुनिश्चित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसंगठ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसंगठ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सफाई में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निलस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निरन्तर के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, भारतीयसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अदालोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसंगठ की वेबसाइट [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट भारतीयसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीयसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, किलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसंगठ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग

की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली शीमटींग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षक और अन्य अधिसूचित (प्रबंध एवं सीमाचार संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बन्धु निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कर्नेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विच्छेद अधीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

उपस्थित अधिकारी, एन.ई.ए.सी.

उपस्थित अधिकारी, एन.ई.ए.सी.

वेगर्स वेल्थ डीलोमाईट कार्पो (प्री- बी डाम्प टर्वाल मिथा)

को पत्राचार दिनांक 18/02/21, कुल लीज क्षेत्र 4.83 हेक्टेयर, ग्राम-मैन्सो, तखनील-पानगढ़,  
जिला-जांजगीर-बांध में डीलोमाईट (गैलियम खनिज) उत्खनन - 2,82,377 टन प्रतिवर्ष हेतु  
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाना तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.83 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डीलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 2,82,377 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कठोरर पक्के पुरावे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (पश्चा संशोधित) की प्रावधानों के तहत रहनी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कोयला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के अनुसार कृषासेवक एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संवर्धन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु लीजर ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उसके स्थलों पर प्रतिवर्ष मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस्.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रायपुर जटल नगर को अर्थात् (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पर्यटकों द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित करके जाने हेतु परिवहनका प्रस्तावक को पर्यावरण विभाग नियुक्त करना है।
6. परिवहनका प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इस प्रक्रिया में अथवा कृषासेवक हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आवास में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की पुनःउत्पन्न भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिनियमित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. खनि पट्टा खनन स्थान संभालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी गी-प्राप्ति (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस निधि की तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उपरोक्त हेतु उपयुक्त हो। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा स्थान प्रतिकारी से अनुमोदित माईन प्लॉन पर एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
9. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य राज्यों से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी किसी / बेंच / फाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर के कम सुनिश्चित किया जाए। कंकड़, सैंड, ट्राइफेर फाइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कस्ट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का बेंच फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। फ्लूइड गार्ड, ऐम्, संघटन क्षेत्र, फाई एवं अन्य कस्ट उत्सर्जन किन्तुओं कस्ट कंटेनमेंट कम संवेहन सिस्टम एवं जल फिक्केशन की व्यवस्था की जाकर इसका सार्त् संभालन /संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. कठोर, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुक्रम रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता माता सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा खदान से चारों तरफ कोसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्थैतिकि किसी भी समय अवकाल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान छोटी गई अपनी मिट्टी (टीन लॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः पट्टार हेतु अवका बाहरी ओवरलैंडिंग को क्लियर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
15. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संबंधित कर संबंधित रखा जाए। मिट्टी का दुरुलभयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःपट्टार के लिए किया जाए।
16. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिचरी उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से विन्ड्रीट स्थल पर स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को चर्चित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि स्थापित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विषमिंत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की लंबाई 3 मीटर तथा सतह 28 किमी से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग डम्प का इतना रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से दुरुलभयोग किया जाए।

111

0

17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुसंधानी/सिद्धि अर्थात् खनिज (सिस्ट रीक) को खनन के माध्यम से नष्टों में पुनर्जनन (सिस्ट रिवरिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीच क्षेत्र के आस-पास के सखी जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / चारजेन्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से कहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षयता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52	2%	1.04	Following activities at nearby, Village-Shainsho	
			Pavitra Van Niman	3.01
			<b>Total</b>	<b>3.01</b>

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आंशिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशासन अभाव होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "भविष्य बन निर्माण" के तहत (आंबला, बड़, पीपल, पीप, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) कुशासन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2.003 नग पीपों के लिए राशि 1,01,150 रुपये, पीपिंग के लिए राशि 75,000 रुपये, सिंचाई खाद तथा रखा-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,51,150 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 80,000 रुपये हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पीपों के स्थापित उपरान्त मासिक खर्च (खरचा क्रमांक 1784/1 क्षेत्रफल 2 एकड़) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति पर, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशासन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-स्थाय समिती (जोयराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इलीसागड़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल केनेजमेंट प्लान में

- परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सड़कों के राह-रखाव एवं कुआरोपम का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त मठित वि-खोज समिति से सत्यापित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/बट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अधिकारी कम से कमना आपकी जिम्मेदारी होगी।
  25. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (जहाँ तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरलैपिंग अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,700 नम नुकी का सघन कुआरोपम प्रथम वर्ष में किया जाए। रीर माइनिंग क्षेत्र में 840 नम कुआरोपम किया जाए। हमित पट्टी का विकास कोन्टीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
  26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, बीला आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पीछी का रोपण (कुल 3,470 पीछी) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या काटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किरीट क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुआरोपम किया जाए। उपरोक्त कुआरोपम प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कुआरोपम प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछी का ही रोपण किया जाए। कुआरोपम नहीं करने पर जायी पर्यावरणीय नुकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
  27. रोपित किये जाने वाले पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का चालीस करते हुये डिमोटेग (Dymo tag) फोटोग्राफ सहित जानकारी वालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
  28. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कुआरोपम किये जाने एवं रोपित पीछी का सारवाइवल रेट (Survival rate) 20 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुआरोपम का राह-रखाव आगामी 8 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये नूत पीछी को प्रतिस्थापित (Monthly replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पीछी के कुआरोपम को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
  29. किये गये कुआरोपम की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थवार्थिक रिपोर्ट में सत्यापित करते हुये उत्तीसगद पर्यावरण संरक्षण मन्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. अतीसगद को प्रेषित किया जाए।
  30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिक्षेपित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आलाचान के अनुसार कार्य करना, कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमतिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय नुकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
  31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपयय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले ध्वनिकों को इन्फ्रारड/बक आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विकिरणहीन जौध एवं आवश्यकता अनुसार उपयय उपयय भी कराया जाए।
  32. अंटीस स्थापित का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए साथर के छोटे-छोटे टुकड़ी (फ्लाई रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। रेट डिजिटिंग



अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अध्यापित विधिगत बिना वायु प्रदूषण कंट्रोल का पालन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर को ऊपर अतिसूक्ष्म स्तर में करी जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अपेक्षा परिलक्षित होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन भारतीय खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्तियों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाना जा सके।
37. शक्तियों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिरणशील सुविधा, गैरहाइल टाम्प्रेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. शक्तियों का समय-समय पर आयुर्वेदिक/हेल्थ चेकअप करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सम्पत्ति है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए., भारतीय खनिज / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तताम पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिरिक्त अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के अंतर्गत हेतु अधिकृत करता है।
41. एच.ई.आई.ए.ए., भारतीय पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वरूपा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोष्य रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा पालन / निराकरण के मांगों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास आवश्यक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, भारतीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एच.ई.आई.ए.ए., भारतीय पर्यावरण की वेबसाइट [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु जो गई कार्यवाही की एवं वार्षिक रिपोर्ट भारतीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एच.ई.आई.ए.ए., भारतीय पर्यावरण एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दिल्ली अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदल शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग

की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए एल्टाकेजी एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिक/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली नॉन-टिफिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अधिवर्ग समय से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकृतमय और अन्य अपशिष्ट (प्रकाश एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 तथा लोक सचिवालय विनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की वृत्ता में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की प्णपुसता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने काय्यु निर्णय ले सके। छद्दान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, शिक्षा-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सहाय्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

सचिव, एस.ई.ए.सी.

मैलना बजावण्ड बीम्ब खवारी (के-1) (गो- बीमारी कुसुमलता गावु)  
को पार्ट ऑफ खलवा इन्फोक - 199, कुल डोजकल-1.12 डेक्टोपर के कुल 80 प्रतिशत  
डोजकल में ही, घाग-बजावण्ड, तहसील-बजावण्ड, जिला-बस्तर (उ.प्र.) में बसकली नदी  
में रेत उत्खनन क्षमता 11,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी  
जाने वाली थी।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को  
बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा उनका पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन चार्टर के निष्पत्तन की तारीख से दो वर्ष तक की  
व्यक्ति हेतु वैध होगी।
2. गावु अध्ययन (सिस्टमैशन स्टडी) रिपोर्ट - परिचोचना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में  
अगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गावु अध्ययन (Situation Study) करवेगा, ताकि रेत के  
पुनर्पान (Replenishment) बाधा नहीं आसके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट,  
स्थानीय जनसंघ, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता  
पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. यदि खदान खनित विभाग द्वारा अधिसूचित किसी बलस्टर में है, अथवा 500 मीटर  
के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल लम्बा 4.5 डेक्टोपर से अधिक होता है तो  
पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 1.12 डेक्टोपर के कुल 80 प्रतिशत डोजकल से अधिक नहीं होगा। रेत  
40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का  
अधिकतम उत्खनन 11,200 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. मासिक एन.डी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार चट्टेदार द्वारा  
सूईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने  
हेतु परिचोचना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
6. मासिक एन.डी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार चट्टेदार द्वारा  
सूईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने  
हेतु परिचोचना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना होगा।
7. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में  
रेत की सतह के शरी (Levels) का सर्वे कर, उसके आसके तत्काल एस.ई.आई.ए.  
ए. करीबगावु को प्रस्तुत किया जाये। फेस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर माह में रेत  
उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में सूईनिंग सतह क्षेत्र तथा सतह  
क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर /  
नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के शरी (Levels)  
का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन  
प्रारंभ मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी  
विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का सर्वे किया जाएगा। रेत सतह  
के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के सर्वे का कार्य  
अगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फेस्ट-मानसून के आसके दिनांक 2023

2023, 2023 एवं डी-वापस के आखिरी अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एलईआईएए, समीक्षण के प्रस्तुत किए जावेंगे।

8. रेत की खुदाई एवं भरवाई कनिशी द्वारा (Manually) की जाएगी। इस इलाका को किराे किसी उपकरण (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। गिर बेल में भारी बरतों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किराे रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेसी द्वारा किया जाएगा।
9. रेत का उत्खनन केवल विद्युत, सैन्यिक एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सात से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सात, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किराे की परिस्थिति में जल स्तर को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 3 मीटर मोटाई तक की रेत नहीं तल (आई बैंक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
10. रेत उत्खनन नहीं तली से कम से कम 1.5 मीटर अथवा नहीं की मोटाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नहीं तली का क्षति न हो। किराे की पुलिया, सॉपडैंग, बॉट, एनीकर, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नहीं जल का बेव, लिविडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
12. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिले तथा जिले के जल-वाह के क्षेत्र का कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्मित न हो। कछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के अलावा रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
13. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परिवर्तना प्रस्तावक के विरुद्ध विमानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
14. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न स्थायी तथा लोडिंग / अगलॉडिंग आदि से कारण होने वाले प्लुजिटिव इस्ट एक्सावेंस के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे जल छिटाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
15. रेत का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से दूरी दूर बाहन से किया जाए, ताकि रेत बाहन से बाहर नहीं गिरे। किराे का परिवहन वन से बाहरों को समझ से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
17. प्रारम्भिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जागुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, गीमू, आम, इमली, नीला आदि अन्य स्थायी प्रजातियों के कुल 80 नम पीपल का रोपण नहीं तट एवं 800 नम पीपल गार्न के दोनों तरफ पर रोपित किया जाए। रोपण

को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कस्टोडियन टार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कृषारोपण प्रकल्प वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आश्वासन का साक्ष्य पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिशिष्ट प्रस्तावक का रहेगा।

18. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
19. कृषारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये गये कृषारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रकल्पगत पर्यावरण संरक्षण कम्पल एवं एन.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णक को रोपित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना से अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby Village- Bajawand	
			Pavitra Van	5.72
			Total	6.72

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित धाम संस्थाओं से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करके अपना उत्तरदायित्व होगा। कृषारोपण अकारुण होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) कृषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 750 नए पीछों के लिए राशि 27,000 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 68,000 रुपये, खाद के लिए राशि 8,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,34,000 रुपये, इस प्रकार प्रकल्प वर्ष में कुल राशि 3,52,000 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में कुल राशि 2,18,300 रुपये हेतु पर्यटन व्यवसाय का विकास प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 2 वर्षों में कुल राशि 5,72,300 रुपये व्यय होगा, जिसमें से आवंटित धाम द्वारा व्ययित राशि 2,88,100 रुपये व्यय किया जाएगा। सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन निर्माण" हेतु धाम संस्थाओं के सहयोगी उपरोक्त

क्यायोग्य स्थान (ऊँचाई क्रमांक 682, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) के संघ में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसूचित कार्य पूर्ण करें। सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र जल निर्माण' के तहत किये जाने वाले कुआरोग्य का रख-रखाव आवेदित खदान द्वारा अगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित किया जाए।

24. सी.ई.आर. एवं कुआरोग्य कार्य के सॉल्यूटिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुआरोग्य का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति को समाप्तित किया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/फैक्ट्री के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपसे द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपसी जिम्मेदारी होगी।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं किये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों के वेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करना। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
28. जलसंग्रह गौन स्वयंसेवक नियम, 2018, राज्य शासन द्वारा वेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
29. कार्य स्थल पर यदि केंवियंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्ति को आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
30. शक्तियों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसर्वीय सुविधा, मोबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में पल मूत्र विसर्जन, अथवा खास सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।
31. शक्तियों का समय-समय पर आकूपरेक्षणाल हेतु सर्विलेंस कराया जाये।
32. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. जलसंग्रह / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को कुख्यात पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

34. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा परामर्श / निम्नत्व को मानकी को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
35. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने से 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सार्वजनिक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवस्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.moi.nic.in](http://www.moi.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
37. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तहत बनाये गये विधायी, परिसंकटमय अवशिष्ट (प्रबंधन स्थालन एवं सीमापार संभलन) नियम, 2008 (ज्या संशोधित) तथा लोक प्रामिल क्षेत्र अधिनियम, 1981 (ज्या संशोधित) के अर्धीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तों विनिर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. छत्तीसगढ़ सर्वोच्च न्यायालय न्यायलक्षणीय स्वीकृति की प्रति को उनको क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कारखाना/सहकारी/कारखाना में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

41. न्यायलक्षणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल पीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल पीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2019 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिवस की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य न्याय, एस.ई.ए.सी.

  
सदस्य, एस.ई.ए.सी.